बुधवार,
३१ मार्च, १९५४

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

छठा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

—:o:—

भाग १—प्रश्न और उत्तर

लोक सभा

बुधवार, ३१ मार्च, १९५४

सभा दो बजे समवेत हुई

[**उपाध्यक्ष महोदय** : पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

खमीर

*१४३२. **श्री बहादुर सिंह** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी :

(क) क्या खाद्य तथा कृषि संगठन द्वारा उपलब्ध किये गये खमीर का देश में सामान्य आहार के साथ साथ पूरक अन्न के रूप में प्रचार करने की दृष्टि से कुछ प्रयोग किये गये हैं; तथा

(ख) यदि हां, तो इन प्रयोगों के परिणाम क्या निकले ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) हां ।

(ख) अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १**]

श्री बहादुर सिंह : यदि यह प्रयोग लाभप्रद साबित हुआ तो क्या सरकार उन सब लोगों को खमीर उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर विचार करेगी जिनके आहार में विटामिनों की कमी है ?

स्वास्थ्य मत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : केन्द्रीय सरकार गवेषणात्मक प्रयोग करती है और उनके कल राज्य सरकारों को भेज देती है। यह देखने का काम राज्य सरकारों का है कि क्या इन प्रयोगों के फलों का कोई उपयोग किया जा सकता है और किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है।

श्री बहादुर सिंह : क्या स्वास्थ्य मंत्री को इस बात का पता है कि जिन राज्यों में मद्यनिषेध जारी है वहां यदि खमीर दे दिया गया तो उससे अवैध रीति से शराब तैयार करने को प्रोत्साहन मिलेगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह काल्पनिक प्रश्न है।

श्री पी० सी० बोस : यह खमीर किस चीज से बनाया जाता है ? क्या वह भारत में उगली है या बाहर से आती है ?

राजकुमारी अमृत कौर : यह खेद की बात है कि इस सदन के एक माननीय सदस्य खमीर के बारे में इतना अज्ञान प्रकट कर रहे हैं।

डा० राम राव: क्या खमीर का उत्पादन बड़े पैमाने पर कर के उसे सस्ते दामों में बेचने का सरकार का विचार है ?

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न केवल स्वास्थ्य के सम्बन्ध में है।

श्री दाभी : विवरण में बताया गया है कि उत्तर प्रदेश के एक देहाती थाने में कुछ लोगों को यह खमीर दिया गया और उन्हें पूछा गया कि क्या अब आगे के लिये वे इसका

प्रयोग करेंगे, तो उन्होंने इन्कार कर दिया और कहा कि वे इसका प्रयोग नहीं करेंगे। क्या इसका स्वास्थ्य पर कोई बुरा प्रभाव पड़ता है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर: इसका कोई बुरा या अवांछनीय प्रभाव नहीं पड़ता किन्तु क्योंकि हम एक विशिष्ट रुचि के आदी हो गये हैं, लोग इसे पसन्द नहीं करते।

श्री बी० एस० मूर्त्ति : यदि कोई निजी संस्था खमीर का बड़े पैमाने पर उत्पादन करके उसे सस्ते दामों में बेचने के लिये आगे बढ़ती है, तो क्या सरकार ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार करेगी ?

उपाध्यक्ष महोदय यह तो कार्यवाही के लिये सूचना है। खमीर तो लगभग हर रोज खाने में आता है।

सरदार हुक्म सिंह : क्या प्रयोगों के दौरान में इस बात का पता चला कि खमीर के उपयोग से कुछ प्रतिशत लोगों की पाचनशक्ति बिगड़ती है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : २१ में से ३ लोगों के बारे में यह हुआ। हो सकता है कि यह बिगाड़ खमीर के नहीं बल्कि किसी अन्य बात के कारण हुआ होगा। यह साबित करने के लिये कोई प्रमाण नहीं है कि खमीर से पाचनशक्ति बिगड़ती है।

डाक तथा तार प्रशिक्षण केन्द्र

*१४३३. **सरदार हुक्म सिंह :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) भारत में किन स्थानों में नये से भर्ती हुए लोगों को प्रशिक्षण देने के लिये डाक तथा तार प्रशिक्षण केन्द्र खोले गये हैं;

(ख) १९५३-५४ में कितने लोगों को इन केन्द्रों से प्रशिक्षण प्राप्त हुआ; तथा

(ग) क्या नैपाल की सरकार ने इस अवधि में अपने नये से भर्ती किये गये कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिये इन केन्द्रों का उपयोग किया ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) तार विभाग का प्रशिक्षण केन्द्र जबलपुर में है तथा डाक विभाग का सहारनपुर में।

(ख) १ अप्रैल से ३१ दिसम्बर, १९५३ तक जबलपुर के दूरसंचार प्रशिक्षण केन्द्र से ४६९ प्रशिक्षार्थी पारित हुए तथा १९५३-५४ में सहारनपुर के डाक तथा तार प्रशिक्षण केन्द्र में ९३९ प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया।

(ग) नैपाल सरकार की ओर से कोई प्रशिक्षार्थी सहारनपुर प्रशिक्षण केन्द्र में नहीं भेजा गया था। कोलम्बो योजना के अन्तर्गत नैपाल सरकार की ओर से भेजे गये दो उम्मीदवारों ने जबलपुर के यंत्रविद्या के केन्द्र में प्रवेश किया है।

सरदार हुक्म सिंह गत प्रतिवेदन में हमें बताया गया था कि और स्थानों में केन्द्र खोलने का भी प्रस्ताव है। वे केन्द्र न खोले जाने के क्या कारण हैं ?

श्री राज बहादुर : उपयुक्त भूमि की अनुपलब्धि तथा वित्तीय व्यवस्था के अन्तिम निश्चय का अभाव ये दो प्रमुख कारण थे।

सरदार हुक्म सिंह : पंचवर्षीय योजना में कहा गया है कि सेवा की कार्यक्षमता का ह्रास रोकने के लिए ये केन्द्र खोले जा रहे हैं। इन केन्द्रों के परिणामस्वरूप कर्मचारियों की कार्यक्षमता में किस प्रकार सुधार हुआ है ?

श्री राज बहादुर : विभाग की कार्यक्षमता सुधारने के मुख्य उद्देश्य से ही यह प्रशिक्षण जारी किया गया है। जैसे जैसे हम अधिकाधिक संख्या में प्रशिक्षित क्लर्क, आर० एम० एस० सार्टर्स तथा अन्य अधिकारी भेज रहे हैं वैसे वैसे सेवा की कार्यक्षमता में सुधार हो रहा है।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : क्या सरकार ने प्रादेशिक आधार पर इन केन्द्रों के खोले जाने की वांछनीयता पर विचार किया है ?

श्री राज बहादुर : हां, यही विचार है। हम मद्रास तथा आंध्र क्षेत्र के लिये मद्रास में, हैदराबाद तथा मध्य प्रदेश क्षेत्र के लिये हैदराबाद में, बम्बई की अपनी आवश्यकता के लिए बम्बई में तथा बिहार क्षेत्र के लिए बिहार में एक एक केंद्रखोल रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री ले ही बता चुके हैं कि कि ये केन्द्र प्रादेशिक आधार पर खोले गये हैं।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या डाक घरों में कई वैज्ञानिक विषयों के स्नातक क्लर्कों का काम कर रहे हैं और क्या इन प्रशिक्षण केन्द्रों में उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है ?

श्री राज बहादुर : वे जिस प्रतियोगिता अथवा अन्य परीक्षा में बैठे थे तथा जिसके आधार पर चुन लिये गये थे उस पर यह निर्भर है। यदि वे क्लर्कों की परीक्षा में बैठे हैं तो उन्हें क्लर्क ही बनाया जा सकता है।

श्री मुनिस्वामी : क्या इन केन्द्रों में डाक कर्मचारियों के सारी श्रेणियों को प्रशिक्षण दिया जाता है ?

श्री राज बहादुर : यह तो व्यवहारतः असम्भव है। इसके लिए तो हमें कई अधिक केन्द्रों की आवश्यकता होगी।

भारतीय जहाज़

***१४३४. सेठ गोविन्द दास :** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५३ के अन्त में भारतीय जहाज़ों का कुल टन भार कितना था; और

(ख) उन में से कितने टन भार के जहाज़ तटवर्ती व्यापार में संलग्न थे और कितने टन भार के जहाज़ों का उपयोग विदेश यात्रा के लिए किया जा रहा था ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) ४३५३००० जी० आर० टी०।

(ख) तटवर्ती व्यापार—२५७२१७ जी आर० टी०।

विदेश व्यापार—१७८०८३ जी० आर० टी०।

सेठ गोविन्द दास : १९५२ में जितने जहाज़ चलते थे, उससे सन् १९५३ में कुछ बढ़े हैं या उतने ही हैं ?

श्री शाहनवाज़ खां : कुछ थोड़े से बढ़े हैं।

सेठ गोविन्द दास : अब जो यह साल चल रहा है इसमें क्या और भी कुछ बढ़ाने की उम्मीद है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : जी हां, इस साल बहुत ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद है और हम यह उम्मीद करते हैं कि सन् ५५–५६ के पहले जितने शिप्स इस वक्त हैं उसके दुगने हो जायेंगे।

श्री रघुनाथ सिंह : इसमें कोई तेलवाहक जहाज़ भी है ?

श्री एल० बी० शास्त्री : इसमें कोई टैंकर नहीं है।

श्री एन० बी० चौधरी : तटवर्ती व्यापार में लगे हुए जहाज़ों में भारतीय जहाज़ों का अनुपात क्या है ?

श्री शाहनवाज़ खां : तटवर्ती व्यापार पर हमारा एकाधिकार सा है।

श्री वी० पी० नायर : क्या सरकार ने भारतीय नौवहन के लिये अधिक टन भार प्राप्त करने के हेतु विदेशों से कुछ जहाज़ ख़रीदे हैं और यदि हां, तो १९४७ से अब तक

कितना अतिरिक्त टन भार इस प्रकार प्राप्त किया गया है ?

श्री एल० बी० शास्त्री : जैसा कि मैं अभी बता चुका हूं, निजी कम्पनियों को ऋण दिये गये हैं और इस काम के लिए हमने लगभग १९·४७ करोड़ रुपए उपलब्ध किये हैं। हमें आशा है कि वे और १० जहाज़ तैयार कर सकेंगे।

श्री वी० पी० नायर: मेरा प्रश्न यह नहीं था।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य जानना चाहते थे कि १९४७ से अब तक सरकार ने कितना अतिरिक्त टन भार प्राप्त किया है।

श्री वी० पी० नायर : केवल इतना ही नहीं। मैं यह जानना चाहता था कि क्या सरकार ने विदेशों तथा अन्य जहाज़ निर्माताओं के साथ भारतीय नौवहन के लिए अतिरिक्त टन भार प्राप्त करने के लिए बातचीत करने की कोई कार्यवाही की है यह केवल पैसा देने का सवाल नहीं है।

श्री एल० बी० शास्त्री : यह गैरसरकारी उद्योगों का क्षेत्र है। मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य इस बात को जानते हैं। भारत सरकार सीधे कोई जहाज़ नहीं खरीदती है।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या यह सच है कि कोस्टल ट्रेड में कुछ विदेशी जहाज़ों से काम लिया जा सकता रहा है, खास तौर से तेल वगैरह लाने के लिये ? अगर यह सही है, तो क्या जहाज़ों की कमी है या प्राइवेट शिपर्स सहायता नहीं कर रहे हैं, और क्या हम हिन्दुस्तान शिपयार्ड से दूसरे जहाज़ नहीं ले सकते हैं ?

श्री शाहनवाज़ खां: जी हां, जहां तक टैंकर्स का सवाल है, हमारे मर्चेंट फ्लीट के पास कोई टैंकर नहीं है और इसीलिये विदेशी कम्पनियां इसके लिये काम कर रही हैं।

श्री वी० पी० नायर : क्या यह सच नहीं है कि कुछ वर्ष पहले भारतीय जहाज़ मालिक संघ ने भारत सरकार से भारतीय नौवहन के लिए अमरीका की अतिरिक्त सामग्री के उत्सर्जन से कुछ टन भार प्राप्त करने के बारे में प्रार्थना की थी ? और क्या यह भी सच नहीं है कि अमरीका ने भारत सरकार की मांग पूरी नहीं की ?

श्री एल० बी० शास्त्री : प्रार्थना की गई थी किन्तु यह आवश्यक नहीं है कि हम जहाज़ मालिकों की प्रार्थना स्वीकार करें। सच बात तो यह है कि हमने उन्हें पैसा दे दिया है और हम आशा करते हैं कि वे अधिक जहाज़ खरीदेंगे।

श्री सारंगधर दास : क्या मैं जान सकता हूं कि योजना के अन्तर्गत हमने अब तक जो प्रगति की है, उसको देखते हुए क्या अगले वर्ष हम पंचवर्षीय योजना में निर्देशित लक्ष्य तक पहुंच जायेंगे ?

श्री एल० बी० शास्त्री : जैसा कि मैंने अभी अभी कहा है, वास्तव में हम अपने लक्ष्य तक पहुंच चुके हैं। योजना के अन्तर्गत २७५००० टनों का लक्ष्य निश्चित किया गया था और हमें आशा है कि लगभग २८१००० टन की वृद्धि की जायेगी।

श्री बंसल : क्या मैं जान सकता हूं कि शिपिंगप्लेनिंग ऐडवाइज़री कमेटी ने क्या २० लाख टन की टोटल शिपिंग का टार्गेट रखा था, और यदि हां, तो वह कब तक पहुंचेगा ?

श्री एल० बी० शास्त्री : उन्होंने २० लाख टन का टार्गेट रक्खा था, लेकिन प्लैनिंग कमीशन ने इस प्लैन पीरियड के लिये १० लाख टन का टार्गेट रक्खा है। लेकिन जैसा मैं कह चुका हूं, हम शायद इस साल ही या १९५५–५६ तक इस टार्गेट से आगे बढ़

जायेंगे और कोशिश करेंगे कि और ज्यादा ही बढ़ जाय ।

विलिंगडन अस्पताल

*१४३५. **श्री झूलन सिन्हा :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि नई दिल्ली के विलिंगडन अस्पताल को केन्द्रीय सरकार द्वारा ले लिए जाने के परिणामस्वरूप उसमें क्या क्या परिवर्तन तथा सुधार हुए हैं ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : अपेक्षित सूचना दर्शाते हुए एक विवरण सदन पटल पर रक्खा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट. ६, अनुबन्ध संख्या २]**

श्री झूलन सिन्हा : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार द्वारा इसे ले लिए जाने के बाद से दवाइयां देने अथवा रोगियों को दाखिल करने अथवा बाहर के रोगियों से व्यवहार करने सम्बन्धी बातों में कोई ऐसा सुधार हुआ है जिसे लोगों ने व्यक्त रूप से सराहा हो ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : माननीय सदस्य को दिए गये विवरण में अतिरिक्त सुधार सम्बन्धी वह सब सूचना है जो अस्पताल में किए जायेंगे ।

श्री दाभी : क्या मैं जान सकता हूं कि दाखिल किए गए तथा बाहरी मरीज़ों से कितनी फीस ली जाती है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : दाखिल किए गये रोगियों से कोई फीस नहीं ली जाती सिवाय भोजन के मूल्य के जबकि वे नर्सिंग होम में आते हैं, अथवा किराये के जबकि वे अस्पताल में विशेष आवास स्थान लेते हैं ।

श्रीमती कमलेंदुमति शाह : क्या यह सत्य है कि विलिंगडन अस्पताल के कुछ डाक्टर असावधान हैं तथा एक डाक्टर की असावधानी के कारण एक मरीज़ की मृत्यु हो गयी क्योंकि बुलाने पर डाक्टर, रविवार होने के कारण नहीं आया ?

उपाध्यक्ष महोदय : वैयक्तिक मामले मंत्री जी को बतलाने चाहियें ।

खाद्य तथा कृषि संगठन सम्मेलन

*१४३६. **श्री एस० एन० दास :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) रोम में सन् १९५३ में खाद्य तथा कृषि संगठन के सातवें अधिवेशन में गये भारतीय प्रतिनिधि मण्डल पर कुल कितना व्यय हुआ;

(ख) क्या प्रतिनिधि मण्डल ने अपना प्रतिवेदन सरकार को सौंप दिया है; और

(ग) प्रतिनिधियों ने किन महत्वपूर्ण विषयों पर भाग लिया ?

खाद्य तथा कृषि उपमत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा): (क) लगभग २५,००० रु० ।

(ख) जी हां ।

(ग) जिन मुख्य विषयों पर भारतीय प्रतिनिधि मण्डल ने सक्रिय भाग लिया उनकी एक सूची सदन पटल पर रक्खी जाती है। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या३]**

श्री एस० एन० दास : क्या मैं जान सकता हूं कि खाद्य तथा कृषि संगठन के कर्मचारी वर्ग में पर्याप्त भारतीय प्रतिनिधान के सम्बन्ध में कोई प्रगति हुई है और यदि हां, तो क्या ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : मुझे बताया गया है कि खाद्य तथा कृषि संगठन में लगभग १३ भारतीय हैं । हमने कहा है कि भारतीयों को अधिक प्रतिनिधान दिया जाए ।

श्री एस० एन० दास : परिणाम क्या हुआ ?

उपाध्यक्ष महोदय : सदन में बातचीत बहुत हो रही है । माननीय सदस्य अपनी में

अधिक व्यस्त हैं तथा सदन की कार्यवाही पर कम ध्यान दे रहे हैं। मेरे कहने पर भी कुछ माननीय सदस्य इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं इस प्रकार बातचीत किए जाने की अनुमति नहीं दे सकता। यह बहुत गलत चीज़ है।

श्री एस० एन० दास : क्या मैं जान सकता हूं कि प्रतिनिधि-मण्डल में कितने व्यक्ति थे ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : इसमें सात सदस्य थे जिनमें से एक रोम में नियुक्त एक पदाधिकारी थे और छः भारत से गये थे।

श्री एस० एन० दास : क्या यह सच है कि इस प्रतिनिधि-मण्डल के सदस्यों का चुनाव बिल्कुल अन्त समय पर किया गया था तथा ठीक अध्ययन का अवसर नहीं मिल पाया ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : सदस्य मण्डली का चुनाव बहुत पहले हो चुका था किन्तु स्वीकृति देर से मिली थी।

श्री एस० एन० दास : क्या मैं जान सकता हूं कि भारतीय प्रतिनिधि मण्डल द्वारा आपत्कालीन दुर्भिक्ष रिजर्व तथा भूमि प्रणाली सम्बन्धी सुधारों के विषय में क्या प्रस्ताव रक्खे गये थे ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : वास्तव में चूंकि उस समय हमारे पास अनाज की कमी थी इसलिए हम खाद्यानों का एक आपत्कालीन संग्रह तैयार करने के पक्ष में थे, किन्तु वे देश तैयार नहीं हुए जिनके पास अनाज का आधिक्य था। इसलिए सारी बात समाप्त कर दी गयी।

श्री एन० एम० लिंगम : क्या मैं जान सकता हूं कि खाद्य तथा कृषि संगठन के लिए भारत द्वारा दिए जाने वाले अंशदान के सम्बन्ध में कोई निर्णय हुआ था, और क्या उस अंशदान में कोई कमी की गयी है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : गत वर्ष हमें १२,७७,००० रु० देने पड़े थे और इस वर्ष हमें २,९०,२०२·८ डालर देने हैं।

डा० सुरेश चन्द्र : क्या मैं जान सकता हूं कि भारत सरकार का कोई सांख्यिकी विशेषज्ञ इस सम्मेलन में सम्मिलित हुआ था और क्या वहां पर इस देश में परस्पर विरोधी आंकड़ों का परिहार करने का कोई प्रयत्न किया गया था ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : डा० वी० जी० पंसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के सांख्यिकी मंत्रणादाता, प्रतिनिधियों में से एक थे।

श्री एन० बी० चौधरी : जबकि सदस्यों का चुनाव पहले हो चुका था तो स्वीकृति मिलने में देर होने का क्या कारण था।

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : कोई अनुचित विलम्ब नहीं हुआ था। स्वीकृति सामान्यतः देश से प्रस्थान करने के एक या दो सप्ताह पूर्व दी जाती है। मंत्रिमंडल को व्यय के लिए स्वीकृति देनी पड़ती है। यह अन्त समय पर किया गया था। कोई विलम्ब नहीं हुआ था।

वनस्पति

***१४३८. श्री के० पी० सिन्हा :** क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने वनस्पति उद्योग को बनस्पति निर्माण के लिए मूंगफली के तेल के अतिरिक्त जो अन्य तेलों के प्रयुक्त करने की अनुमति दी थी वह वापस ले ली है;

(ख) १९५२-५३ में उत्पादित कुल मूंगफली की मात्रा ; और

(ग) सन् १९५३-५४ में मूंगफली का प्राक्कलित उत्पादन ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) मूंगफली, बिनौले तथा सरसों के तेलों के अतिरिक्त अन्य तेलों के प्रयुक्त करने की अनुमति १-१-१९५४ से वापस ले ली गयी ।

(ख) २८·८४ लाख टन ।

(ग) ३७·७२ लाख टन ।

श्री के० पी० सिन्हा : क्या मैं जान सकता हूं कि नारियल के तेल से तैयार किया गया वनस्पति सरसों और अलसी के तेलों से तैयार किए जाने वाले वनस्पति से पोषक तत्वों की तुलना में कैसा है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : मुझे इस विषय पर अधिक वैज्ञानिक ज्ञान नहीं है ।

श्री जेठालाल जोशी : प्रस्तुत वर्ष का कितना उत्पादन सरकार डालर प्राप्त करने के लिए निर्यात करेगी ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न केवल उत्पादन के सम्बन्ध में है, निर्यात का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : निर्यात के सम्बन्ध में माननीय सदस्य को वाणिज्य मंत्रालय से पूछना पड़ेगा ।

श्री मुनिस्वामी : क्या मैं जान सकता हूं कि वनस्पति योजना समिति नामक कोई समिति है, और यदि हां, तो यह वनस्पति समिति उद्योग की किस प्रकार सहायता करती है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : एक समिति है; मुझे उसका नाम ठीक याद नहीं है ।

श्री जोकीम आल्वा : क्या मैं जान सकता हूं कि भारत में वनस्पति के सबसे बड़े उत्पादक लीवर ब्रदर्स अन्य भारतीय प्रतियोगियों की तुलना में कहीं अधिक लाभप्रद स्थिति में हैं क्योंकि वे अपने बृहत विश्व संगठन के कारण तेल आसानी से अफ्रीका से प्राप्त कर सकते हैं ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : यह प्रश्न माननीय वाणिज्य मंत्री से पूछना पड़ेगा ।

सेठ गोविन्द दास : वनस्पति में रंग देने के लिए कोई रंग की तलाश की जा रही थी । क्या मैं जान सकता हूं कि उसका क्या परिणाम रहा ?

उपाध्यक्ष महोदय : क्या इस सब का जिक्र खाद्य तथा कृषि मंत्रालय की मांगों पर चर्चा के समय नहीं आया था ?

श्री एम० एल० द्विवेदी : उत्पादकों की लागत व लाभ और वनस्पति के मूल्यों का प्रतिशत क्या है और मूल्यों में बराबर वृद्धि क्यों हो रही है ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न मूल प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता ।

जल-ऋतुविज्ञान अध्ययन

***१४३९. श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सन् १९५३ में दामोदर तथा मयूराक्षी नदियों के जलगृह क्षेत्रों का अग्रेतर जल-ऋतुविज्ञान अध्ययन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) सन् १९४७-४८ की वर्षा के आंकड़ों तथा इस वर्ष की वर्षा के आंकड़ों में क्या अन्तर है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां ।

(ख) खोज के परिणामों का एक संक्षिप्त विवरण सदन पटल पर रक्खा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ४]**

(ग) सन् १९४७ में दामोदर जलगृह क्षेत्र में वर्षा को २४ वर्षा-मापक केन्द्रों में मापा गया । दामोदर जलग्रह क्षेत्र की औसत वर्षा सन् १९४७ में ४६·२६" थी जब कि

१९५३ में ६२·७२" थी । सन् १९५३ के आंकड़े अधिक वर्षा-मापक केन्द्रों से लिए गए हैं और इसलिए सन् १९४७ की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय हैं ।

मयूराक्षी जलगृह की औसत वर्षा सन् १९४७ में ४९·५" थी । सन् १९५३ के आंकड़े संकलित किए जा रहे हैं ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि जलगृह क्षेत्र में वर्षा से सम्बन्धित अन्य किन समस्याओं का अध्ययन किया गया है ?

श्री राज बहादुर : न्यूनाधिक ये समस्याएं सदन पटल पर रक्खे गये विवरण में बतलाई गयी हैं, नाम प्रचलित भूतलीय वायु दिशाएं, जलग्रह क्षेत्र की औसत वर्षा, ऋतुकालीन वर्षा का वितरण इत्यादि ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि वाष्प आंकड़ों के संकलन में क्या प्रगति हो चुकी है ?

श्री राज बहादुर : इस समय मेरे पास ये आंकड़े मौजूद नहीं हैं ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि दामोदर घाटी के जल-ऋतु-विज्ञान के सम्बन्ध में कोई लेख प्रकाशित किया गया है, और यदि हां, तो क्या उसमें जलगृह क्षेत्र के नदी प्रवाह तथा जल-ऋतु-विज्ञान के मध्य के सम्बन्ध में प्रकाश डाला गया है ?

श्री राज बहादुर : दो लेख, एक दामोदर घाटी जलगृह क्षेत्र और दूसरा मयूराक्षी जलगृह क्षेत्र के सम्बन्ध में, तैयार किए गये हैं और उनके लेखकों, क्रमशः श्री प्रमाणिक तथा श्री राव, द्वारा सौंप दिए गये हैं और एक प्रकाशित हो चुका है तथा दूसरा प्रकाशित किया जा रहा है । प्राप्त परिणाम सदन पटल पर रक्खे गये, विवरण में दिए गये हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या १४४० ।

श्री मुनिस्वामी : इस प्रश्न से सम्बन्धित मेरा एक और प्रश्न है, प्रश्न १४७२ ।

उपाध्यक्ष महोदय : उनका एक साथ उत्तर दिया जा सकता है ।

रेलवे प्रहरी कर्मचारी

*१४४०. **श्री वी० मुनिस्वामी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे प्रहरी कर्मचारी भी रखती है;

(ख) वे क्या काम करते हैं;

(ग) क्या प्रहरी विभाग के स्थापित करने के पश्चात् से चोरी के मामलों की संख्या में कमी हो गई है; तथा

(घ) प्रहरी विभाग पर प्रतिवर्ष कुल कितनी राशि व्यय की जाती है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जी हां ।

(ख) ये कर्मचारी समस्त माल गोदामों, यार्डों, स्टेशनों पर खड़ी मालगाड़ियों, ब्रेक, माल के डब्बों, रेलवे कार्यालयों और इमारतों की रखवाली करते हैं तथा चलती मालगाड़ियों में पहरा देते हैं और इसी प्रकार के अन्य कार्य करते हैं ।

(ग) विभिन्न रेलों में प्रहरी विभाग के खोल दिये जाने से ऐसा प्रतीत होता है कि चोरियों की संख्या घटती जा रही है । परन्तु युद्धोत्तर-काल में यह प्रवृत्ति बिल्कुल लुप्त हो गयी थी और इस स्थिति का सामना करने के लिये सरकार प्रहरी विभाग का पुनर्संगठन कर रही है जिससे चोरियों को अधिक क्रियाकारी रूप से रोका जा सके ।

(घ) १९५२–५३ में ३·२४ करोड़ रुपये ।

रेलवे प्रहरी कर्मचारी

*१४७२. **श्री मुनिस्वामी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे के पुलिस और प्रहरी विभाग में एकीकरण करने की दृष्टि से १९५३ में संघ रेलवे मंत्री के साथ राज्यों के गृह मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ था; तथा

(ख) यदि हां, तो उस सम्मेलन में क्या निश्चय किये गये ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जी नहीं ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता ।

श्री के० सी० सोधिया : इस पुनर्संगठन का खर्च क्या है ?

रेलवे तथा तथा परिवहन मत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : अभी बतलाया गया है कि १९५२–५३ के लिये खर्च ३·२४ करोड़ रुपये था पुनर्संगठन में अधिक खर्च न होगा। किन्तु मैं ठीक ठीक आंकड़े नहीं बता सकता हूं क्योंकि योजना अभी तक तैयार नहीं है।

श्री मुनिस्वामी : क्या यह सच है कि रेलवे मंत्रालय को ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई थीं जिनमें रेलवे सम्पत्ति के चोरी किये जाने में प्रहरी कर्मचारियों का भी हाथ बताया गया था और यदि हां तो मंत्री महोदय को ऐसी कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं ?

श्री शाहनवाज़ खां : जो शिकायतें प्राप्त हुई हैं उनकी ठीक ठीक संख्या मेरे पास नहीं है किन्तु यह सच है कि कुछ चोरी के मामलों में प्रहरी कर्मचारियों का भी हाथ रहा है ?

श्री वी० पी० नायर : क्या प्रहरी विभाग का कार्यसंचालन एक ऐसा अधिकारी करता है जिसे रेलवे का सुरक्षा सलाहकार कहा जाता है तथा जिसका कार्यालय इलाहाबाद में है और क्या यह सच है कि वह विशेष अधिकारी पुलिस का सेवा-निवृत्त महा-निरीक्षक है और वह वर्तमान रेलवे मंत्री के अधीन काम करता था जबकि वह उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री थे ?

उपाध्यक्ष महोदय : आप कहना क्या चाहते हैं ? प्रत्येक प्रश्न का कोई अभिप्राय होना चाहिये ।

श्री एल० बी० शास्त्री : यह बिल्कुल सच है कि वह उत्तर प्रदेश में उस समय पुलिस का महानिरीक्षक था जबकि मैं वहां था । यह भी सच है कि उसका प्रधान कार्यालय इला-हाबाद में है । यह भी सच है कि वह प्रहरी विभाग का कार्य संचालन करता है ।

श्री मुनिस्वामी : विभिन्न जंकशनों पर प्रहरी विभाग के कर्मचारियों को किस प्रकार बांटा जाता है जबकि वहां पर पहले ही से रेलवे पुलिस काम करती है ?

श्री एल० बी० शास्त्री : रेलवे पुलिस का काम प्रहरी विभाग से बिल्कुल भिन्न है । साधारणत: प्रहरी विभाग के कर्मचारी रेलवे यार्डों और स्टेशनों पर काम करते हैं जहां पार्सल रखे रहते हैं । वे उनकी रखवाली करते हैं । यदि प्रहरी विभाग के कर्मचारी लोगों को चोरी करते हुए पकड़ते हैं तो उस का निर्देश रेलवे पुलिस को कर देते हैं और वह मुकद्दमा चलाती है या अन्य आवश्यक कार्यवाही करती है ।

श्रीमती कमलेंदुमति शाह : क्या यह सच है कि स्टेशनों पर पर्याप्त रोशनी का प्रबन्ध न होने के कारण यात्रियों को कष्ट उठाना पड़ता है ?

उपाध्यक्ष महोदय : हम सामान्य सुवि-धाओं की ओर जा रहे हैं ।

श्री आर० के० चौधरी : क्या प्रहरी विभाग के अधिकारियों के वही अधिकार

होते हैं जो पुलिस अधिकारियों के, और यदि हां, तो किस कानून के अतर्गत उन्हें यह अधिकार दिये गये हैं ?

श्री एल० बी० शास्त्री : उन्हें पुलिस के समान अधिकार प्राप्त नहीं हैं ।

श्री टी० एन० सिंह : क्या माननीय मंत्री इस सुझाव पर विचार करेंगे कि प्रहरी विभाग के वर्तमान प्रधान का नायब कोई व्यक्ति मालाबार या किसी अन्य क्षेत्र से नियुक्त किया जाये ?

सोनपुर-हाजीपुर रेलवे पुल

***१४४१. पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे के सोनपुर-हाजीपुर पुल का अनुमानित जीवन-काल तीन वर्ष हुए समाप्त हो गया था;

(ख) क्या पुल का प्रयोग जारी रखने में कोई खतरा है; तथा

(ग) क्या उस स्थान पर कोई नया रेलस-एवं-ड़क पुल बनाने का विचार है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) । (क) जी हां, केवल भारतीय सरकारी रेलवे सामान्य संहिता, जिसकी एक प्रति सदन के पुस्तकालय में उपलब्ध है, के पैरा ७०६ में उल्लिखित वार्षिक शोधन निधि के भुगतान की दृष्टि से ।

(ख) नहीं, श्रीमान् ।

(ग) एक नया पुल बनाने का सुझाव है किन्तु इस अवस्था पर यह नहीं बतलाया जा सकता है कि वह रेल एवं सड़क पुल होगा या नहीं ।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या उस क्षेत्र में रेलवे भाड़े में कोई अतिरिक्त वृद्धि की गई थी या पुल के सम्बन्ध में कोई उपकर लगा था ?

श्री शाहनवाज़ खां : मेरा ऐसा विचार नहीं है ।

पंडित डी० एन० तवारी : क्या यह सच है कि कुछ वर्ष पहले पुल पार करने के लिये लोगों और मवेशियों से कर लिया जाता था ?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य पूछना चहते हैं कि क्या कोई पथकर लिया जाता था ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है लेकिन मैं इसके बारे में पूछताछ करने के लिये तैयार हूं ।

बाबू रामनारायण सिंह : जब इस पुल की अवधि समाप्त हो चुकी है तो इसका व्यवहार क्यों किया जा रहा है ?

श्री शाहनवाज़ खां : इसलिए कि यह ज़रूरी नहीं है कि जिस वक्त उसकी उम्र हो जाय तो वह काम के लायक नहीं रहता है । आमतौर पर जो उसकी उम्र का हिसाब लगाया जाता है वह सिंकिंग फंड के हिसाब से लगाया जाता है । उस हिसाब से उसकी उम्र पूरी हो चुकी है । लेकिन सरविस के लिहाज़ से उसकी उम्र पूरी नहीं हुई है और बड़े अच्छे इंजिनियर्स ने उसका मुआयना कर लिया है और उनकी राय है कि उसमें कोई खतरा नहीं है ।

जहाज़ों द्वारा तेल का ढोया जाना

***१४४२. श्री एम० एल० द्विवेदी** : (क) क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तटीय व्यापार को भारतीय नौवहन के लिये सुरक्षित करने के बाद भी भारत सरकार और कुछ विदेशी तेल कम्पनियों के बीच यह समझौता कैसे हो गया कि वे तेल तट तक ला सकती हैं ?

(ख) तट तक तेल लाने के अलावा क्या विदेशी तेल कम्पनियों को कोई अतिरिक्त अधिकार भी दिये गये हैं कि वे और जहाज़ों की व्यवस्था कर सकती हैं, और यदि हां, तो कितने जहाज़ों की ?

(ग) इस प्रकार जहाज़ों की व्यवस्था करने के क्या कारण हैं ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) ऐसा आवश्यक समझा गया क्योंकि उस समय यह आशा नहीं की जाती थी कि इतनी जल्दी भारतीय रजिस्ट्री के लिये टैंकर प्राप्त किये जा सकेंगे । फिर भी, तेल कम्पनियों के साथ हुए समझौते में उन टैंकरों के प्रयोग में लाये जाने की व्यवस्था है जो भारत सरकार के हों या किसी ऐसे नौवहन निगम के हों जिसके अधिकतर शेयर सरकार के हों ।

(ख) तेल या उससे बनी वस्तुओं को लाने या ले जाने के सम्बन्ध में जितने टैंकरों की आवश्यकता हो कम्पनियां उनकी व्यवस्था करने के बारे में स्वतन्त्र हैं ।

(ग) उत्पन्न नहीं होता ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : कौन कौन सी विदेशी कम्पनियों से सरकार ने ऐसा समझौता किया है और उनको प्रति साल कितना पेमेंट किया जायगा ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : ख़ास तौर पर तो बरमा शैल है, फिर एस० वी० ओ० सी०, स्टैंडर्ड वैक्युअम आयल कम्पनी, और काल्टैक्स हैं । जहां तक इनको रुपये देने की बात है वह मैं समझ नहीं सका, उनको कोई खास देना तो नहीं है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : जो एग्रीमेंट तेल लाने के एवज़ वगैरह के लिये है, तो उसके लिये जो रुपया मिलेगा वह कुल कितना रुपया विदेशी कम्पनियों को सरकार से तेल लाने की एवज़ में मिलेगा ?

श्री एल० बी० शास्त्री : यह तो अभी तेल पैदा करेंगी, फिर कितना तेल होगा, उसके बाद यह सब बातें देखनी पड़ेंगी ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : क्या सरकार ने इस सम्बम्ध में कोई ठोस कार्यवाही की है कि जब तेल तैयार होने लगे तो उसका अधिकतर भाग ऐसे जहाजों में ले जाया जाये जिनकी व्यवस्था हम स्वयं करें ?

श्री शाहनवाज़ खां : इस समय तो हम किसी जहाज़ की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं क्योंकि तेल का ढोना एक विशिष्ट व्यापार है । वह टैंकरों में ढोया जाता है । हमारे पास कोई टैंकर नहीं हैं ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या यह कोशिश की जा रही है कि निकट भविष्य में आयल टैंकर हो जायं ? यदि हां तो यह कब तक सम्भव होगा ?

श्री शाहनवाज़ खां : इस बात की बहुत ज्यादा ज़रूरत महसूस की जा रही है कि हिन्दुस्तान के अपने टैंकर्स हों और इसी चीज़ को मद्देनज़र रख कर दो टैंकर्स का बहुत जल्दी इन्तज़ाम किया जाने वाला है ।

टेलीफोन संदेश पर प्रणाली

*१४४३. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **संचार** मंत्री ४ अगस्त, १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १२४ के उत्तर का निर्देश करने की कृपा करेंगे और यह बतायेंगे :

(क) क्या टेलीफ़ोन प्रणाली की जांच पूरी हो चुकी है; तथा

(ख) यदि हां, तो सरकार हैदराबाद टैलीफ़ोन एक्सचेंज में 'संदेश दर' प्रणाली को कब तक जारी करने का विचार करती है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां ।

(ख) 'संदेश दर' प्रणाली को लागू करन के लिये प्रबन्ध किये जा रहे हैं। इसे लागू करने की ठीक ठीक तारीख़ इन प्रबन्धों के पूरे हो जाने पर निर्भर है।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : क्या हैदराबाद और सिकन्दराबाद के व्यापारी इस सन्देश दर प्रणाली के लागू होने के विरोध में हैं ?

श्री राज बहादुर : संदेश दर प्रणाली से अन्त में ग्राहकों और प्रणाली दोनों को ही फ़ायदा होता है। ग्राहकों को उसके फ़ायदों का तब ही पता चलता है जब वे उसका प्रयोग करने लगते हैं।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : क्या हैदराबाद सरकार से इस मामले में राय ली गई है ?

श्री राज बहादुर : उनसे राय ले ली गई है। उनको एक आपत्ति यह थी कि इससे उनके टेलीफ़ोन संदेशों का ख़र्चा बहुत बढ़ जायेगा; परन्तु वहां सौ लाइन वाला एक पी० बी० एक्स बोर्ड स्थापित कर दिया जायेगा, जिससे उनकी कठिनाई दूर हो जायेगी।

श्री मुहीउद्दीन : वहां नया एक्सचेंज कब स्थापित किया जायेगा और यह संदेश दर प्रणाली इसके स्थापित होने के पहले लागू की जायेगी या बाद में ?

श्री राज बहादुर : वास्तव में, संदेश दर प्रणाली के लागू होने के बारे में फ़ैसला हो जाने के बाद, हैदराबाद सरकार ने यह आपत्ति उठाई थी, जो मैं आपको अभी बता चुका हूं, और यह पी० बी० एक्स बोर्ड की स्थापना से दूर हो जायेगी। हम मीटर निरीक्षण की भी व्यवस्था कर रहे हैं ताकि ख़राब मीटर आदि के कारण कोई गलती न हो। नये एक्सचेंज स्थापित करने का प्रश्न इससे सम्बन्धित नहीं है।

श्री हैडा : यदि इस संदेश दर प्रणाली को लागू करने का कारण यह है कि मशीनरी पर भार ज़्यादा पड़ने लगा है तो क्या सरकार समझती है कि जब नई मशीन काम करने लगेगी, तब भी इस प्रणाली को लागू करने की आवश्यकता होगी ?

श्री राज बहादुर : जी हां, तब भी होगी।

श्री टी० एन० सिंह : संदेश दर प्रणाली के अन्तर्गत जैसे दिल्ली में, सरकार को लखनऊ के टेलीफ़ोन कनेक्शन के मुक़ाबले में, जहां संदेश दर प्रणाली नहीं है, प्रति टेलीफ़ोन कितना खर्चा आता है ? कौन सा ज़्यादा है ?

श्री राज बहादुर : इसमें.....

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न हैदराबाद के बारे में है।

श्री टी० एन० सिंह : उन्होंने कहा था कि यह सस्ता रहता है। इसीलिये मैं पूछ रहा हूं।

श्री राज बहादुर : इसमें दोनों को....

उपाध्यक्ष महोदय : आप इसका उत्तर न दें।

कोयले के डिब्बे

*१४४५. **चौ० रघुवीर सिंह** : (क) क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गलत रास्तों पर गये या लापता कोयले के डिब्बों का पता लगाने के लिये किस प्रकार कार्यवाही की जाती है ?

(ख) क्या यह सच है कि अहमदाबाद क्षेत्र में कोयले के लापता डिब्बे काफी संख्या में पहुंचते हैं ?

(ग) यदि हां, तो उनका क्या किया जाता है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) अपेक्षित सूचना का एक विवरण सदन-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट, ६, अनुबन्ध संख्या ५**]

चौ० रघुवीर सिंह : क्या रेलवे अधिकारियों ने कभी इस बात की जांच की थी कि ये डिब्बे लापता किस तरह से हो जाते हैं ?

श्री शाहनवाज़ खां : जांच तो प्रत्येक मामले में की जाती है। लापता डिब्बों का पता लगाने के लिये एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन पर पूछताछ की जाती है। प्रत्येक मामले में अच्छी तरह छानबीन की जाती है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि ये डिब्बे किन परिस्थितियों में लापता हो जाते हैं।

चौ० रघुवीर सिंह : क्या यह सच है कि ये लापता डिब्बे अधिकांश रूप में अहमदाबाद हार्ड-कोक डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी को दे दिये जाते हैं ?

श्री शाहनवाज़ खां : यह बात पूरी तरह से सही नहीं है क्योंकि इनमें से बहुत से डिब्बे रेलवे के मेकेनिकल विभाग को दिये जाते हैं और यदि उसे उनकी ज़रूरत नहीं होती, तब ही वे इस कम्पनी को दिये जाते हैं।

चौ० रघुवीर सिंह : १९५३ और १९५४ में कोयले के कितने डिब्बे लापता हुए ?

श्री शाहनवाज़ खां : १९५३–५४ में १६९ डिब्बे रेलवे को दिये गये और २८४ हार्ड कोक कम्पनी को।

इंडियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज़

*१४४६. **श्री वी० पी० नायर :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन टेलीफ़ोन इंडस्ट्रीज़ लि० बंगलौर में न्यूनतम मूल मज़दूरी कितनी है;

(ख) क्या यह सच है कि इंडियन टेलीफ़ोन इंडस्ट्रीज़ में मूल मज़दूरी हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट लिमिटेड बंगलौर से कम है; तथा

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) महंगाई भत्ता सहित ५८ रुपये ८ आने।

(ख) तथा (ग). इंडियन टेलीफ़ोन इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की मज़दूरी और हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट लिमिटेड की मज़दूरी में कुछ अन्तर है। वहां की न्यूनतम मज़दूरी हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट लिमिटेड से तो अवश्य कुछ कम है परन्तु अन्य कई स्थानीय उद्योगों के मुक़ाबले में काफ़ी ज़्यादा है।

श्री वी० पी० नायर : क्या यह सच नहीं है कि मज़दूर संघ ने हाल ही में यह मांग रखी है कि उनकी न्यूनतम मूल मज़दूरी हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट फ़ैक्टरी के बराबर होनी चाहिए; यदि ऐसी बात है तो सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है ?

श्री राज बहादुर : मैं आपको बता चुका हूं कि वहां जो नौ बड़ी बड़ी फ़ैक्टरियां चल रही हैं उनमें से आठ में इंडियन टेलीफ़ोन इंडस्ट्रीज़ के मुकाबले में काफ़ी कम मज़दूरी दी जाती है।

श्री वी० पी० नायर : क्या सरकार को पता है कि इंडियन टेलीफ़ोन इंडस्ट्रीज़ की फ़ैक्टरी में आसपास रहने की व्यवस्था न होने तथा स्पेशल गाड़ियों का प्रबन्ध न होने के कारण न्यूनतम मज़दूरी पाने वाले मज़दूरों को अपनी मज़दूरी का एक तिहाई या आधा भाग शहर के मकानों के किराये और गाड़ियों में आने जाने पर खर्च करना पड़ता है ?

श्री राज बहादुर : माननीय सदस्य जानते होंगे कि इंडियन टेलीफ़ोन इंडस्ट्रीज़ ने स्पेशल बसों आदि से मज़दूरों के आने जाने की कुछ व्यवस्था की है।

श्री बी० एस० मूर्ति : सरकार द्वारा टेलीफ़ोन इंडस्ट्रीज में हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट फैक्टरी जैसी ही मज़दूरी दिये जाने में क्या रुकावटें हैं ?

श्री राज बहादुर : इंडियन टेलीफ़ोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड भारतीय समवाय अधिनियम के अन्तर्गत एक जाइंट स्टॉक कम्पनी के रूप में कार्य कर रही है। वे अपने बारे में स्वयं निर्णय करती है। उसे अन्य फ़ैक्टरियों में दी जाने वाली मज़दूरी का भी ध्यान रखना होता है। मैसूर सरकार द्वारा चलाई जाने वाली पांच फ़ैक्टरियों में मज़दूरी की दर २८ रुपये से ४७ रुपये तक है।

श्री वी० पी० नायर : माननीय मंत्री ने अभी कहा कि यातायात के लिये कुछ व्यवस्था की गई है। क्या मैं जान सकता हूं कि इंडियन टेलीफ़ोन इंडस्ट्रीज़ के कितने मज़दूर यातायात की इस व्यवस्था से लाभ उठाते हैं और फ़ैक्टरी द्वारा फ़ैक्टरी के अहाते में ही या आसपास कितने प्रतिशत मज़दूरों को मकान दिये गये हैं ?

श्री राज बहादुर : इसके लिये आप एक अलग प्रश्न की सूचना दें। मैं माननीय सदस्य को इतना बता सकता हूं कि रेलों के आने जाने का जो समय है और बसों का जो प्रबन्ध है उससे मज़दूरों को कोई ख़ास असुविधा नहीं होती।

श्री वी० पी० नायर : कुछ नहीं किया जाता।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री कहते हैं कि सब कुछ किया जा रहा है।

श्री वी० पी० नायर : मैं तो अभी हाल में वहां गया था।

उपाध्यक्ष महोदय : यह प्रश्नों का घंटा है।

विशेष औद्योगिक न्यायाधिकरण, मद्रास

*१४४८. **श्री संगण्णा :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को एमेलगमेशन्स लिमिटेड, मद्रास के मज़दूरों और प्रबन्धकों के बीच झगड़े के बारे में विशेष औद्योगिक न्यायाधिकरण के निर्णय का पता है; तथा

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर 'हां' में हो, तो क्या सरकार इस निर्णय को ध्यान में रखते हुए कोई कार्यवाही करने का विचार करती है?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) जी हां।

(ख) न्यायाधिकरण ने औद्योगिक विवादों से सम्बधित केन्द्रीय विधानों के अन्तर्गत मुकद्दमेबाज़ी के क्षेत्र को सीमित रखने की वांछनीयता पर ज़ोर दिया है। सरकार पहले से ही औद्योगिक सम्बन्धों से सम्बन्धित क़ानून के पुनरीक्षण के सुझावों के सिलसिले में इसे क्रियान्वित करने का उपाय कर रही है।

श्री संगण्णा : क्या यह उपपत्तियां अन्य औद्योगिक मज़दूरों पर भी लागू होंगी ?

श्री वी० वी० गिरि : नहीं हो सकतीं।

अखिल भारतीय कृषक सम्मेलन

*१४४९. **श्री विभूति मिश्र :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि कृषि मंत्रालय की ओर से दिल्ली में एक अखिल भारतीय सम्मेलन बुलाये जाने का कोई विचार है;

(ख) कृषकों के प्रतिनिधियों को किस द्वारा और किस प्रकार बुना जायेगा; और

(ग) किस प्रयोजन के लिए सम्मेलन बुलाया गया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) से (ग). इस सम्बन्ध में दिये गये एक सुझाव पर विचार किया जा रहा है।

श्री विभूति मिश्र : क्या सरकार इस कानफरेंस में आने वाले किसानों को रेलवे के भाड़े वगैरह में सहूलियत देगी ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : इस सब चीज़ का अभी निर्णय नहीं किया गया है।

श्री विभूति मिश्र : जो यह सम्मेलन सरकार कर रही है, इस को क्या वह स्थायी संस्था बनाना चाहती है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : मुझे प्रश्न समझ में नहीं आया।

श्री विभूति मिश्र : सरकार जो यह किसानों का सम्मेलन कर रही है इसमें क्या कोई परमानेंट आर्गेनाइज़ेशन क़ायम किया जायेगा ?

उपाध्यक्ष महोदव : क्या कोई स्थायी संगठन स्थापित किया जा रहा है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : अभी तक विस्तृत बातें तय नहीं की गई हैं। गत सितम्बर में कृषि मंत्रियों के सम्मेलन में यह प्रस्थापना रखी गई थी कि देश के किसानों के वास्तविक प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन दिल्ली में बुलाया जाये। इस की सारी बातें अभी निश्चित नहीं की गई हैं और अन्तिम निश्चय भी अभी नहीं किया गया।

श्री राधेलाल व्यास : यह सम्मेलन बुलाने के लिए दिल्ली को क्यों चुना गया और और कोई अन्य केन्द्रीय स्थान अथवा ऐसा स्थान जहां अत्यधिक कृषि होती है क्यों नहीं चुना गया ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : दिल्ली को चुनने के कारणों में से एक कारण यह है कि वास्तविक किसान दिल्ली को देख सकें और उन्हें संसद् में यह देखने का अवसर प्राप्त हो सके कि उसमें कैसे कार्य होता है और उनके प्रतिनिधि कैसे कार्य करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री का उत्तर निस्संदेह हास्यपूर्ण है परन्तु संसद् में इस उत्तर की आज्ञा नहीं की जाती। माननीय मंत्री को यह उत्तर देना चाहिये कि सब स्थानों की अपेक्षा दिल्ली को क्यों चुना गया है, जहां तक कृषि का सम्बन्ध है दिल्ली में क्या विशेष सुविधाएं हैं, यह सम्मेलन नागपुर इत्यादि किसी केन्द्रीय स्थान पर क्यों न बुलाया जाये।

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : वस्तुतः मेरा अभिप्राय परिहास से नहीं था। दिल्ली को चुनने के कारणों में से एक यह था कि वास्तविक किसानों को यह अवसर प्राप्त हो कि वे दिल्ली को देखें, और संसदीय सत्रों में आकर देखें कि संसद् किस प्रकार कार्य करती है और उनके प्रतिनिधि यहां किस प्रकार कार्य करते हैं। राज्यों के कृषि मंत्रियों में से एक ने यह बात व्यक्त की थी। मेरा अभिप्राय परिहास से कदापि नहीं था।

श्री बेली राम दास : सरकार किसानों के वास्तविक प्रतिनिधियों को चुनने के लिए क्या ढंग अपनायेगी ?

उपाध्यक्ष महोदय : कोई व्यक्ति प्रश्न नहीं समझ सका।

डा० सुरेश चन्द्र : श्रीमान् मैं जान सकता हूं.....

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति शान्ति। माननीय सदस्य को जल्दी क्या है ?

डा० सुरेश चन्द्र : मैंने समझा कि वे समाप्त कर चुके हैं, मुझे खेद है।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि उन्होंने समाप्त भी कर दिया है तो उन्हें उत्तर तो नहीं मिला प्रश्न क्या है ?

श्री बेली राम दास : मैं जानना चाहता हूं कि सरकार इस सम्मेलन में किसानों के वास्तविक प्रतिनिधि चुनने के लिए क्या ढंग अपनायेगी।

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : मैंने पहले ही बता दिया है कि इस सम्बन्ध में सारी बातों का अभी निश्चय नहीं हुआ है, परन्तु सरकार

का एक अभिप्राय यह भी है कि किसानों के वास्तविक प्रतिनिधियों को इस सम्मेलन में आने का अवसर मिले। भले ही वे निरक्षर हों हम द्विभाषिये नियुक्त करने के लिए तैयार हैं और प्रयत्न करेंगे कि केवल वास्तविक किसान इस में आयें।

कुछ माननीय सदस्य खड़े हुए—

उपाध्यक्ष महोदय : डा० सुरेशचन्द्र।

श्री जुगल किशोर : क्या मंत्री महोदय किसान की परिभाषा बतला सकते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य डा० सुरेश चन्द्र हैं ?

डा० सुरेश चन्द्र : माननीय मंत्री ने अभी बताया है कि इन किसानों को दिल्ली और संसद् का कार्य देखने के लिए बुलाया गया है। क्या किसानों को सम्मेलन से पूर्व इस प्रकार की कोई सूचना दी गई है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : माननीय सदस्य का यह कहना गलत है कि केवल यही एक कारण है। भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले कृषि मंत्रियों में से एक ने यह कारण बताया था कि उन्हें संसद् की कार्यवाही देखने का अवसर मिलना चाहिये।

ठाकुर युगल किशोर सिंह : क्या सरकार किसान की परिभाषा बतला सकती है ?

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न क्या है ?

ठाकुर युगलकिशोर सिंह : किसान की परिभाषा क्या है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : खेतों में जो काम करता है वह किसान है।

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसा प्रश्न प्रस्तुत करने का क्या लाभ है। प्रत्येक सदस्य जानता है कि किसान क्या है।

बम्बई श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण का निर्णय

*१४५०. **श्री टी० बी० विट्ठल राव** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार का ध्यान उस निर्णय की ओर दिलाया गया है जो **बम्बई** अपीलीय न्यायाधिकरण ने बुरहानपुर राष्ट्रीय कपड़ा उद्योग श्रमिक संघ के पंजीयन को रद्द करने के सम्बन्ध में दिया है; और

(ख) यदि ऐसा है तो क्या सरकार उसकी एक प्रति सदन पटल पर रखने का विचार रखती है ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं, क्योंकि उस निर्णय का विषय राज्य सरकार और राज्य विधान-मंडल के क्षेत्राधिकार में आता है।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : क्या इस निर्णय के पश्चात् सरकार ने मध्य प्रदेश के विभिन्न संघों की सदस्यता की जांच करने के लिए कोई कार्यवाही की है जबकि उसे इस बात का निश्चय करना था कि भारत का केन्द्रीय मज़दूर संघ संघठन ही श्रमिकों का सबसे अधिक प्रतिनिधित्व करता है ?

श्री वी० वी० गिरि : यह राज्य सरकार का कार्य है।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : क्योंकि इसबात का निश्चय करना कि कौन सा केन्द्रीय मज़दूर संघ संघटन श्रमिकों का सब से अधिक प्रतिनिधित्व करता है केन्द्रीय सरकार का कार्य है, मैं जान सकता हूं कि केन्द्रीय सरकार ने सदस्यता की जांच के लिए क्या कार्यवाही की है ?

श्री वी० वी० गिरि : मेरा विचार है कि यह बाद में किया गया था।

आन्ध्र में जल संरक्षण

*१४५१. **श्री विश्वनाथ रेड्डी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों में जल संरक्षण की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए आंध्र के क्षत्र में पदाधिकारियों का एक दल भजेने का विचार है; और

(ख) यदि ऐसा है तो इस योजना की स्थिति क्या है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) तथा (ख). आंध्र सरकार को यह सुझाव दिया गया था कि उन की विभिन्न अधिक अन्न उपजाओ योजनाओं की जांच के लिए, जो कि पहली पंच वर्षीय योजना की कालावधि में आरम्भ की जा सकती है, पदाधिकारियों का एक दल भेजा जाय। यद्यपि सूखा-ग्रस्त क्षत्रों में संरक्षण के अध्ययन का उस में विशेष उल्लेख नहीं था, यह प्रस्तावित दल राज्य की छोटी सिंचाई योजनाओं की जांच करते हुए इस विषय को भी ले सकता था। राज्य सरकार ने प्रस्थापना को स्वीकार कर लिया है परन्तु इस दल के दौरे की तिथि निश्चित नहीं की क्योंकि वहां के विकास विभाग का पुनर्संघटन होना है।

श्री विश्वनाथ रेड्डी : क्या इन प्रस्थापनाओं में सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों में अधो-भूमि संसाधनों की जांच भी सम्मिलित है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : मैं ने पहले ही मुख्य उत्तर में बता दिया है कि वह दल जिन बातों की जांच करेगा उन में एक यह भी हो सकती है ।

श्री विश्वनाथ रेड्डी : क्या देश के अन्य भागों में भी, जो सूखा-ग्रस्त हैं ऐसी जांच करने का विचार है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : आंध्र राज्य के निर्माण के शीघ्र बाद, २५ अक्तूबर १९५३ को मैं वहां गया था और वापस आकर मैं ने इस प्रस्थापना के सम्बन्ध में कृषि मंत्री से विस्तारपूर्वक बातचीत की थी । तत्पश्चात कृषि मंत्री ने आंध्र राज्य के मुख्य मंत्री को एक अर्धसरकारी पत्र लिखा था जिस में यह सुझाव दिया गया था कि पदाधिकारियों का एक दल वहां भजा जाय जो उन विभिन्न योजनाओं की जांच करे जो छोट सिंचाई कार्यों के अधीन आरम्भ की जानी हैं।

श्री विश्वनाथ रेड्डी: मैं जान सकता हूं कि इन प्रस्थापनाओं को अन्तिम रूप कब दिया जायगा और पदाधिकारियों का दल वस्तुतः कब भेजा जायेगा ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : हम आंध्र राज्य के मुख्य मंत्री के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

श्री लक्ष्मय्या : इस दशा में कितने पदाधिकारी होंगे ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : इस में हमारे मंत्रालय के चार, पांच विशेषज्ञ होंगे ।

श्री लक्ष्मय्या : क्या पदाधिकारियों के इस दल ने जिन योजनाओं का अनुसन्धान करना है उन में आड़े बांध बनाने की योजना भी है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : आंध्र में ज़िला चित्तूर के रायलसीमा क्षेत्र में यह कार्य पहले ही किया जा रहा है। मेरा विचार है कि यह दल इस बात पर भी विचार करेगा।

रेलवे पर दावे

*१४५२. **श्री विश्वनाथ राय** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) पूर्वोत्तर रेलवे में १९५२-५३ में तथा १९५३-५४ में अब तक दर्ज किये गये दावों की संख्या क्या है तथा इन वर्षों में कितनी राशि का दावा किया गया है; तथा

(ख) क्या यह सच है कि दावों के निबटारे में बहुधा विलम्ब होता है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां): (क) किये गये दावों की राशि बताने वाले आंकड़े रेलवे द्वारा नहीं रखे जाते हैं । १९५२–५३ में पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा निबटाये गये दावे की संख्या तथा भुगतान की गई धन राशि क्रमशः ३३,९०५ तथा ३६·७६ लाख रुपये थी । १९५३-५४ में जनवरी '५४ के अन्त तक निबटाय गये दावों की संख्या तथा भुगतान की गई राशि क्रमशः लगभग २७,९०४ तथा २९·४९ लाख रुपये थी ।

(ख) उलझे हुए मामलों में कुछ विलम्ब होता है, किन्तु दाव सम्बन्धी सभी मामलों में शीघ्रगामी कार्यवाहियां करने के लिये निदेश जारी कर दिये गये हैं ।

श्री विश्वनाथ राय : क्या गोरखपुर से दावा कार्यालय के स्थानान्तरण होने के बाद से दावों के निबटारे में कोई सुधार हुआ है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : माननीय सदस्य का तात्पर्य कलकत्ते को स्थानान्तरण से है ? उस में कोई अवनति भी नहीं हुई है ।

श्री रघुनाथ सिंह : एक वर्ष के अन्दर कितने क्लेम्स का भुगतान हुआ है ?

श्री शाहनवाज़ खां : अभी अर्ज़ कर चुका हूं ।

श्री मुनिस्वामी : जिन मामलों में अधिक क्षतिपूर्ति के दावे किये थे, उन के सम्बन्ध में निर्णय करन से पूर्व उस विषय की जांच करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्य-वाहियां की गई थीं ?

श्री शाहनवाज़ खां : दावे का अन्तिम निर्णय करने से पूर्व तथा भुगतान किये जाने से पूर्व विस्तृत जांच-पड़ताल की जाती है, जिस के पश्चात् ही दावे का निबटारा किया जाता है ।

श्री मुनिस्वामी : क्या यह सच है कि उन मामलों की जांच-पड़ताल करने के लिये एक विशष अधिकारी की नियुक्ति की गई थी जिन में अधिक क्षतिपूर्ति के दावे किये गये थे, और यदि ऐसा है तो वह अधिकारी कौन था ?

श्री शाहनवाज़ खां : यह एक बहुत साधारण सी घटना है कि अत्यधिक बढ़-चढ़े दावे प्रस्तुत किए जाते हैं किन्तु रेलवे प्रत्येक मामले की गहरी छानबीन करने के पश्चात् ही दावों का निबटारा करती है ।

रेलवे की शिकायतें

***१४५३. ठाकुर युगल किशोर सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) जनता द्वारा की गई शिकायतों का निबटारा करने के लिये सरकार द्वारा रखी गई प्रक्रिया;

(ख) सरकार ने इस बात का निश्चय करने के लिये कि शिकायतों का निबटारा तत्काल ही हो सके, क्या कार्यवाहियां की हैं; तथा

(ग) क्या यह प्रथागत है कि ऐसे मामलों में कर्मचारियों को दिये गये दण्ड का विस्तार शिकायत करने वालों पर प्रकट न किया जाय ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां): (क) प्रत्येक रेलवे प्रशासन के मुख्यालयों में सभी प्रकार की शिकायतों का निबटारा करने के लिये शिकायत विभाग नामक एक विशेष विभाग की व्यवस्था की गई है ।

(ख) प्रत्येक रेलवे प्रशासन को प्राप्त हुई तथा जांच की गई शिकायतों की संख्या तथा एक शिकायत को दूर करने में कितना औसत समय लगा, इस सम्बन्ध में सूचना देने वाला

एक त्रैमासिक प्रतिवेदन रेलवे बोर्ड को प्रस्तुत करना पड़ता है ।

(ग) हां ।

ठाकुर युगल किशोर सिंह : क्या सरकार यह बतला सकती है कि एक केस के डिस्पोजल में औसतल कितना समय लगता है ?

श्री शाहनवाज़ खां : यह शिकायत की प्रकार पर निर्भर है ।

ठाकुर युगल किशोर सिंह : मेरा सवाल यह है कि ऐवरेज क्या है ।

श्री एल० बी० शास्त्री : इस बात का ऐवरेज तो नहीं निकाला गया है, लेकिन आम तौर से जितनी जल्दी मुमकिन होता है खत्म करने की कोशिश की जाती है ।

ठाकुर युगल किशोर सिंह : वार्षिक रिपोर्ट जो भेजी जाती है इस से क्या पता चलता है कि तीन महीने के अन्दर कम्प्लेन्ट्स का फैसला हो जाता है या नहीं ?

श्री एल० बी० शास्त्री : तीन महीने से पहले ही हो जाता है, कुछ केसेज में मुमकिन है तीन महीने लग जाते हों, लेकिन आम तौर से इस से जल्दी हो जाना चाहिये ।

पंडित सी० एन० मालवीय : क्या यह सही है कि सेन्ट्रल रेलवे पर कोई ऐसा कायदा है कि पांच रुपये तक की कम्प्लेन्ट्स नहीं ली जातीं, और भोपाल के व्यापारियों की तरफ से क्या कोई शिकायत मिली है कि उन का जो माल होता है उस में नुकसान पांच रुपये से ज्यादा का नहीं होता, और इस लिये उन की सुनवाई नहीं होती ?

श्री एल० बी० शास्त्री : यह शिकायतें जो हैं वह बिल्कुल दूसरी चीज़ के लिये हैं । यह शिकायतें उन के लिये हैं जो कि पैसेन्जर्स ट्रैवेल करते हैं और वह शिकायतें करते हैं, बिजिनेसमैनों की कम्प्लेन्ट्स नहीं हैं । लेकिन मैं यह समझा नहीं कि पांच रुपये से कम की कम्प्लेन्ट्स नहीं ली जातीं ।

श्री जी० एस० सिंह : समतल-पारणों पर जो शिकायत पुस्तिकायें रखी गई है, क्या अधिकारियों द्वारा उन का निरीक्षण किया जाता है और यदि किया जाता है तो कितने कितने समय के उपरान्त ?

श्री शाहनवाज़ खां : समतल-पारणों पर रखी गई शिकायत-पुस्तिकाओं का निरीक्षण सम्बन्धित निरीक्षकों द्वारा नियमित रूप से किया जाता है ।

डा० सुरेश चन्द्र : क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या ऐसी भी शिकायतें आई हैं कि रेलवे अधिकारियों ने शिकायत की पुस्तकें देने से इन्कार किया है ?

श्री शाहनवाज़ खां : जी हां, कई दफा ऐसी भी शिकायतें आई हैं कि रेलवे मुलाजमीन ने किताब देने से इन्कार किया है, और उन के ख़िलाफ मुनासिब कार्यवाही की गई ।

श्री एच० जी० वैष्णव : क्या अधिकारी-गण समाचारपत्रों में प्रकाशित शिकायतों की ओर कोई ध्यान देते हैं ?

श्री एल० बी० शास्त्री : हां । समाचार-पत्रों की कतरनें रेलवे बोर्ड में प्राप्त होती हैं तथा जनरल मैनेजर भी उन को देखते हैं और कार्यवाही की जाती है ।

श्री दाभी : क्या मैं इस का कारण जान सकता हूं कि कर्मचारियों को दिया गया दण्ड शिकायत करनें वालों को क्यों नहीं बताया जाता है ?

श्री शाहनवाज़ खां : इस के विभिन्न कारण हैं । पहले तो दण्ड देने से पूर्व दण्ड दिये जाने वाले व्यक्ति के सम्बन्ध में विभिन्न बातों पर विचार करना पड़ता है । कभी-कभी यह भी हो सकता है कि किसी अपराध के लिये अलग-अलग दण्ड भी दिया जा सकता है । अतः हम बाहर किसी प्रकार का विवाद

उत्पन्न नहीं करना चाहते । कर्मचारियों के लिये अपील करने का मार्ग भी खुला हुआ है और यह प्रक्रिया बड़ी लम्बी है । अपील के सम्बन्ध में तय हो जाने से पूर्व हम कोई सूचना देना नहीं चाहते हैं ।

चांदा में सरकारी अस्पताल

*१४५४. **श्री के० सी० सोधिया** : (क) क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या मध्य प्रदेश में चांदा के सरकारी अस्पताल में प्रसूति ब्लाक बनवाने का कार्य पूरा हो गया है ।

(ख) इस के अन्तर्ग्रस्त योग लागत कितनी है और चारपाइयों की कितनी संख्या होगी ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि): (क) हां ।

(ख) अनावर्तक अनुमानित योग लागत ६७,३०० रु० तथा वार्षिक आवर्तक लागत १,००० रु० है । १० चारपाइयों की व्यवस्था की गई है ।

श्री के० सी० सोधिया : यह व्यवस्था कितने मज़दूरों के लिये की गई है ?

श्री वी० वी० गिरि : मुझे निश्चय ज्ञात नहीं है अतः इस समय मैं नहीं बता सकता । मैं माननीय सदस्य को निश्चय ही इस की सूचना दूंगा यदि वह चाहेंगे तो ।

श्री के० सी० सोधिया : क्या अस्पताल को सेवा के लिये कोई अनुदान दिया जा रहा है ?

श्री वी० वी० गिरि: इमारत की मरम्मत, फर्नीचर तथा प्रतिस्थापन सम्बन्धी आवर्तक व्यय चांदा के मान्य अस्पताल द्वारा किया जायगा । खानों में कार्य करने वाले बीमारों को कमरे बिना किराये के दिये जायंगे । अस्पताल की सभी उपलब्ध औषधियां उन को निःशुल्क दी जायंगी ।उन के लिये यदि किसी विशेषउपचारकी आवश्यकता होगी तो उस का व्यय सम्बन्धित खानों को ही देना पड़ेगा । प्रसूति तथा बच्चों के मामलों में एक्स-रे आपरेशन तथा प्रजनन की कोई फीस नहीं ली जायगी ।

श्री बी० एस० मूर्त्ति : क्या १० चारपाइयों से ही, जिस की व्यवस्था कर दी गई है, आवश्यकता पूरी हो जायगी ?

श्री वी० वी० गिरि : हां ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : कोयला खान श्रम हितकारी संगठन निधि द्वारा इस प्रसूति ब्लाक को कितना वार्षिक चन्दा दिया जाता है ?

श्री वी० वी० गिरि : मुझे खेद है कि सूचना उपलब्ध नहीं है; मैं माननीय सदस्य को यह सूचना दे दूंगा ।

अभ्रक खान उद्योग

*१४५५. **श्री के० पी० त्रिपाठी** : (क) **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या जीविका विशेष के कारण उत्पन्न होने वाले रोग के सम्बन्ध में बिहार के अभ्रक खान उद्योग में कोई सर्वेक्षण किया गया था ?

(ख) यदि ऐसा है, तो (१) नोडुलर कोंग्लोमरेट सिलिकोसिस और फेफड़े के क्षय रोग के सम्बन्ध में क्या उपपत्ति है ?

(ग) इन जीवकाओं में काम करने वाले लोगों को उड़ने वाली धूल की कितनी मात्रा का सामना करना पड़ता है ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) जी हां ।

(ख) चूंकि यह रोग इस प्रकार के वातावरण में अधिक समय तक काम करने के कारण बढ़ता है, इसलिये जिन मज़दूरों ने भूमि व्यधम कार्य (ड्रिलिंग) ३ वर्ष तक किया था तथा जिन्हें भूमि के अन्दर काम करने का पांच वर्ष का अनुभव था उन्हें परीक्षित ३२९ व्यक्तियों में विस्तृत जांच पड़ताल के लिये चुना गया था, नोडुलर तथा कोंग्लोमरेट सिलिको सिस रोग के मामलो में ३४ प्रतिशत

पाया गया था और यह इन जीविकाओं में काम करने के कारण उड़ने वाली धूल की मात्रा का सामना करने से तथा इन जीवकाओं में उन लोगों ने जितने समय तक काम किया था उस से सीधे सम्बन्धित है; (२) १८.६ प्रतिशत में फेफड़ों का क्षय रोग पाया गया था।

(ग) यह भिन्न भिन्न जीविकाओं में भिन्न भिन्न रूप से पाया जाता है और यह वायु की शक्ति से किये जाने वाले भूमि व्यधन (न्यूमेटिक ड्रिलिंग) में, जिस में धूल नियंत्रण उपाय नहीं किये जाते, सब से अधिक होता है (प्रति घन फुट औसत ८० करोड़ कण), तथा सिंचित भूमि व्यधन (वेट ड्रिलिंग) में सब से कम होता है (प्रति घन फुट औसत ७० करोड़ कण)। एक विस्तृत विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ६]**

शिला धूल में, जिस के वातावरण में खान में काम करने वाले मज़दूरों को काम करना पड़ता है, सिलिका की मात्रा ११ प्रतिशत से ६७ प्रतिशत होती है, जिस में ४२ प्रतिशत माध्यम होता है।

श्री के० पी० त्रिपाठी : जो विस्तृत रिपोर्ट अब दी जा रही है उस से यह पता लगता है कि इन खानों में हालात बहुत खराब हैं। क्या सरकार ने इस स्थिति को सुधारने के लिये कोई उपाय किये हैं ?

श्री वी० वी० गिरि : अमेरिकी टैक्निकल सहयोग प्रशासन कार्यक्रम के अन्तर्गत औद्योगिक स्वास्थ्य दल के सदस्यों में दो विशेषज्ञों की सहायता से फैक्टरियों के मुख्य निरीक्षक द्वारा की गई उचित जांच के बाद निम्नलिखित सिपारिशें की गई हैं।

(१) डस्ट-कैफ्ट्स की अप्रभाविकता के कारणों की जब तक जांच न हो जाय तब तक केवल सिंचित भूमि व्यधन की अनुमति दी जाय।

(२) ५० लाख कण प्रति घन फुट से कम में भूमि व्यधन करते समय धूल के जमाव को कम करने के लिये जब तक पंखों से शुद्ध वायु भीतर लाने और गन्दी वायु को बाहर करने की पर्याप्त व्यवस्था न हो, प्रति मज़दूर द्वारा प्रति दिन ४ घंटे से अधिक सिंचित भूमि व्यधन करने की अनुमति न दी जाय।

(३) चट्टान आदि उड़ाने के स्थान पर दीवारों, छतों तथा फर्श को अच्छी प्रकार से गीला करना चाहिये।

(४) सब से बाद में उड़ाई गई चट्टान के भूमि खण्ड को गीला करने के समय तथा स्केलर, सेक्टर और पिकरों को प्रविष्ट होने के समय के बीच कई घंटों का अन्तर होना चाहिये।

(५) शुद्ध वायु को भीतर लाने तथा गन्दी वायु को बाहर निकालने की पर्याप्त व्यवस्था के बिना भूमि व्यधन नहीं किया जाना चाहिये।

डा० रामा राव : क्या इन में से किसी सिपारिश को व्यवहार में लाया गया है ?

श्री वी० वी० गिरि : जी हां।

श्री के० पी० त्रिपाठी : इन में से कितनी सिपारिशों को क्रियान्वित किया गया है ?

श्री वी० वी० गिरि : इस बात को देखने के लिये कि इन में से कुछ सिपारिशें क्रियान्वित की जायें और इन का निरीक्षण करने के लिये हम ने चिकित्सक निरीक्षक नियुक्त किये हैं।

श्री के० पी० त्रिपाठी : क्या सरकार के पास ऐसे आंकड़े हैं जिन से यह पता लग सके कि कितनी सिपारिशों को पहिले से ही कार्यान्वित कर दिया गया है ?

श्री वी० वी० गिरि : मैं इस के विषय में एक विवरण सदन पटल पर रख दूंगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

नौकरी दफ्तर

*१४३७. **श्री केशवैयंगार :** (क) **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों ने ये अनुदेश जारी किये हैं कि गैर सरकारी उद्योगपति तथा व्यापारी मालिक भी नौकरी दफ्तरों के द्वारा अपनी रिक्तियों की सूचना दें ?

(ख) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार के सभी संस्थापनाओं में नौकरी दफ्तरों के द्वारा ही नियुक्तियां की जाती हैं ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) जी नहीं; न तो केन्द्रीय सरकार ने और न राज्य सरकारों ने ही ऐसे अनुदेश जारी किये हैं ।

(ख) इस समय नौकरी दफ्तर अस्थायी संगठन हैं और कई कारणों से ये पूर्ण रूप से स्वेच्छापूर्वक गैर सरकारी उद्योगों का भी काम करते हैं । नौकरी दफ्तरों के कार्यों के भवष्यि कार्य-क्षेत्र के पूरे प्रश्न पर शिवा राव समिति नामक उच्चाधिकार समिति विचार कर रही है ।

(ग) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों को छोड़ कर केन्द्रीय सरकार के संस्थापनाओं की सभी रिक्तियों के बारे में सब से पास के नौकरी दफ्तर को अनिवार्य रूप से सूचित करना पड़ता है और जब उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिलते केवल तभी ऐसे संस्थापनाओं में रिक्तियां भरी जा सकती हैं । राज्य सरकारों के अन्तर्गत की जाने वाली नियुक्तियों के सम्बन्ध में एक विवरण जिस में स्थिति स्पष्ट की गई है, सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ७]**

लोनी भूमि पर प्रयोग

*१४४४. **श्री राघवय्या :** (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने लोनी भूमि को कृषि योग्य भूमि बनाने के लिये प्रयोग किये हैं ?

(ख) यदि ऐसा है, तो लोनी भूमि को तोड़ने में प्रति एकड़ कितना खर्च होता है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) भारत सरकार ने कच्छ की छोटी खाड़ी का, इसे कृषियोग्य बनाने की उपयुक्तता का पता लगाने के लिये, चालू वर्ष में आरम्भिक सर्वेक्षण किया है, जब कि बहुत से राज्यों ने विशेषकर पंजाब और उत्तर प्रदेश में लोनी तथा क्षारीय भूमि को कृषि योग्य बनाने की परियोजनायें चलाई हैं ।

(ख) परती भूमि को, जिस में लोनी तथा क्षारीय भूमि भी सम्मिलित होगी, बड़े ट्रैक्टरों से १ फुट से १६ इंच तक प्रति एकड़ तोड़ने में लगभग ५० रुपए से ६० रुपए तक प्रति एकड खर्च होता है ।

सियालदा तथा हावड़ा रेलवे डिवीजनों में चोरियां

*१४४७. **श्री अमजद अली :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) सियालदा तथा हावड़ा डिवीज़नों में यात्री डिब्बों तथा माल के डिब्बों में लगे सामान की गत एक वर्ष में चोरी के मामलों की संख्या कितनी है;

(ख) इन में रेलवे को कुल हानि कितनी हुई; तथा

(ग) (१) चुराई गई चीज़ों को फिर से प्राप्त करने तथा (२) अपराधियों के विरुद्ध मुकदमा चलाने की दृष्टि से इन मामलों का पता लगाने के लिये अधिकारियों ने क्या कार्यवाही की थी ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां): (क) तथा (ख). एक विवरण जिस में अपेक्षित सूचना दी हुई है, सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ८]**

(ग) सरकारी रेलवे पुलिस और रक्षा तथा प्रहरी संगठन को अधिक सावधान रहने के लिये तथा मुकदमा चलाने के मामले में शीघ्र कार्यवाही करने का अनुदेश दिया गया है । रक्षा तथा प्रहरी, यात्री डिब्बे तथा माल के डिब्बों के कर्मचारी तथा बिजली विभाग के कर्मचारियों द्वारा संयुक्त जांच पड़ताल कार्य करने की व्यवस्था महत्वपूर्ण जंकशन स्टेशनों पर आरम्भ की गई है ।

भारतीय नाविकों का सामाजिक बीमा

***१४५६. श्री एच० एन० मुकर्जी :** क्या **परिवहन** मंत्री २६ मार्च १९५३ को पूछे गये अतरांकित प्रश्न संख्या ७४० के दिये गये उत्तर का निर्देश करते हुए यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या इंग्लैण्ड सरकार के पास जो धन है और जो भारतीय नाविकों के कल्याण-कारी कार्यों के लिये अलग रख दिया गया था उस के हस्तान्तरण की दृष्टि से भारतीय नाविकों के सामाजिक बीमा के लिये योजना बनाई गई है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : भारतीय नाविकों के सामाजिक बीमा की योजना के लिये कुछ समय पूर्व एक रूप रेखा बनाई गई थी । इस योजना के निर्माताओं का यह विचार था कि नाविकों की किसी बीमा की योजना भरती करने के समकालीन संगठन पर बहुत अधिक निर्भर करेगी जिस के अन्तर्गत समुद्री सेवा में भरती किये जाने वाले नाविकों की संख्या में कमी की जा सके और जो नाविक लगातार सेवा में नहीं लगे होते उन को बारी बारी से लेने की प्रणाली चलाई जा सके । इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बम्बई तथा कलकत्ता में नौकरी दफ्तर स्थापित करने का निश्चय किया है । नाविकों का किसी प्रकार का सामाजिक बीमा करने की व्यवस्था करना केवल इन नौकरी दफ्तरों के स्थापित करने के बाद और इन के अच्छी प्रकार से चलने के बाद ही सम्भव होगा ।

गौतमी गोदावरी पर पुल

***१४५७. श्री मोहन राव :** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या आंध्र सरकार ने गौतमी गोदावरी पर अलामुरु स्थान पर ग्रांड ट्रंक रोड के प्रस्तावित बदले जाने वाले मार्ग पर पुल बनाने के लिये अनुदान मांगा है; तथा

(ख) यदि ऐसा है, तो मंजूर की गई राशि कितनी है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) तथा (ख). आंध्र राज्य ने इस कार्य के लिये चालू वित्तीय वर्ष के लिये ५३,००० रुपये का अनुदान मांगा था और इसे मंजूर कर लिया गया है ।

रेलवे के कुली

***१४५८. श्री आर० एस० तिवारी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या रेलवे के कुलियों से कोई निश्चित शुल्क या उन की कमाई का कोई भाग प्रति वर्ष लाईसेंस फीस के रूप में लिया जाता है;

(ख) क्या इस फीस की दर सारे देश में एक सी है;

(ग) दिल्ली जंकशन तथा नई दिल्ली स्टेशनों पर कितने कुली हैं; और

(घ) इन लोगों को क्या सुविधायें दी जाती हैं ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां): (क) दैनिक या

मासिक आधार पर एक निश्चित फीस ली जाती है। किन्तु छोटे स्टेशनों पर जहां स्टेशन मास्टर कुलियों को लाइसेंस देते हैं, उन से कोई लाइसेंस फीस नहीं ली जाती।

(ख) जी नहीं।

(ग) दिल्ली जंकशन ९४८
नई दिल्ली ६०

(घ) उन स्टेशनों पर जहां रेलवे प्रत्यक्षतः कुलियों को लाइसेंस देती है कुलियों को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के वर्दियां, बिल्ले और कुछ चिकित्सा सुविधाएं दी जाती हैं।

हिन्दी तार

*१४५९. **श्री एच० जी० वैष्णव :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५३ में हैदराबाद राज्य के तार घरों से कितने हिन्दी तार भेजे गये और उन में कितने हिन्दी तार प्राप्त हुए ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : कुल 'भजी गई' २२८ और कुल 'प्राप्त' ९४।

नए डाक व तार घर

*१४६०. **श्री रण दमन सिंह :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग :

(क) १९५४-५५ के आय-व्ययक में कितने नये डाक घर और तार घर खोलने का उपबन्ध किया गया ह ;

(ख) विन्ध्य प्रदेश में कितने नये डाकघर और तार घर खोले जायेंगे; और

(ग) १९५२-५३ और १९५३-५४ में खोले गये डाक व तार घरों के कारण सरकार को कितनी हानि उठानी पड़ी ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जायगी।

रेलवे में चोरियां

*१४६२. **श्री भागवत झा आजाद :** क्या **रेलवे** मंत्री रेलव में चोरियों के बारे में ९ मार्च १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ८१२ के उत्तर की ओर निर्देश करने की कृपा करेंगे और बतायेंगे :

(क) १९५३ में इस प्रकार की चोरियों के सम्बन्ध में सरकार को कितने दावे प्रस्तुत किये गये ;

(ख) प्रतिकर के रूप में कितनी राशि मांगी गई है; और

(ग) क्या इन चोरियों में किन्हीं रेलव कर्मचारियों का हाथ था ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) तथा (ख). चोरियों के मामलों के सम्बन्ध में प्रस्तुत किये गय दावों की संख्या के बारे में जानकारी नहीं रखी जाती और न ही यह बतलाना संभव है कि प्रतिकर के रूप में कुल कितनी राशि मांगी गई है। तथापि गुम हुए माल तथा चोरी किये गये माल के सम्बन्ध में, १९५२-५३ में चुकाये गये दावों की संख्या और दी गई राशि निम्न है :

	संख्या	राशि रुपये
(१) गुम हुए माल के सम्बन्ध में	७०,८४७	१,१५,७५,३२३
(२) चोरी किय गये माल के सम्बन्ध में	३०,२२२	५८,२७,६६८

(ग) जी हां, श्रीमान्, कुछ मामलों में कुछ रेलवे कर्मचारियों का भी हाथ था।

बिसरोली टिकट घर

*१४६२. **श्री एम० एल० अग्रवाल :**
श्री बलवन्त सिंह महता :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि हाल में उत्तर रेलवे पर बिसरोली रेलवे स्टेशन के टिकट घर को लूट लिया गया था ;

(ख) नकदी के लूटे जाने और सम्पत्ति को हानि पहुंचने से सरकार को कितनी हानि हुई है ;

(ग) क्या अपराधियों को पकड़ा गया है और क्या लूटा हुआ माल बरामद हुआ है; और

(घ) इस प्रकार के छोट स्टेशनों पर कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जी हां ।

(ख) ७२/३/ नकदी में और टेलीग्राफ तथा टेलीफोन की तारों को मामूली नुकसान पहुंचा था ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) इस प्रकार की घटनाएं बहुत नहीं होतीं । अतः कोई विशेष उपाय करने का विचार नहीं है ।

"जानकी" नामक माल का जहाज़

*१४६३. **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री टी० सुब्रह्मण्यम् :
श्री बादशाह गुप्त :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि "जानकी" नामक माल का जहाज़ १३ मार्च, १९५४ को बम्बई से ११ मील की दूरी पर कन्हेरी द्वीप के समीप डुब गया था;

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना के कारण क्या थे ; और

(ग) इस में कितने आदमी मरे और कितने बच गये थे ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जी हां ।

(ख) दुर्घटना का कारण अभी ज्ञात नहीं है । भारतीय व्यापार नौवहन अधिनियम, १९२३ के उपबन्धों के अन्तर्गत, वणिक पोत विभाग, बम्बई के मुख्य पदाधिकारी द्वारा दुर्घटना की प्रारम्भिक जांच की जा रही है ।

(ग) ३७ व्यक्तियों की जानें बचा ली गई थीं किन्तु ७ व्यक्ति मर गये थे ।

केन्द्रीय वन बोर्ड

*१४६४. **श्री नटेशन :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जंगली जानवरों के रक्षण के सम्बन्ध में केन्द्रीय वन बोर्ड की स्थायी समिति ने अपनी हाल की बैठक में क्या सिफारिशें की हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ९]**

डाक घर

*१४६५. **श्री ईश्वर रेड्डी :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंच वर्षीय योजना के बनने के बाद कड़प्पा, चित्तूड़, अनन्तपुर और कुरनूल के ज़िलों में जिलावार कितने उपडाकघर या शाखा डाकघर खोले गये हैं ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : १–४–१९५१ से ३१–३–१९५४ तक जो डाक घर खोले गये हैं उन की संख्या निम्न है ?

ज़िले	खोले गये डाक घर	
	शाखा डाकघर	उप डाकघर
कड़प्पा	४०	१
चित्तूड़	४३	–
अनन्तपुर	६१	४
कुरनूल	४४	७

लाइट रेलवे

*१४६६. **सेठ अचल सिंह :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) भारत में ऐसी कितनी लाइट रेलवे हैं जिन का प्रबन्ध अभी सरकार ने नहीं संभाला है;

(ख) सरकार कब तक उन का प्रबन्ध संभालेगी; और

(ग) १९५३–५४ में इन रेलों का अनुमानित आय व्यय कितना था ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां): (क) १५ ।

(ख) सरकार ने इस विषय में कोई निर्णय नहीं किया है ।

(ग) १९५३–५४ के लिए इन लाइनों की आय तथा व्यय के आंकड़े अभी तैयार नहीं हुए । नवीनतम उपलब्ध आंकड़े एक विवरण में दिये गये हैं, जिसे सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १०]**

एयर इन्डिया इंटरनेशनल

*१४६७. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकरण की तिथि से एयर इण्डिया इन्टरनैशनल ने कितने घंटे उड़ान की है; और

(ख) इस अवधि में एयर इन्डिया इन्टरनैशनल ने वायुयान पेटरोल की कितनी मात्रा का उपभोग किया है और इस की लागत क्या है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) २८ फरवरी, १९५४ तक ७६७६ घंटे ।

(ख) २,५६७,१७६ इम्पीरियल गैलन, जिस का मूल्य ५२·५९ लाख रुपये हैं ।

उत्तर पूर्वी सीमान्त एजेंसी में कोढ़

*१४६८. **श्री एल० जोगेश्वर सिंह :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर पूर्वी सीमान्त एजेन्सी के किन ज़िलों में कोढ़ बहुत फैलता है; और

(ख) इसे रोकने के लिए अब तक क्या उपाय किये गये हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर): (क) उत्तर पूर्वी सीमान्त एजन्सी में कोढ़ सियांग और टियूनसांग सीमान्त विभागों तक सीमित है ।

(ख) पासी घाट, अलाग और तरांग में तीन कोढ़ियों की बस्तियां खोली गई हैं । टियूनसांग सीमान्त ज़िले में एक और बस्ती खोली जा रही है । एजेन्सी में सफाई तथा लोक स्वास्थ्य के सामान्य स्तर को बढ़ाने के लिए भी पग उठाये गये हैं ।

डी० डी० टी०

*१४६९. **श्री राम जी वर्मा :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी :

(क) भारत में १९५३ में राष्ट्रीय मलेरिया निरोध योजना के अधीन कितना डी० डी० टी० प्रयुक्त किया गया; तथा

(ख) इसमें से कितना डी० डी० टी० भारत में तैयार किया गया था और कितना विदेशों से मंगाया गया था ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : (क) १९५३ में राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों को लगभग ४१५० लांग टन डी० डी० टी० ७५ प्रतिशत घुलने लायक पाऊडर दिया गया था । खपत के बारे में अभी ठीक ठीक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) सारी मात्रा का आयात किया गया था, क्योंकि भारत में अभी डी० डी० टी० का बनाया जाना आरम्भ नहीं हुआ है ।

बिहार को ऋण तथा अनुदान

*१४७०. **श्री झूलन सिन्हा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) बिहार राज्य सरकार को १९५२-५३ तथा १९५३–५४ में स्थानीय सिंचाई योजनाओं के बारे में दिये गये अनुदान तथा ऋण की राशि क्रमशः कितनी है; तथा

(ख) क्या राज्य सरकार ने उक्त वर्षों सम्बन्धी सारी राशि का प्रयोग कर लिया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) वर्ष १९५२–५३ में ५३,१०,६३१ रुपये का अनुदान तथा ५०,००,००० रुपये का ऋण और वर्ष १९५३–५४ में १५,३३,७५० रुपये का अनुदान तथा १,३३,८८,९०० रुपये का ऋण छोटी सिंचाई योजनाओं के लिए स्वीकृत किया गया था ।

(ख) यह सूचना अभी उपलब्ध नहीं है ।

रेलवे स्टेशनों पर रोशनी का प्रबन्ध

*१४७१. **श्री एस० एन० दास :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) रेलवे के जिन स्टेशनों पर बिजली या गैस की रोशनी का प्रबन्ध नहीं है वहां रोशनी का साधारणतया क्या प्रबन्ध किया जाता है;

(ख) रात में गाड़ी के आने से कितनी देर पहले से प्लेटफार्म पर रोशनी की जाती है;

(ग) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर गया है कि बहुत से स्टेशनों पर सिर्फ़ टिकटघर और स्टेशन के बाहर किसी स्थान पर तो रोशनी का प्रबन्ध रहता है, परन्तु सारा प्लेटफार्म अंधेरा पड़ा रहता है; तथा

(घ) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जिन स्टेशनों पर बिजली या गैस के लैम्पों की रोशनी का प्रबन्ध नहीं है, वहां मिट्टी के तेल की रोशनी का प्रबन्ध किया जाता है ।

(ख) बड़े बड़े स्टेशनों पर तो सारी रात तथा छोटे स्टेशनों पर गाड़ी के आने से १५ मिनट से लेकर दो घंटे पहले रोशनी की जाती है ।

(ग) तथा (घ). इस प्रकार की शिकायतें प्रायः की जाती हैं, परन्तु इस विषय सम्बन्धी अनुदेश दिये गये हैं । जिन स्थानों पर इन अनुदेशों का अनुसरण नहीं हो रहा है, उन के सम्बन्ध में उच्च अधिकारियों द्वारा कार्यवाही किये जाने की आशा की जाती है ।

रेल दुर्घटनायें

*१४७३. **पंडित डी० एन० तिवारी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) वर्ष १९५२ तथा १९५३ में रेल-गाड़ियों से गिरने से कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई तथा कितने व्यक्तियों को गहरी चोटें लगीं; तथा

(ख) रेल-गाड़ियों के पायदानों तथा छतों पर सफ़र करने के अपराध में कितने मुकदमे चलाये गये हैं ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री शाहनवाज़ खां): (क)

	१९५२	१९५३
मरे हुए व्यक्तियों की संख्या	१११	१०४
गहरे घावों वाले व्यक्तियों की संख्या	७५५	६५२

(ख) चलाये गये मुकदमों की संख्या १०,७२९ ८,२००

हैदराबाद सड़क परिवहन विभाग

*१४७४. **श्री कृष्णाचार्य जोशी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सड़क परिवहन विभाग, जो कि कभी निज़ाम स्टेट रेलवे के अधीन था,

हैदराबाद सरकार को सौंप दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जी हां ।

(ख) यह विभाग हैदराबाद सरकार को सौंप दिया गया है, क्योंकि सड़क परिवहन राज्य का विषय है ।

रेलवे सेवा आयोग

***१४७५. श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या कलकत्ता और बम्बई के रेलवे सेवा आयोग उन्हें सौंपे गये काम को पूरा कर सके हैं; और

(ख) इन आयोगों ने १९५१ से अब तक प्रति वर्ष कितने लोगों को भर्ती किया है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) आरम्भ में तो दो आयोग काम को पूरा कर लेते थे । जब कार्य में जल्दी और अधिकाधिक भर्ती होने लगी तो यह देखा गया कि दो आयोग रेलवे की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते हैं और इसलिये दो और आयोग बनाना आवश्यक हो गया ।

(ख) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ११**]

भारतीय टेलीफोन उद्योग

***१४७६. श्री वी० पी० नायर** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या इस समय भारतीय टेलीफोन उद्योग लिमिटेड, बंगलौर की महिला कर्मचारियों को प्रसूतिका सम्बन्धी कोई सुविधायें दी जाती हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) (क) जी हां ।

(ख) प्रसव से पूर्व अधिकतम ४ सप्ताह की और उस के तुरन्त पश्चात् ४ सप्ताह की प्रसवकाल की छुट्टी दी जाती है ।

ग्वालपाड़ा में टेलीफोन एक्सचेंज

***१४७७. श्री अमजद अली** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या आसाम के ग्वालपाड़ा नगर के लिये एक टेलीफोन एक्सचेंज मंजूर किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो यह कब से चालू हो जायेगा ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

टेलीफोन एक्सचेंज और उनके कलपुर्ज़े

***१४७८. श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५३ में टेलीफ़ोन एक्सचेंच तथा उन के लिये आवश्यक कल-पुर्ज़े बनाने के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है;

(ख) आजकल कितने प्रतिशत कल-पुर्ज़े बाहर से मंगाये जाते हैं; और

(ग) इन कल-पुर्ज़ों के निर्माण में भारत कब तक स्वावलम्बी हो जायेगा ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) एक विवरण, जिस में १९५३ में भारत टेलीफ़ोन एक्सचेंज लगाने में हुई प्रगति का ब्यौरा दिया हुआ है, सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १२**] निर्माण की प्रगति के सम्बन्ध में इस समय स्थिति यह है कि —

(१) कन्डेंसरों और दो छोटी चीजों को छोड़ कर मैनुअल स्विच बोर्डों के सभी भाग

और टेलीफ़ोन के उपकरण भी पूर्णतया भारत में क्रमशः डाक और तार के कारखाने या भारतीय टेलीफ़ोन उद्योग में ही बनाये जाते हैं; और

(२) स्वचालित एक्सचेंजों के १५ प्रतिशत मूल्य के भाग भारत में बनाये जाते हैं।

(ख) इस समय लगभग ८५ प्रतिशत मूल्य के टेलीफोन उपकरणों, कन्डेंसरों तथा दो छोटी चीज़ों और स्वचालित टेलीफोन के कल-पुर्ज़ों के भागों का आयात किया जाता है।

(ग) टेलीफोन उपकरणों के सम्बन्ध में लगभग एक वर्ष के अन्दर ही स्वावलम्बी हो जाने की आशा है और एक्सचेंज के कल-पुर्ज़ों के सम्बन्ध में यह आशा है कि तीन या चार वर्ष के अन्दर ही लगभग ८० प्रतिशत मूल्य के कल-पुर्ज़ों के भाग भारत में बनने लगेंगे। २० प्रतिशत मूल्य के शेष भागों का, जिन में स्विचबोर्ड की तारें (केबल्स), फ्लड लाइटिंग, विद्युत संयंत्र इत्यादि विशेष कारीगरी की वस्तुएं सम्मिलित हैं, यदि इन वस्तुओं का निर्माण किसी अन्य उद्योग ने आरम्भ नहीं कर दिया तो इन का भी आयात करना पड़ेगा।

मिले जुले डाक तथा तार कार्यालय

***१४७९. श्री टी० बी० विट्ठलराव :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मिले जुले डाक तथा तार कार्यालयों के सधारण पर कितना धन खर्च किया जाता है तथा तार विभाग कहां तक इस की क्षतिपूर्ति करता है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : मिले जुले डाक तथा तार कार्यालयों पर जो रुपया व्यय किय जाता है उस का कोई अलग हिसाब नहीं रखा जाता है। ऐसे मिले जुले कार्यालयों में एक तार पर औसत खर्चा पांच आना आठ पाई होता है। मिले जुले डाक तथा तार कार्यालय जितने तार भेजते हैं उन की संख्या के अनुसार उतनी धन राशि, इस दर से, तार शाखा के नाम डाली जा कर डाक शाखा के खाते में, जमा कर दी जाती है।

हवाई जहाज़ों के पेट्रोल पर सीमाशुल्क

***१४८०. श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १ अगस्त, १९५३ से २८ फ़रवरी १९५४ तक एअर इण्डिया इटरनेशनल तथा इण्डियन एअरलाइन्स कारपोरेशन ने जो पेट्रोल खर्च किया, उस पर, कुल कितना सीमा शुल्क अदा किया गया है।

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथा समय सदन पटल पर रख दी जायेगी।

रेलवे में अधिक समय तक काम करने का भत्ता

***१४८१. श्री मुनिस्वामी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे के कर्मचारियों को अधिक समय तक काम करने का भत्ता दिया जाता है;

(ख) क्या, तीसरे दर्जे के कर्मचारियों को जो अधिक समय तक काम करने का भत्ता दिया जाता है, वह भिन्न होता है;

(ग) क्या क्लर्कों को अधिक समय तक काम करने का भत्ता तभी दिया जाता है जब उन्हों ने महीने में २३१ घण्टे से अधिक कार्य किया हो; तथा

(घ) यदि उपर्युक्त भाग (ग) का उत्तर हां हो तो यह बताया जाये कि इस का कारण क्या है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) अधिक समय तक काम करने का भत्ता पाने का अधिकार केवल उन्हीं रेलवे कर्मचारियों को प्राप्त हैं जिन पर 'फैक्टरी अधिनियम १९४८' अथवा 'काम के घण्टों के विनियमन' लागू होतें हैं।

(ख) तथा (ग). हां ।

(घ) फैक्टरी अधिनियम १९४८ के अनुसार काम के घण्टों की सीमा निर्धारण संख्या, जिस के पश्चात् महंगाई भत्ता देना आवश्यक ठहराया गया है, उस से संख्या भिन्न है जो काम के घण्टों के विनियमन के अनुसार निश्चित है । सामान्य रूप से क्लर्कों को काम के घण्टों के विनियमन के अन्तर्गत अधिक समय तक काम करने का भत्ता प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होता है ।

नौकरी दफ्तर

*१४८२. **पंडित डी० एन० तिवारी :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि एक नौकरी दफ्तर में नाम दर्ज़ कराने वाले व्यक्ति की प्रार्थनापत्र पर क्या अन्य नौकरी दफ्तरों में अधिसूचित रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिये भी विचार किया जाता है ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : एक नौकरी दफ्तर में नाम लिखाने वाले व्यक्ति के प्रार्थनापत्र पर उन्हीं रिक्त स्थानों के लिये विचार किया जाता है, जो उस नौकरी दफ्तर को अधिसूचित किये जाते हैं । अन्य नौकरी दफ्तरों में अधिसूचित रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिये, उस के प्रार्थना पत्र पर उसी दशा में विचार किया जाता है जब कि स्थानीय रूप से कोई उम्मेदवार न मिलने के कारण, किसी रिक्त स्थान का परिचालन, सीमित क्षेत्र में अथवा सारे भारत में, किया जाता है ।

टेलीफोन के तार (केबल)

*१४८३. **श्री एम० एल० द्विवेदी :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या टेलीफोन के तार आजकल भारत में बनाये जाते हैं;

(ख) कितना टेलीफोन तार प्रति वर्ष बाहर से मंगाया जाता है और १९५४ में अब तक कितना तार मंगाने के आर्डर दिये गये हैं; और

(ग) उस का मूल्य कितना है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर : (क) नहीं । भारत सरकार ने चितरंजन में एक केबल फैक्टरी स्थापित कर दी है । आशा की जाती है कि यह फैक्टरी शीघ्र ही उत्पादन आरम्भ कर देगी ।

(ख) तथा (ग). गत तीन वर्षों में आयात किये गये केबलों की लम्बाई तथा उन का मूल्य तथा १९५३–५४ में जितने केबुल का आर्डर दिया गया उस का मूल्य निम्नलिखित है

	केबल	
	लम्बाई मीलों में	मूल्य लाखों में
१९५०–५१	८०३	११६
१९५१–५२	९४	१०·३५
१९५२–५३	७३३	१३४
१९५३–५४	५८४	१४७

रेलवे टेलीग्राफ लाइनें

*१४८४. **श्री टी० बी० विट्ठल राव :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग :

(क) रेलवे के लिये बनाई गई टेलीग्राफ़ लाइनों पर वार्षिक व्यय, कितना किया जाता तथा इस के लिये रेलवे से किस दर से रुपया लिया जाता है; तथा

(ख) आज कल की दर कब निश्चित की गई थी तथा १९३९ की दर की तुलना में वह कैसी है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) अनुमान किया जाता है कि रेलवे को किराये पर दिये जाने वाल एक मील तांबे के तार पर होने वाला वार्षिक आवर्तक व्यय ४० रुपये है तथा लोहे के तार पर ३३·५ रुपया है ।

रेलवे एक मील लम्बे तांबे के तार के लिये ३१ रुपये तथा एक मील लोहे के तार के लिये १९ रुपये की दर से किराया दे रही है।

(ख) आजकल के दर १–१०–३९ से वसूल किये जा रहे हैं। उस के पूर्व लोहे तथा तांबे दोनों प्रकार के तार की दर २४ रुपया प्रति मील थी।

नागरिक उड्डयन विभाग के कर्मचारियों के लिए क्वाटर

*१४८५. **श्री वी० पी० नायर :** (क) क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नागरिक उड्डयन विभाग के चतुर्थ श्रेणी के कितने कर्मचारियों को सरकारी क्वार्टर मिल गये हैं तथा उन में से कितने व्यक्तियों को एक कमरे वाले क्वार्टर ही मिले हैं ?

(ख) एक कमरे वाले क्वार्टर का औसतन भूमि क्षेत्रफल क्या है ?

(ग) क्या यह सच है कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के क्वार्टरों में बिजली की व्यवस्था नहीं है, यदि यह ठीक है तो क्यों ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) ५७४ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को सरकारी क्वार्टर दिये गये हैं जिन में से ५५५ कर्मचारियों को एक कमरे वाले क्वार्टर मिले हैं।

(ख) एक कमरे वाले क्वार्टर का औसतन भूमि क्षेत्रफल निम्न है :

एक मंजिल वाले क्वार्टरों में	२२० वर्गफुट
दुमंजिले क्वार्टरों में	२४० वर्गफुट

(ग) नागरिक उड्डयन के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के क्वार्टरों में बिजली की व्यवस्था केन्द्रीय सरकार के सभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को सामान्यतः यह सुविधा दिये जाने के बारे में निश्चय किये जाने पर की जायगी।

राजस्थान भूमिगत जल बोर्ड

*१४८६. **श्री एस० एन० दास :**
श्री कनावडे पाटिल :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) किन शर्तों तथा निबन्धनों के अन्तर्गत राजस्थान भूमिगत जल साधन विकास बोर्ड को केन्द्रीय सरकार से राजस्थान राज्य सरकार को हस्तान्तरण करने का निश्चय किया गया है; तथा

(ख) बोर्ड ने अब तक कितना काम किया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) बोर्ड को भारत सरकार से राजस्थान सरकार को हस्तान्तरण करने की शर्तें तथा निबन्धन अभी तक तैयार नहीं हुए हैं।

(ख) दिसम्बर, १९४९ से जब कि यह बोर्ड बना था, दिसम्बर १९५३ के अन्त तक इस बोर्ड ने ४३ नलकूप खोदे तथा गहरे किये हैं।

रेडियो अनुज्ञप्तियां

२९६. **श्री विश्वनाथ रेड्डी :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) भारतवर्ष में रेडियो अनुज्ञाप्तियों की कुल संख्या, प्रत्येक सर्किल के अनुसार; तथा

(ख) कुल कितने धन की आय हुई, सर्किल के अनुसार ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) तथा (ख). एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १३**].

मैसूर में नौकरी दफ्तर

२९७. **श्री एन० राचय्या :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवम्बर दिसम्बर, १९५३ तथा जनवरी फरवरी, १९५४ मैसूर राज्य के विभिन्न

नौकरी दफ्तरों में पंजीकृत स्नातकों, अवर-स्नातकों, मैट्रिकुलेट तथा अन्य व्यक्तियों की कुल संख्या ;

(ख) प्रत्येक श्रेणी के नौकरी दिलाये गये प्रार्थियों की संख्या ;

(ग) प्रत्येक वर्ग में अनुसूचित जातियों की संख्या ; तथा

(घ) क्या यह सच है कि नौकरी दफ्तरों द्वारा भेजी गई प्रार्थियों की सूची सरकारी संस्थाओं, जैसे दक्षिण रेलवे कारखाना, मैसूर ने सम्पूर्ण रूप में स्वीकार नहीं की है ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) से (ग). विवरण सदन पटल पर रखे जाते हैं। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १४]**

(घ) नौकरी दफ्तर तो उपयुक्त विद्यार्थियों के केवल नाम भेज सकते हैं ; अन्तिम चयन तथा नियुक्ति तो पूर्ण रूप से मालिक की स्वेच्छा पर होती है ।

दक्षिण रेलवे में पानी पिलाने वाले कर्मचारी

२९८. श्री मुनिस्वामी : (क) क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दक्षिण रेलवे में पानी पिलाने वालों की संख्या कितनी है ?

(ख) क्या उनकी नियुक्ति स्थायी रूप से होती है अथवा समय विशेष के लिये ?

(ग) यदि नियुक्तियां दोनों श्रेणियों में होती हैं तो प्रत्येक श्रेणी में कितने कर्मचारी हैं ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) ९६८ ।

(ख) दोनों ही श्रेणियों में नियुक्तियां होती हैं ।

(ग) स्थायी २८१ ।

विशेष समय वाले (१९५३ के ग्रीष्म काल में) ६८७ ।

अखिल भारतीय महिला खाद्य परिषद्

२९९. श्री मुनिस्वामी : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे

(क) मद्रास राज्य में अखिल भारतीय महिला खाद्य परिषद् द्वारा १९५२-५३ में संगठन सम्बन्धी एवं अन्य प्रचार योजनाओं के लिये अपनी शाखाओं और अधिकरणों को कितनी धन राशि दी गई थी ;

(ख) मद्रास राज्य के इस संगठन द्वारा इस धन-राशि का उपयोग किस प्रकार किया गया था ;

(ग) मद्रास राज्य में इस परिषद् के अधीन वैतनिक कर्म चारी कितने हैं ;

(घ) क्या कर्मचारियों को कोई प्रशिक्षण दिया जाता है ; तथा

(ङ) यदि हां, तो किस प्रकार ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) कुछ नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

(ग) ९० ।

(घ) तथा (ङ). स्वयं "अन्नपूर्णा जलपान गृहों" में व्यावहारिक प्रशिक्षण देने के अतिरिक्त इस परिषद् ने पहले बम्बई के भोजन व्यवस्था तथा पोषण विद्यालय में तीन पाठ्यक्रम चलाये थे, जिनमें से प्रत्येक तीन मास की अवधि का था और जहां उसके कुछ कर्मचारियों को व्यावहारिक तथा सैद्धान्तिक प्रशिक्षण दिया गया था। ऐसा प्रशिक्षण देने के लिये परिषद् बम्बई में भोजन व्यवस्था तथा पोषण सम्बन्धी एक स्थायी विद्यालय खोलने का विचार रखती है ।

गाड़ियों में यात्रियों के साथ दुर्घटनायें

३००. **श्री एच० एस० प्रसाद :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी तथा फरवरी, १९५४ में पूर्वोत्तर रेलवे के बनारस तथा भटनी स्टेशनों के बीच गाड़ियों के पायदानों या छतों पर यात्रा करने वाले कितने व्यक्ति मरे और घायल हुये ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : मृतक जनवरी में २ और फरवरी में ७।

घायल जनवरी में एक भी नहीं और फरवरी में १०।

हिमाचल प्रदेश की सड़क यातायात योजना

३०१. **श्री के० सी० सोधिया :** (क) क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हिमाचल प्रदेश की सड़क यातायात योजना की कुल पूंजी कितनी है ?

(ख) इस संस्था के अंशधारी कौन है और प्रत्येक ने कितनी राशि अब तक पूंजी के रूप में लगाई है ?

(ग) आज तक इस संस्था को कुल हानि या लाभ कितना हुआ है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग). आरम्भ से गत वित्तीय वर्ष के अन्त तक पूर्ण रूपेण राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित हिमाचल प्रदेश यातायात उपक्रम की पूंजी और उस के लाभ का लेखा निम्न लिखित है :

वर्ष	पूंजी रुपये	कुल लाभ रुपये
१९४९-५०	९,९१,३५७	१,८०,८०२
१९५०-५१	१२,८५,२९७	३,०१,३५७
१९५१-५२	१७,१४,२५८	३,५५,७६४
१९५२-५३	२२,०७,१८६	७५,९८३
	कुल	९,१३,९०६

चालू वित्तीय वर्ष के आंकड़े अभी तक प्राप्य नहीं हैं।

नागरिक उड्डयन विभाग के कर्मचारी

३०२. **श्री वी० पी० नायर :** (क) क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कितने हवाई अड्डों में नागरिक उड्डयन विभाग के कर्मचारियों को प्रतिकरात्मक तथा मकान किराया भत्ते पर दिये जाते हैं ?

(ख) इनमें से कितने हावाई अड्डों में अधिकारियों को ये भत्ते मिलते हैं ?

(ग) ऐसे कौन से हवाई अड्डे हैं, जहां पर नागरिक उड्डयन विभाग के कर्मचारियों को ऐसे भत्ते नहीं दिये जाते हैं ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग). मांगी गई सूचना दिखाने वाला एक विवरण मैं सदन पटल पर रखता हूं। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १५]**

कुम्भ मेला

३०३. **श्री जी० एल० चौधरी :**
श्री सूर्य्य प्रसाद :
श्री लोटन राम :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) कुम्भ मेले के अवसर पर कितने टिकट कलेक्टर, टिकट चैकर और गार्ड अस्थायी रूप से भर्ती किये गये ; और

(ख) उनमें कितने हरिजन कर्मचारी थे ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) तथा (ख). ९५६ टिकट कलेक्टर अस्थायी रूप से काम पर लगाये गये थे और उनमें से ४७ अनुसूचित जातियों के थे। कोई भी टिकट चेकर या गार्ड भर्ती नहीं किये गये थे।

बिहार में राष्ट्रीय राज पथ

३०४. **श्री अनिरुद्ध सिंह :** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बिहार में कौन कौन सी सड़कें राष्ट्रीय राजपथ हैं और उनकी कुल लम्बाई कितने मील है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां) : अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १६**]

केन्द्रीय कार्मिक संघ संगठन

३०५. **श्री टी० बी० विट्ठल राव :** क्या **श्रम** मंत्री १७ मार्च, १९५४ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या २१४ के उत्तर की ओर निर्देश करके यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) चारों केन्द्रीय कार्मिक संघ संघटनों (उद्योग क्रमानुसार) के सदस्यों की संख्या ;

(ख) भारतीय श्रम सम्मेलन और स्थायी श्रम समिति के लिये उपरोक्त संस्थाओं को दिये गये प्रतिनिधान सम्बन्धी सिद्धांत;

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १७**]

(ख) चारों अखिल भारतीय मजदूर संस्थाओं को उनके प्रतिनिधित्व रूप का ध्यान रखते हुए भारतीय श्रम सम्मेलन और स्थायी श्रम समिति में स्थान निश्चित किये गये हैं।

हवाई जहाजों का पेट्रोल

३०६. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) (१) १९५२ और (२) १ जनवरी से ३१ जुलाई, १९५३ तक भारतीय अनुसूचित एयर लाइन्ज़ द्वारा कुल कितना हवाई जहाज़ों का पेट्रोल खर्च किया गया है ;

(ख) इस कारण सीमा-शुल्क के रूप में सरकार को कितनी आय हुई है ;

(ग) १९५१, १९५२ और १९५३ में १ अगस्त तक सरकार द्वारा अनुसूचित संचालकों को "पेट्रोल छूट' के रूप में कितनी रकम दी गई है ; तथा

(घ) १ अगस्त १९५३ से २८ फरवरी, १९५४ तक भारतीय एयर लाइन्ज़ कारपोरेशन द्वारा कितने घंटे की उड़ान की गई है, और इस अवधि में हवाई जहाजों का कितना पेट्रोल खर्च हुआ है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (घ). जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथा शीघ्र सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

Par. S. 18. III. 35. 59
285

अंक ३

संख्या ३५

बुधवार,

३१ मार्च, १९५४

1st Lok Sabha

संसदीय वाद विवाद

लोक सभा

छठा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

(अंक ३ में संख्या ३१ से संख्या ४५ तक हैं)

भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही

विषय-सूची

उद्जन बम परीक्षण और जम्मू के निकट ४४ भारतीय सैनिकों के डूबने की घटना [पृष्ठ भाग २५१३—२५१५]

अनुदानों की मांगें—

मांग संख्या ८५—पुनर्वास मंत्रालय [पृष्ठ भाग २५१५—२५२६]
मांग संख्या ८६—विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय [पृष्ठ भाग २५१५—२५२६]
मांग संख्या ८७—पुनर्वास मंत्रालय के अधीन विविध व्यय [पृष्ठ भाग २५१५—२५२६]
मांग संख्या १३३—पुनर्वास मंत्रालय का पूंजी व्यय [पृष्ठ भाग २५१५—२५२६]
मांग संख्या ६५—श्रम मंत्रालय [पृष्ठ भाग २५२६—२५९०]
मांग संख्या ६६—खानों के मुख्य निरीक्षक [पृष्ठ भाग २५२६—२५९०]
मांग संख्या ६७—श्रम मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय [पृष्ठ भाग २५२६—२५९०]
मांग संख्या ६८—नौकरी दफ्तर तथा पुर्नस्थापन [पृष्ठ भाग २५२६—२५९०]
मांग संख्या ६९—असैनिक रक्षा [पृष्ठ भाग २५२६—२५९०]
मांग संख्या १३०—श्रम मंत्रालय का पूंजी व्यय [पृष्ठ भाग २५२६—२५९०]

गैरसरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—पांचवें प्रतिवेदन का उपस्थापन [पृष्ठ भाग २५२६]

संसद् सचिवालय, नई दिल्ली।

(मूल्य ६ आने)

59 PSD

लोक सभा

बुधवार, ३१ मार्च १९५४

सभा दो बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिए भाग १)

उद्जनबम परीक्षण और जम्मू के निकट ४४ भारतीय सैनिको के डूबने की घटना

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे दो पूर्व सूचनायें प्राप्त हुई हैं जिनमें सरकार का ध्यान महत्वपूर्ण मामलों की ओर दिलाया गया है । एक तो प्रशान्त महासागर में उद्जन बम के परीक्षण के बुरे परिणामों के सम्बन्ध में है तथा दूसरे जम्मू के निकट ४४ सैनिक कर्मचारियों के डूबने की दुखद घटना के सम्बन्ध में है ।

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) : जनाब, जहां तक पहले मामले का ताल्लुक है, इस बारे में अभी दो तीन दिन हुए, प्राइम मिनिस्टर बहुत तफसील के साथ अपना ख्याल ज़ाहिर कर चुके हैं । मैं नहीं समझता इस बारे में यहां और क्या बहस हो सकती है ।

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : मुझे सदन को यह सूचना देते हुए बहुत शोक होता

है कि २६/२७ की रात को डिवीज़नल व्यायाम करते हुए ४३ सैनिक जिनमें एक जे० सी० ओ० भी था, जम्मू के निकट तकी नदी में डूब गये । एक व्यायाम नदियों को पार करने का है । यह व्यायाम जम्मू के दक्षिण पश्चिम कोई दो मील परे एक स्थान पर हो रहा था जहां इस घटना से पहले १२०० से १५०० कर्मचारी नदी को पार कर चुके थे । विभिन्न ब्रिगेड नदी को पार कर रहे थे तथा ये व्यक्ति एक ब्रिगेड के अन्तिम गुट में थे । दुर्भाग्य से जब यह गुट नदी को पार कर रहा था तो यह घटना हुई तथा सब के सब व्यक्ति नदी में डूब गये ।

अब पश्चिमी कमान ने दुर्घटना की परिस्थिति की जांच के लिए एक जांच न्यायालय नियुक्त किया है । यह न्यायालय इस समय मामले की जांच कर रहा है; अतएव मेरे लिए इस समय कारणों का बतलाना सम्भव नहीं है । सचमुच यह आश्चर्य की बात है कि पिछले भाग में आने वाले कर्मचारी ऐसे डूब जायं, विशेषत: जब दूसरे सब सैनिक पार उतर चुके हों । मुझे ऐसा जान पड़ता है कि सम्भव है कि यह पलटन अथवा कम्पनी का यह अन्तिम भाग अपने मार्ग से भटक गया हो अथवा उसने वही मार्ग न अपनाया हो जिसे दूसरों द्वारा अपनाया गया था । यह भी सम्भव है कि सेना द्वारा रखे गये चिह्नों को पहचानने में ग़लती हुई हो । मैं कारणों के बारे में निश्चित नहीं हूं । परन्तु तथ्य यही हैं जिनका मैंने वर्णन किया है ।

[श्री त्यागी]

माननीय सदस्य श्री वी० पी० नायर ने डूबने वाले व्यक्तियों के नाम पूछे हैं । ऐसे मामलों में सामान्यतया एक घंटे के अन्दर अन्दर उत्तराधिकारियों को तार से सूचना दे दी जाती है । इस प्रकार से इन सैनिकों के माता-पिता तथा संरक्षकों को पहले ही सूचना दी जा चुकी है । कारणों के बारे में मैं पहले ही कह चुका हूं कि इस क्रम पर दुर्घटना के सम्बन्ध में किसी कारण का बतलाना मेरे लिए समय से बहुत पहले की बात है । कारण की जांच हो रही है तथा मुझे यह सूचना जांच न्यायालय की रिपोर्ट के मिलने पर ही प्राप्त हो सकेगी ।

अनुदानों की मांगें--जारी

मांग संख्या ८५—पुनर्वास मंत्रालय

मांग संख्या ८६--विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय ।

मांग संख्या ८७—पुनर्वास मंत्रालय के अधीन विधि व्यय ।

मांग संख्या १३३--पुनर्वास मंत्रालय का पूंजी व्यय ।

उपाध्यक्ष महोदय : सदन अब पुनर्वास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर विचार करेगा । माननीय मंत्री ।

पुनर्वास मंत्री (श्री अजितप्रसाद जैन) : श्रीमान् जी, कल मैंने कुछ सवालों का जवाब दिया और कुछ सवाल छोटे छोटे थे कि जिनका जवाब देने का मेरा कोई इरादा नहीं है ! हां, कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके सिलसिले में म कुछ बातें कहना चाहता हूं ।

आनरेबिल मेम्बर इला चौधरी ने एक सवाल उठाया था । वह उन मुस्लिम माइग्रेंट्स की जमीनों और मकानों के बारे में था जो कि हिन्दुस्तान में लौटे आ रहे हैं । कुछ अर्सा पहले मैं खुद नदिया के ज़िले में गया था और मैंने वहां के हालात को देखा था वहां पर मुझे यह मालूम हुआ कि ४४ हजार परिवार मुसलमानों के पाकिस्तान गये थे जिनमें से कि २८००० लौट आये हैं और उनमें से १३००० परिवारों को उनके मकान और ज़मीनें आपसी समझौते से दे दी गयीं । बाकियों का मामला चला जिनमें से ५०८१ को उनके कुल मकान और जमीनें दे दी गयी हैं और ६१४२ जिनके मामले बाक़ी थे उनमें से २६३३ को जुज़वी उनके मकान और जमीनें वापस दे दी गयी हैं और ३५०९ के मामले बाकी हैं । इस सिलसिले में हमारी पालिसी यह है कि जो मुस्लिम माइग्रेंट क़ायदे के मुताबिक़ और मियाद के अन्दर वापस आये हैं उनकी ज़मीनों पर उनका कब्ज़ा करा दिया जाय और बराबर हमारी यह कोशिश रही है । कुछ जगह हमने यह देखा कि मुसलमानों के मकानों के अन्दर शरणार्थी बैठे हुए हैं । अब हमारे लिए यह मुश्किल था कि उनको बदले में मकान दिये और बगैर हटा देते । चुनांचे हमने बंगाल गवर्नमेंट को इन लोगों के लिए रुपया दे दिया है कि वह उनको ज़मीन खरीदने के लिए और मकान बनाने के लिए पैसा दे दे ताकि शरणार्थी अपन मकानों में चले जायं और मुसलमानों के मकान वापस हो जायें । हम यह नहीं चाहते कि किसी मुसलमान के मकान के ऊपर या किसी भी दूसरे हिन्दुस्तान के बाशिन्दे के मकान के ऊपर किसी शरणार्थी का गैर-कानूनी क़ब्जा रहे । बराबर हम इसकी कोशिश करते रहे हैं और इसमें हमको काफी कामयाबी हासिल हुई है । जितनी यह समस्या और बाकी है उसको भी हम पूरा हल कर देंगे ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बसीरहाट) : क्या हमें २४ परगना के आंकड़े मिल सकते हैं क्योंकि यह एक बड़ा क्षेत्र है ?

श्री ए० पी० जैन : मेरे पास इस वक्त २४ पगरना के फ़िगर नहीं हैं। मैं आनरेबिल मेम्बर के पास वह फ़िगर भेज दूंगा।

एक सवाल श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने उठाया और उनका कहना यह था कि पुरुषार्थियों को बसाने के लिये मुसलमानों की ज़मीनें ली जा रही हैं। उन्होंने इसकी एक शिकायत भेजी थी। मैंने उसमें तहक़ीक़ात की और उसमें मुनासिब कार्यवाही की गयी। उसके बारे में उनको भी कुछ शिकायत नहीं है।

एक चर्चा उन्होंने बसीरहाट के बारे में की। मेरे इल्म में यही दो शिकायतें आयी हैं।

बहरहाल जहां तक कि हमारी पालिसी का ताल्लुक है हम किसी आदमी को उखाड़ कर, चाहे हिन्दू हो या मुसलमान हो, शरणार्थियों को बसाना नहीं चाहते। हम यह नहीं चाहते कि जो आदमी बसा हुआ है वह शरणार्थी हो जाय और शरणार्थी को बसाया जाय। इसलिये जब कभी छोटे छोटे किसानों का सवाल पैदा हुआ तो हमने कभी क़ानून के ज़रिये या किसी दूसरे ज़रिये से शरणार्थी को बसाने के लिए उनकी ज़मीन को नहीं लिया। हां जहां बड़े बड़े ज़मींदारों की जमीनों का सवाल आया जिनके पास उनकी ज़रूरत से ज्यादा ज़मीनें हैं और खाली पड़ी हुई हैं, तो हमने उनको हासिल किया। चुनांचे अभी सुनारपुर स्कीम नम्बर १ में पहले हम ७००० एकड़ का रक़बा लेना चाहते थे लेकिन जब वहां के लोगों की शिकायत आयी तो हमने उसमें से ज्यादातर रक़बा छोड़ दिया और कुल १५०० एकड़ रक़बा हमने लिया। हालांकि वाक्या यह है कि वह मीन नमकीले पानी के नीचे थी और वह किसी के इस्तेमाल में नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी यह छोटे छोटे आदमियों की ज़मीन का मामला था इसलिये उनकी ज़मीनों को नहीं लिया गया। हमारी पालिसी यह है कि कि चाहे हिन्दू हो या मुसलमान हो उसकी उस ज़मीन को लेकर जिस पर कि उसका निर्वाह होता है किसी शरणार्थी को नहीं बसाना चाहते।

मेवों का सवाल भी यहां पर उठाया गया। मैं इतमिनान से इस हाउस के अन्दर यह कह सकता हूं कि हमने मेवों को बसाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मेव दो इलाक़ों में थे, एक मत्स्य में अलवर और भरतपुर में और दूसरे गुड़गांवा में। मत्स्य यानी अलवर और भरतपुर में, हमने ९१,९७१ मेवों को उनकी ज़मीन वापस कर दी या बराबर मालियत की ज़मीन उनको देदी। कुछ थोड़े से परिवार हैं, मुमकिन है कि हज़ार हों या इसके लगभग हों, जिन्होंने बराबर की ज़मीन लेने से इंकार किया। मैं खुद वहां पर गया। मैंने उनको समझाया कि जो पुरुषार्थी ज़मीनों पर तीन चार वर्ष से बैठे हुए हैं, उनको हटाना तो एक और मुसीबत को पैदा करना होगा, उनको बड़ी तकलीफ होगी, इसलिये वह बराबर मालियत की ज़मीन ले लें। कुछ लोगों ने उनको बहकाया, कुछ ने इंकार किया, कुछ ने ज़मीन को ले लिया। हम उस समस्या को हल कर रहे हैं और जहां तक कि मत्स्य के मेवों का ताल्लुक है, मेरा अपना अन्दाज़ा यह है कि ५ फ़ी सदी उनकी समस्या रह गयी है और वह भी हम जल्दी हल कर देंगे।

गुड़गांव में ५,९४७ दरख्वास्तें ज़मीनों और मकानों को वापस करने की मेवों की तरफ़ से की गईं, जिनमें से ४,९९३ मेवों को उनकी ज़मीनें और मकान वापस कर दिये गये, ७४६ की दरख्वास्तें ख़ारिज हुई और वह माक़ूल वजूहात से हुई, २०८ दर-

[श्री ए० पी० जैन]

ख्वास्तें वहां पर बाक़ी हैं और उनकी भी सुनवाई हो रही है ।

जो आंकड़े इस वक्त हाउस के सामने मैं ने पेश किये उन से यह अन्दाज़ा लगाया जा सकता है कि हमने इसमें कोई देरी नहीं की, कोई सुस्ती नहीं की और एक बड़ी हद तक इस मामले को हल कर दिया है । पिछली बार जिस वक्त कि डिप्टी मिनिस्टर वहां पर गये थे, मेव चाहते थे कि कुछ मामले दोबारा खोले जायं । आम तौर से हमारी यह पालिसी नहीं है कि जिस मामले का फ़ैसला हो गया, उसको दो बारा खोला जाय लेकिन अगर कोई नयी शहादत उनके इल्म में आई है कि जिससे पहला फ़ैसला रद्द किया जा सकता है तो हम उस मामले को खोलने के लिये तैयार हैं । मैं समझता हूं कि जो हमने मेवों के सिलसिले में किया वह एक काफ़ी हद तक काबिले इतमिनान है और उस के बारे में कोई शिकायत नहीं होनी चाहिये ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुडगांव) : आप ने जो हुक्म दिया है, उसके मुताबिक क्या कोई आफ़िसर मुकर्रर होगा कि जिसको वहां दरख्वास्तें दी जायं ?

श्री ए० पी० जैन : वहां पर ही अफ़सर मुक़र्रर है एक रैवुन्यू असिस्टेंट काम कर रहा है गुड़गांवे में ।

अब, जनाब, मसला है इवक्युई प्रापर्टी का । इसके बारे में कई आनरेबिल मम्बरों ने ज़िक्र किया और आज मैं तकलीफ़ के साथ यह कहता हूं कि बावजूद हमारी ७ वर्ष की कोशिश के हम इवक्युई प्रापर्टी के मसले को हल नहीं कर पाये । हम ने हर मुमकिन तरीक़े से पाकिस्तान से फैसला करने की कोशिश की । लेकिन पाकिस्तान ने कभी कोई माक़ूल रवैया अख्तियार नहीं किया । सन् १९५० में कानफरेंस हुई । उसमें चल सम्पत्ति के बारे में हमारे कुछ फ़ैसले हुए । उनके ऊपर अमल नहीं हुआ । जुलाई, अगस्त ५३ में यहां से फिर हमारे रिप्रजेंटेटिव कराची गये और चल सम्पत्ति के बारे में वहां उन्होंने कुछ फ़ैसले किये । लेकिन जो चल सम्पत्ति के बड़े बड़े सवाल थे, उनका वहां पर फ़ैसला नहीं हुआ, लाकर्स का, सेफ कस्टडी डिपाजिट्स का, रजिस्टर्ड कम्पनियों की जायदादें वापस करने का या उनको मुआवंजा देने का, सिक्योरिटीज शेयर्स वगैरह का, इनके सिलसिले में कोई फ़ैसला नहीं हुआ और यही बड़े बड़े सवाल थे । फिर भी जो कुछ फैसले हुए उनके ऊपर हम अमल करने की कोशिश कर रहे हैं । लेकिन जो असली सवाल हैं, यानी जोतने वाली जमीन का, एग्रीकल्चर लैंड का और शहरी अचल सम्पत्ति का, उसके बारे में आज तक कभी पाकिस्तान ने कोई माक़ूल जवाब हम को नहीं दिया । हम बराबर उन से कहते हैं कि इन दोनों जायदादों को जो कि पाकिस्तान में और हिन्दुस्तान में हैं, उनको गवर्नमेंट लेविल के ऊपर बदल लिया जाय, यानी वह तमाम ज़मीनों और मकानों की मिल्कियत वहां पर ले ले और हम तमाम ज़मीन और मकानों की मिल्कियत यहां पर ले लें । मोटे तौर से दोनों की क़ीमत का अन्दाज़ा लगाया जाय और जिस को रुपया लेना देना है, वह ले दे लिया जाय । हमने कभी इसके ऊपर भी इसरार नहीं किया, ज़िद नहीं की कि दोनों की क़ीमतों में जो फ़र्क़ हो वह आखिरी कौड़ी तक वसूल किया जायगा । हमने कहा कि एक रक़म तय कर ली जाय और उसे एक मुल्क दूसरे मुल्क को दे, यानी मक़रूज़ मुल्क दूसरे मुल्क को दे दे । उन्होंने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया । उनका बराबर कहना यह है कि इन जायदादों के मालिक अलहदा अलहदा तबदील कर लें । यह बिल्कुल नामुमकिन चीज़ है । तमाम

ज़मीनों पर क़ब्ज़ा हो गया, चार चार, पांच पांच वर्ष से इधर भी लोग उन पर बैठे हुए हैं, उधर भी बैठे हुए हैं। यह किस तरह से मुमकिन हो सकता है कि ज़मीनें तबदील हो सकें। मकानों में भी लोग आबाद हैं, किस तरह से उन मकानों की तबदीली हो सकती है। इसके अलावा तीन लाख मकान इधर हैं और पांच लाख के क़रीब मकान उधर हैं। इतनी बड़ी तादाद में कैसे मालिक एक जगह से जाकर दूसरी जगह बेच सकते हैं। और मान लीजिये कि यह मुमकिन भी हो जाय कि हर एक आदमी यहां से जाकर अपनी ज़मीन और मकान को बेच ले और वहां से आकर अपनी ज़मीन और मकान को यहां बेच ले, तो सवाल यह पैदा होता है कि जिस मुल्क में जायदाद ज्यादा है, वहां पर कुछ जायदाद बाक़ी बचेगी, उसका क्या फ़ैसला होगा। चुनांचे हमने पाकिस्तान से कहा कि थोड़ी सी देर के लिये इस को मान भी लें, हालांकि हम इस को मुमकिन नहीं समझते कि तमाम ज़मीनों और तमाम मकानात की जो हिन्दुस्तान के अन्दर हैं उनकी तबदीली कर ली जाय। उन मकानों और ज़मीनों से कि जो पाकिस्तान में हैं, लेकिन फिर भी जो वहां ज़मीन और मकान बाक़ी रहेंगे उनके बारे में आप क्या कहते हैं। असल बात यह है कि हमारे यहां एक गंवारू कहावत है : "देनी आई बुनाई, घटा बतावे सूत" बुनाई का वक्त देने का आया तो सूत ही कम बताते हैं। यही सवाल यहां पर है चूंकि वह जानते हैं कि हमारी बहुत ज्यादा जायदाद वहां पर है, बहुत ज्यादा ज़मीन है, उनको रुपया देना पड़ेगा, तो वह फ़ैसला नहीं कर रहे हैं ? बिल्कुल साफ़ बात है।

हमारे मुल्क के अन्दर मकानात गिर रहे हैं। हर बरसात में बड़ी तादाद में मकान गिर जाते हैं। हमने पिछले दिनों कुछ मकान जो गिरने वाले थे, बहुत ख़राब हालत में थे उनको बेचने का सिलसिला जारी किया। पाकिस्तान ने उस पर प्रोटैस्ट किया कि हम सन् १९४९ के वादे के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। हमने उनको रोक दिया। लेकिन अब हम यह समझते हैं कि जायदाद को बरबाद होने देना नामुनासिब होगा। हमारे सब्र का प्याला भर गया है। कोई और रास्ता हमको नज़र नहीं आता कि जिससे हमारा काम बने और पाकिस्तान में और हमारे यहां जो जायदादें हैं उनका मामला फ़ैसल हो जाय।

इधर शरणार्थियों से हमने इस बात का वायदा किया कि हम उनको मुआविज़ा देंगे कोई मुआविज़े की स्कीम कामयाब नहीं हो सकती जिस वक्त तक कि जायदादों के ऊपर जो लोग चले गये हैं, उनकी मिल्कियत के हक़ को ख़त्म न किया जाय, तो तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए मैं समझता हूं कि अब वक्त आ गया है कि जब हमको जहां तक मुमकिन हो सके एक फ़ैसले के साथ और अगर वह मुमकिन न हो तो एक तरफ़ा भी उसका फ़ैसला हमें करना होगा, कब तक ये जायदादें पड़ी रहेंगी। कब तक यह मामला खटाई में पड़ा रहेगा, इस चीज़ पर गवर्नमेंट ग़ौर कर रही है। इसी के साथ में एक सवाल और पैदा हो जाता है। कल पाकिस्तान के रिहैबिलिटेशन मिनिस्टर ने इवैकुयी प्रापर्टी ला को ख़त्म करने के लिये कहा हमने तो अपनी राय बहुत पहले इस बारे में ज़ाहिर कर दी थी कि इवैकुयी प्रापर्टी का सारा मामला ख़त्म कर दिया जाय, यह जो इवैकुयी प्रापर्टी है इसका मामला तय किया जाय, इवैकुयी प्रापर्टी के क़ानून को ख़त्म करना चाहिये। ज़ाहिर है कि इवैकुयी प्रापर्टी ला एक ग़ैर मामूली क़ानून है। मामूली तौर से किसी मुल्क के स्टेचूट में इस तरह का कानून नहीं होता। बटवारा हुए भी सात वर्ष हो गये, कब तक यह क़ानून चलेगा ? आज यह कानून किस के ख़िलाफ़

[श्री ए० पी० जैन]

इस्तैमाल हो रहा है। जितने जाने वाले थे वह क़रीब क़रीब जा चुके, कुछ थोड़े बहुत जाते भी हैं तो कोई जायदाद वाले ज्यादा नहीं जा रहे हैं। अब इस क़ानून का जो कुछ भी असर है वह उन लोगों पर है जो यहां पर हैं और मैं समझता हूं कि अब वक्त आ गया है जो इवैकुयी प्रापर्टी हैं और जो इसके क़ानून हैं, उन सबका ही हम को फ़ैसला करना चाहिये। यह चीज़ इस वक्त गवर्नमेंट के सामने है, इसके ऊपर गौर हो रहा है और इसका फ़ैसला होगा।

एक छोटी सी बात थी, उसके बारे में एक दो शब्द कह कर ख़त्म करूंगा। श्री नन्दलाल इस वक्त पार्लियामेंट में मौजूद नहीं हैं, उन्होंने कहा था कि जो जायदादें हमारी बनाई हुई हैं और जो हम शरणार्थियों को बेच रहे हैं, उनको नफ़ा लेकर हम बेच रहे हैं। मुझे अफ़सोस है कि उन्होंने ऐसी बात कही, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानते हैं कि हम इसके ऊपर कोई नफ़ा नहीं ले रहे हैं। जितने की जायदाद हुई उतने के ऊपर हमने उनको बेचा। सरदार हुक्मसिंह ने इसी बात की शिकायत की कि पटेल नगर में कुछ और जगह जायदादों की क़ीमत क़ायम करने में देरी हो रही है, यह चीज़ खुद इस बात की शहादत है कि हम ठीक हिसाब लगा कर इन जायदादों को देते रहे हैं, लेकिन इस मौक़े पर मैं एक बात कह देना चाहता हूं कि जायदादों की अब हालत पलट गयी है, आज ये जायदादें उस पूल में चली गयी हैं कि जो उन पुरुषार्थियों के दरमियान में बटनी हैं जिनके कि क्लेम्स हैं। जायदादें जो बनी हैं उनमें से कुछ की तो क़ीमतें बढ़ गयी हैं, कुछ की जिनकी कि क़ीमतें नहीं बढ़ी हैं और कुछ जायदादें ऐसी बनी हैं जिनकी कि क़ीमतें घटी हैं। मेरे वास्ते यह ग़ैर मुनासिब होगा कि राजेन्द्र नगर या पटेल नगर में उसी क़ीमत पर मकान बेचे जावें कि जिस क़ीमत पर मालवीय नगर या कालका जी में दिये गये हैं। क्योंकि दोनों जगहों की बाज़ारी क़ीमत में बहुत फ़र्क़ है। हम, जो बाज़ारी क़ीमतें हैं उन पर इन जायदादों को देंगे और मैं इस बात को इसलिये साफ करना चाहता था कि लोग जान जायें कि हम क्या करने वाले हैं, अब तक जो हमने किया वह बतला दिया और आयन्दा जो हम करने वाले हैं वह भी मैंने बतला दिया है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मड हट्स के गरीब रहने वालों के बारे में मैंने आपकी ख़िदमत में अर्ज़ किया था, उनके बारे में तो कुछ कह दीजिये।

श्री ए० पी० जैन : मैंने पंडित जी को खुद बतला दिया था कि बाक़ी जो मकान रह गया है उसके वास्ते हमने पंजाब गवर्नमेंट के मिनिस्टर साहब को अख़्तियार दे दिया है कि वह जहां मुनासिब समझें रिआयत दे दें, जिस तरह से चाहे दे दें और मैं पंडित जी से कहूंगा कि बजाय यह सवाल उठाने के मुनासिब यह होगा कि वह पंजाब के मिनिस्टर से बातचीत कर लें मुझे उम्मीद है कि वह उनको पूरी तसल्ली दे सकेंगे।

श्री नवल प्रभाकर (बाह्य दिल्ली—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : मैं माननीय मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि हरिजनों के बारे में जो यह सवाल उठाया गया था कि हरिजन लोग बहुत अवनत दशा में पड़े हुए हैं, उनको मकान नहीं मिले हैं, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है?

श्री ए० पी० जैन : मुझे तो इसके बारे में कोई पता नहीं है, क्योंकि हम दिल्ली में जिस वक्त मकान देते हैं तो उसमें हरिजन और दूसरे लोगों में कोई फ़र्क़ नहीं करते, एक हिसाब से सबको दिये जा रहे हैं। अगर कोई

ऐसे हरिजन हों तो मुझे बतलाया जाय, मैं उनके वास्ते ज़रूर इन्तज़ाम करूंगा।

श्री नवल प्रभाकर : क्या यह वाक़या नहीं है कि हरिजनों को केवल एक कमरे वाले मकान दिये जाते हैं और दूसरे लोगों को बहुत बड़े बड़े मकान दिये जाते है ?

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थियों को काफ़ी रियायत दी गई हैं जबकि .....

उपाध्यक्ष महोदय : दो माननीय सदस्य एक साथ कैसे बोल सकते हैं।

श्री ए० पी० जैन : मैं आनरेबुल मेम्बर का बहुत मशकूर हूं कि उन्होंने बहुत सारी बातें सुझाई कुछ के मैंने जवाब दे दिये हैं और कुछ अगर बाक़ी रह गये हैं तो मैं उनके बारे में सोचूंगा और उसमें जो कुछ हो सकेगा करूंगा।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : कई लाख शरणार्थी इस समय कई बस्तियों में बसे हुए हैं तथा मेरा विचार था कि वह इन बस्तियों के नियमित वनाये जाने के लिये अपेक्षित समय के बारे में कुछ कहेंगे। मुझे उनसे पूर्वी बंगाल से आये शरणार्थियों के लिए ऋण की व्यवस्था किये जाने के बारे में भी कुछ सुनने की आशा थी।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस चर्चा को अनिश्चित समय तक चलते रहने देने के पक्ष में नहीं हूं। आप किसी और अवसर का लाभ उठायें।

अब मैं पुनर्वास मंत्रालय के सम्बन्ध में कटौती प्रस्तावों पर सदन का मत लूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये प्रस्तुत किये गये तथा अस्वीकृत हुए।

इसके बाद उपाध्यक्ष महोदय द्वारा मांग संख्या ८५, ८६, ८७ तथा १३३ मतदान के के लिए प्रस्तुत की गई तथा स्वीकृत हुई।

गैर सरकारी सदस्यो के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

पांचवें प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री आल्तेकर (उत्तर–सतारा) : मैं गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के पांचवें प्रतिवेदन को उपस्थित करता हूं।

अनुदानों की मांगें––जारी

उपाध्यक्ष महोदय : सदन अब श्रम मंत्रालय के अनुदानों की मांगों पर चर्चा आरम्भ करेगा।

१९५३-५४ के लिए अनुदानों की ये मांगें उपाध्यक्ष महोदय ने प्रस्तुत की :

मांग संख्या	शीर्ष	राशि
		रुपये
६५	श्रम मंत्रालय	२८,९९,०००
६६	खानों के मुख्य निरीक्षक	८,७३,०००
६७	श्रम मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	२,९०,८७,०००
६८	नौकरी दफ्तर तथा पुर्नसंस्थापन	१,१८,४८,०००
६९	असैनिक रक्षा	१,१०,०००
१३०	श्रम मंत्रालय का पूंजी व्यय	१,८३,०००

सदस्य तथा गुट नेता अपने कटौती प्रस्ताव सचिव को भेज दें।

निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गए :

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव	कटौती आधार	कटौती राशि
			रुपये
६५	श्री तुषार चटर्जी	ठीक श्रम नीति	१००
६५	श्री तुषार चटर्जी	न्यूनतम मजूरी विधान को लागू करने में विलम्ब	१००
६५	श्री तुषार चटर्जी	श्रमिकों को न्यूनतम तथा निर्वाह योग्य मजूरी	१००
६५	श्री तुषार चटर्जी	छटनी	१००
६५	श्री तुषार चटर्जी	श्रमिकों के मजदूर संघ सम्बन्धी अधिकार	१००
६५	श्री तुषार चटर्जी	श्रमिकों का नियोजकों से बोनस लेने का अधिकार	१००
६५	श्री नम्बियार	औद्योगिक विवादों के निर्णय के लिये व्यापक विधान	१००
६५	श्री तुषार चटर्जी	नियोजकों के लिये पंजीबद्ध मजदूर संघों को मान्यता देना अनिवार्य होना।	१००
६५	श्री टी० बी० विट्ठलराव	अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संघ की प्रथाओं तथा सिफारिशों का अनुसमर्थन तथा उसका अपनाया जाना।	१००
६५	श्री टी० बी० विट्ठलराव	व्यावसायिक रोग	१००
६५	श्री टी० बी० विट्ठलराव	श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण	१००
६५	श्री टी० बी० विट्ठलराव	कार्य करने की अवस्था में सुधार किये बिना उत्पादन सम्बन्धी अध्ययन का आरम्भ किया जाना	१००
६५	श्री नम्बियार	बीमा कर्मचारियों की असन्तोषजनक सेवा की अवस्था	१००
६५	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	पुरुष तथा स्त्री श्रमिकों को समान न्यूनतम मजूरी	१००

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती आधार	कटौती राशि
			रुपये
६५	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	बड़ी संख्या में मजदूरनियों की छटनी	१००
६५	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	प्रसव सम्बन्धी सुविधायें	१००
६५	श्री बी० एस० मूर्ति (एलूरु)	प्रत्येक मंत्रालय के अधीन श्रम कल्याण योजनाओं की कमी ।	१००
६५	श्री बी० एस० मूर्ति	औद्योगिक विवादों का शीघ्र तथा सन्तोषजनक निबटारा	१००
६५	श्री बी० एस० मूर्ति	कृषि श्रमिकों की उपेक्षा	१००
६५	श्री बी० एस० मूर्ति	कृषि श्रमिकों की कार्य करने की अवस्थायें	१००
६५	श्री एन० श्रीकान्तन नायर	चावड़ा के खनिज समवायों की १९५१ की समझौते की कर्यवाही को क्रियान्वित करना ।	१००
६५	श्री एन० श्रीकान्तन नायर	औद्योगिक विवादों को सुलझाने में अकार्यकुशलता	१००
६५	श्री एन० श्रीकान्तन नायर	मूल न्यूनतम मजूरी का विधि द्वारा प्रवर्त्तन	१००
६५	श्री एन० श्रीकान्तन नायर	पश्चिमी बंगाल के द्वार क्षेत्र के चाय उद्योग में न्यूनतम मजूरी अधिनियम का प्रवर्त्तन	१००
६५	श्री एन० श्रीकान्तन नायर	धनबाद के कोयला खान मजदूरों के साथ असन्तोषजनक व्यवहार	१००
६६	श्री टी० बी० विट्ठलराव	कोयला खानों में घातक दुर्घटनायें	१००
६७	श्री टी० बी० विट्ठलराव	कोयला खानों तथा सोने की खानों के कर्मचारियों के लिये आवास व्यवस्था	१००
६७	श्री टी० बी० विट्ठलराव	धनबाद के चिकित्सालय में रोगियों की उपेक्षापूर्ण चिकित्सा	१००
६७	श्री रामचन्द्र रेड्डी	श्रम कल्याण निधि को जमा करवाना	१००
६७	श्री रामचन्द्र रेड्डी	कृषि योग्य किन्तु अनधिकृत सरकारी भूमि का भूमि विहीनों को वितरण	१००
६८	श्री टी०बी० विट्ठलराव	शिवराव समिति के प्रतिवेदन में विलम्ब	१००

उपाध्यक्ष महोदय : श्री तुषार चटर्जी ।

श्री तुषार चटर्जी : सरकार की श्रम नीति की सभी निन्दा करते हैं यहां तक कि भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के नेता तथा संसद् के कांग्रेसी सदस्य भी इसकी आलोचना करते हैं। इस से सरकार की श्रम नीति की असफलता का स्पष्ट पता लगता है।

परन्तु मैं यह कहूंगा कि न केवल सरकार की श्रम नीति ही असफल रही है अपितु सरकार उन मजदूरों को जो अपने अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं और उसके लिये आन्दोलन करते हैं, कुचलने का भी प्रयत्न करती है। सब जानते हैं कि चारों ओर श्रमिकों में असन्तोष फैल रहा है। श्रमिक वर्ग अपना आन्दोलन आरम्भ कर रहा है और वे जीवन की छोटी छोटी चीज के लिये जैसे मजूरी में वृद्धि, बोनस दिया जाना और छटनी बन्द करना इत्यादि के लिये संघर्ष कर रहे हैं। इन चीज़ों की मजदूरों के लिये व्यवस्था करना सरकार का उत्तरदायित्व है। किन्तु सरकार उन्हें ये सुविधायें देने की अपेक्षा उनका दमन कर रही है। बर्नपुर की घटना, बम्बई में पुलिस का गोलीकाण्ड, कानपुर में कपड़ा मिल मज़दूरों की गिरफ्तारी और कोयला तथा अभ्रक की खानों के मजदूरों का दमन इसके सजीव उदाहरण हैं। हमें सभी जगह असन्तोष और सरकार का दमन-चक्र ही दिखाई देता है।

भीषण बेकारी और छंटनी को रोकने के लिये सरकार कुछ नहीं कर रही है।

वित्त मंत्री जी ने कहा था कि नवीकरण बहुत अच्छा और आवश्यक है, किन्तु इसके कारण बेकार होने वाले फ़ालतू श्रमिकों के कष्टों को दूर करने के लिये सरकार ने कोई उपाय नहीं निकाला है। इसका कांग्रेसी सदस्यों ने भी विरोध किया था, किन्तु सरकार ने फिर भी अपनी नीति नहीं बदली है

सरकार की इस नवीकरण की नीति से कपड़ा मिलों में तकुओं पर काम करने वाले लगभग अस्सी प्रतिशत मज़दूर फ़ालतू हो जायेंगे। पटसन मिलों की स्थिति तो इससे भी बुरी है। भारतीय पटसन मिल संघ के प्रधान ने अपने भाषण में स्पष्ट कहा था कि वह कार्यकुशलता के लिये नवीकरण नहीं कर रहे हैं, बल्कि श्रम को बचाने के लिये ऐसा कर रहे हैं। इसके फलस्वरूप कपड़ा और पटसन मिलों में भारी छंटनी की जा रही है। इस छटनी से न केवल बहुत से श्रमिक बेकार हो जाते हैं, बल्कि काम करने वालों पर भी काम का बोझ अधिक बढ़ जाता है।

सरकार अपने कार्यालयों में भी नवीकरण की नीति अपना रही है और इस कारण सरकारी कार्यालयों में भी छंटनी की जा रही है और लोगों पर काम बढ़ रहा है।

औद्योगिक विवाद अधिनियम के संशोधन से बेकारी के दिनों के लिये और छटनी के लिये जो थोड़ी सी सुविधा मिली है नैमित्तिक श्रमिक उससे वंचित हैं और वे भी वंचित हैं जिन्हें दण्ड दिया गया हो। मुझे मालूम है कि इस से कम से कम पटसन मिलों के नैमित्तिक श्रमिकों को तो बहुत कष्ट हो रहा है। पटसन और कपड़ा मिलों में नियोजक इस खण्ड का आश्रय लेकर सामूहिक रूप से आरोप पत्र दे रहे हैं।

मैं श्रमिकों के सम्बन्ध में दो या तीन महत्वपूर्ण बातें कहना चाहता हूं। एक तो सरकार ने कोई न्यूनतम राष्ट्रीय मजूरी निश्चित करने के प्रश्न की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है। न्यूनतम मजूरी अधिनियम बहुत सीमित रूप से लागू होता है। दूसरे, उचित मजूरी समिति के प्रतिवेदन में न्यूनतम मजूरी निश्चित करने के सम्बन्ध में, कुछ करने का सुझाव दिया गया है, उसका आदर नहीं किया गया है। राज्य बीमा अधि-

नियम का लाभ अब तक बीमा किये जाने योग्य कुल श्रमिकों के केवल आठ प्रतिशत को प्राप्त हुआ है। औद्योगिक आवास-व्यवस्था के सम्बन्ध में सरकार ने जो उपबन्ध किया है उसके अनुसार श्रमिकों के लिये घर बनाना मिल मालिक की इच्छा पर निर्भर करता है सरकार उसे बाध्य नहीं कर सकती है। इस प्रकार श्रमिकों की तीनों महत्वपूर्ण चीजों अर्थात्, काम मजूरी और आवास-व्यवस्था के लिये सरकार कुछ नहीं कर रही है। सरकार विवादों में भी बड़ी अनिच्छा से और बहुत बार कहने पर हस्तक्षेप करती है। बीमा कर्मचारियों के लिये भी तो निरन्तर मांग करने पर भी अब तक न्यायाधिकरण नहीं बनाया गया है। इसके विपरीत सरकार जब कभी हस्तक्षेप करती भी है तो कर्मचारियों के पक्ष में नहीं, अपितु उनके विरुद्ध ही करती है। बैंक न्यायाधिकरण इसका ज्वलन्त उदाहरण है।

मैं पहले ही कह चुका हूं कि सरकार मजदूर संघ आन्दोलन को कुचलने का प्रयत्न कर रही है। हाल ही में यद्यपि टीटागढ़ कागज़ मिल्स और दुर्गापुर (दामोदर घाटी निगम) की हड़ताल वैध थी, किन्तु वहां भी न जाने क्यों दमन-चक्र चलाया गया और लाठी वर्षा की गई तथा धारा १४४ लगा दी गई।

मैं अन्त में एक बात और कहना चाहता हूं। हमने २०,००० मजदूरों के हस्ताक्षर से पटसन मिल के मजदूरों के लिये बोनस के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार से अभ्यावेदन किया था पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री ने भी हमारी मांग को उचित ठहराया था किन्तु जब इसके लिये शान्तिपूर्वक आन्दोलन किया गया तो केन्द्रीय सरकार के इशारे से राज्य सरकार ने सामूहिक गिरफ्तारियां कीं। इसका अर्थ यह है कि केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारें श्रमिक वर्ग को अपने जीवनधारण के लिये भी संघर्ष करने देना नहीं चाहती है। जब तक मजदूर संघ कुछ शर्तें पूरी न करें और मिल मालिकों के कहने पर न चलें तब तक उन्हें मान्यता नहीं दी जाती है। सरकार ने कम से कम २० लाख नौकर रखे हुए हैं। किन्तु सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के विवादों को निबटाने के लिये कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार उन्हें मजदूर संघ बनाने का मूल अधिकार भी नहीं देना चाहती है। सरकार मजदूरों की सहायता करने की अपेक्षा उन्हें हर प्रकार से कुचलने का प्रत्यत्न कर रही है।

श्री के० पी० त्रिपाठी (दर्रांग) : बर्नपुर में मजदूरों और मालिकों का झगड़ा नहीं था, बल्कि दो मजदूर संघों में नेतृत्व के लिये परस्पर झगड़ा था। इसलिये मजदूरों को संगठित रहना चाहिये। उनके झगड़ने से मालिकों और सरकार को बहुत लाभ होता है। मैं मज़दूरों से अपील करता हूं कि वे राजनैतिक आधार पर मतभेद करने की नीति को छोड़ दें। मुझे पता चला है कि बर्नपुर की स्थिति बिगड़ रही है और वहां मजदूरों को पीटा जा रहा है। मामले को समाप्त होने देना चाहिए था और उसके बाद मजदूरों का कोई उचित संघ बनाया जा सकता था।

सरकार की नीति प्रगतिशील प्रतीत होती है, क्योंकि हड़तालें कम हो गई हैं और पहले की अपेक्षा समय भी कम नष्ट होता है। इससे सरकार की नीति की सफलता आंकी जा सकती है। सरकार की न्याय निर्णयन सम्बन्धी नीति को मजदूरों ने स्वीकार कर लिया है और अपना लिया है। इसके द्वारा मजदूर संघ क्षेत्र में प्रगति हुई है किन्तु सरकार ने इसका उचित रूप में पालन नहीं किया है। सरकार ने सब मामलों को न्याय निर्णय के

[श्री के० पी० त्रिपाठी]

लिये प्रस्तुत नहीं किया है, जिसके कारण मजदूरों को दुख उठाना पड़ता है। पहले सरकार ने मजदूरों से हड़ताल छोड़ कर इस नीति को अपनाने को कहा था और अब जब उन्होंने इसे अपना लिया है तो उन्हें न्याय निर्णय का अधिकार न देना अच्छा काम नहीं है।

आसाम और बंगाल में चाय उद्योग के मजदूर ६ वर्ष से बोनस की मांग कर रहे हैं, किन्तु इसका निर्देश न्याय निर्णयन को नहीं किया गया है अब सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये।

दिल्ली में श्रम मंत्रालय की नीति को प्रभावित करने के निमित्त नियोजक गोष्ठी के कारण मजदूर लोग भयभीत हो रहे हैं मैं समझता हूं कि सरकार अपने पथ से विचलित नहीं होगी।

एक माननीय सदस्य : यह पहले ही पथ भ्रष्ट हो चुकी है।

श्री के० पी० त्रिपाठी : यदि कोई भाग दब भी जाता है तो इसे पुनः ठीक किया जा सकता है। प्रधान मंत्री ने कहा था कि भारत कल्याणकारी राज्य है। अब प्रश्न यह है कि किस का कल्याण ? मजदूरों और कृषकों का कल्याण इस का मुख्य उद्देश्य होना चाहिये लोगों की प्रसन्नता में वृद्धि होनी चाहिये और नियोजकों के प्रभाव का प्रतिकार होना चाहिये। इस का न केवल सरकार से ही सम्बन्ध है, अपितु हमारे साथ भी इस का सम्बन्ध है।

औद्योगिक विवाद (संशोधन) अधिनियम पारित करने के लिये मैं श्रम मंत्रालय को बधाई देता हूं, क्योंकि बेकारी और छंटनी के लिए मजदूरों को प्रतिकर देना एक प्रगतिशील कार्य है, किन्तु नियोजक लोग नवीकरण द्वारा छंटनी की औचित्यता सिद्ध करने के लिये इस का उपयोग कर रहे हैं। हम ने यह नहीं सोचा था कि इस के आधार पर नवीकरण की औचित्यता सिद्ध की जायेगी। समाचार पत्रों में इस की बड़ी आलोचना की गई है किन्तु यह द्विपक्षीय समझौता है और नियोजकों ने भी इसे स्वीकार किया था। इस अधिनियम के विरुद्ध जो उत्पात मचाया गया है, वह देश में टैक्नोलोजिकल नवीकरण पर जोर देने के लिये एक प्रयत्न दिखाई देता है। भारत की वर्तमान अर्थ व्यवस्था की परिस्थिति में ऐसी कार्यवाई अवनति की ओर ले जाने वाली सिद्ध होगी।

पंचवर्षीय योजना में वर्णन किया गया है कि पंच वर्षों में जन संख्या के बढ़ने के कारण ९० लाख मज़दूर पैदा हो जायेंगे। किन्तु हम पाते हैं कि १५/२० प्रतिशत योजना का भाग पूरा नहीं हो सकेगा, इस प्रकार पांच वर्षों की समाप्ति पर वर्तमान बेकार लोगों में ३० लाख बेकार व्यक्तियों की और वृधि हो जायेगी।

इस स्थिति में वर्तमान उद्योगों में नवीकरण की नीति नहीं अपनाई जानी चाहिये, क्योंकि ऐसा करने से नियोजकों को अधिक लाभ होगा और मज़दूर की मजूरी में वृद्धि नहीं होगी। यदि उन की मजूरी बढ़ भी गई, तो छंटनी होगी, और अन्ततोगत्वा मजदूरों को हानि पहुंचेगी। मैं आशा रखता हूं कि सरकार इस का लगातार ध्यान रखेगी और वह टैक्नोलोजिकल नवीकरण के द्वारा लोगों की छंटनी करना संभव न होने देगी। साधारण नवीकरण जैसी योजना को मज़दूर स्वीकार कर सकते हैं। अहमदाबाद सूती वस्त्र उद्योग के मजदूरों और नियोजकों में इस आधार पर समझौता हुआ है; मजूरी बढ़ जाने के कारण किसी प्रकार की छंटनी नहीं हुई है।

बेकारी भविष्य निधि और बीमा विषयक प्रश्नों के सम्बन्ध में सरकार ने ठीक कार्यवा

की है, किन्तु साहस में कमी होने के कारण प्रगति बहुत कम हो रही है । सरकार को इन सामाजिक कल्याण संस्थाओं को एक पृथक विभाग में विलीन करना चाहिये, जहां सारे उपक्रम की कार्यान्विति पर उचित ध्यान दिया जा सके । इस प्रकार कुल लागत कम हो जायेगी और मज़दूरों व नियोजकों का इस में कोई आपत्ति नहीं होगी । लागत में हुई वृद्धि केवल मजूरी का १० प्रतिशत है और कुल लागत का लगभग ३ प्रतिशत । सरकार इन उद्योगों को योजना से बाहर रख कर अपनी योजनायें बनाने की अनुमति देती थी, इसलिये लागत कम आई है ! इन सब को एक विभाग के अधीन लाने से कुल लागत कम हो जायेगी ।

बगान श्रम अधिनियम को अच्छी तरह लागू करने के लिये क्रियाकारी कार्यवाई की जानी चाहिये । प्रत्येक उद्योग में लाभ बढ़ रहे हैं, किन्तु नियोजक कहते हैं कि उद्योगों की स्थिति ख़राब हो रही इसलिये मजूरी नहीं बढ़नी चाहिये और बोनस भी नहीं देना चाहिये । इन आंकड़ों के आधार पर हम कह सकते हैं कि वस्तुस्थिति ऐसी नहीं है, इसलिये मजूरी अवश्य बढ़नी चाहिये । वाणिज्य तथा वित्त मंत्री के भाषणों से पता चलता है कि सरकार की नीति में इस विषय में परिवर्तन हो रहा है कि मजूरी बढ़नी चाहिये । मैं नहीं कह सकता कि इस पर कार्य किया जायेगा अथवा नहीं । उत्पादन में वृद्धि होने के साथ साथ मजूरी में भी उसी प्रकार वृद्धि होती है । ऐसा अमरीका और पूर्व के सब देशों में हुआ है । जब एक मजूरी के स्तर में वृद्धि नहीं होती तीसरे क्षेत्र की अवस्था भी नहीं सुधर सकती है; यदि तीसरे क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र में कारोबार घट जाता है तो बेकारी लगातार बढ़ती जायेगी, जो देश अर्थ की व्यवस्था को नष्ट कर के लोगों को बरबाद कर देगी ।

इसलिये मजूरी का बढ़ाया जाना अनिवार्य है । मैं सरकार के रुख का स्वागत करता हूं । सरकार ने उचित मजूरी निश्चित करने के लिये समिति बनाई थी, किन्तु दुर्भाग्यवश उस ने काम नहीं किया है । न्यूनतम तथा अन्य मजूरी का ध्यान रखते हुए उचित मजूरी निश्चित कर दी जानी चाहिये, ताकि आय में इस समय जो अन्तर है वह दूर हो सके ।

श्री के० एल० मोरे (कोल्हापुर व सतारा—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : आज-कल लोगों के सामने सब से कठिन समस्या बेकारी की समस्या है । जितनी मानसिक उलझन और परेशानी लोगों को इस समस्या के कारण है, उतनी पाक-अमरीकी सहायता सैनिक समझौते के सम्बन्ध में भी नहीं है । यह हर्ष की बात है कि सरकार ने इस समस्या की गंभीरता का अनुभव कर लिया है और वह इस को सुलझाने के लिये भरसक प्रयत्न कर रही है । यह बात वित्त मंत्री एवं प्रधान मंत्री के भाषणों से स्पष्ट हो जाती है । इसके अलावा इस काम के लिये हमारी योजना में १७५ करोड़ रुपये की अतिरिक्त व्यवस्था भी की गई है ।

परन्तु श्रम मंत्रालय के कार्यों के प्रतिवेदन को पढ़ने पर मुझे यह जान कर बहुत निराशा हुई कि उक्त मंत्रालय बेकारी की इस महत्व-पूर्ण समस्या से सर्वथा अनभिज्ञ है । काग़ज़ी कार्यवाही करने और आंकड़ों के संकलन के अतिरिक्त श्रम मंत्रालय महत्वपूर्ण समस्याओं को हल करने के सम्बन्ध में कोई अगआई नहीं कर रहा है ।

श्रम मंत्रालय के उक्त प्रतिवेदन में दिये गये आंकड़ों को देखने से पता चलता है कि इस समस्या ने कितना विकराल रूप अपना लिया है । दिसम्बर, १९५३ के अन्त में नौकरी प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों के रजिस्टर में लगभग ५,२२,३६० प्रार्थियों के

[श्री के० एल० मोरे]

नाम थे । इस प्रकार के बेकार अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों की संख्या आजकल १६,१८८ है । यह संख्या बहुत अधिक है । इन लोगों का भविष्य अंधकारमय है । इस सम्बन्ध में मैं एक बात यह भी कहना चाहता हूं कि सरकार ने संविधान के उपबन्धों के अनुसार अनुसूचित जातियों की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया है । अनुसूचित जातियों की निर्धनता और उन की विपदायें असहनीय हैं । उन की आर्थिक दशा सुधारने के लिये विस्थापित व्यक्तियों के समान इन के लिये भी कुछ धन अलग कर दिया जाना चाहिये । अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है ।

राजनैतिक दलों ने संगठित श्रमिकों के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा । यह भी कहा गया कि सरकार संगठित श्रमिकों की दशा पर कोई ध्यान नहीं दे रही है । मैं इस विचार से सहमत नहीं हूं । मैं तो समझता हूं कि सरकार इस प्रकार के श्रमिकों के साथ पक्षपात करती है । वस्तुतः असंगठित श्रमिक, विशेष रूप से कृषक वर्ग, सर्वथा उपेक्षित रहे हैं । कृषक वर्ग के लाभ के लिये न्यूनतम मजूरी अधिनियम बनाया गया था, परन्तु वह बेकार पड़ा हुआ है । इस प्रकार उन के हित बिलकुल अरक्षित हैं ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि श्रम मंत्रालय ने सफ़ाई से सम्बन्धित श्रमिकों की दशा की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है इस वर्ग की दशा बहुत ख़राब है ।

संविधान में दिये गये राज्य की नीति सम्बन्धी निदेशक तत्वों के अनुसार राज्य को सभी नागरिकों को काम देना चाहिये । यदि कोई नागरिक बेकार रहता है, तो उस का उत्तरदायित्व राज्य पर है । हमें इसी कसौटी पर अपनी पंच वर्षीय योजना को परखना है । केवल बढ़े हुए उत्पादन से बेकारी की समस्या का अन्त नहीं हो सकता है । इस के साथ ही साथ लोगों को काम देने की व्यवस्था भी की जानी चाहिये । इस काम के हेतु नौकरी की संभावनाओं और श्रम बल के विषय में तुरन्त ही एक पूर्ण सर्वेक्षण किया जाना चाहिये । इस समस्या के सम्बन्ध में वित्त मंत्री और योजना मंत्री ने जो दिलचस्पी दिखाई है, उस से लोगों को आशा बंधेगी । मेरा सुझाव है कि इस दिशा में सरकार को अब और आगे क़दम बढ़ाना चाहिये ।

वित्त मंत्री के सभासचिव ने कहा कि नौकरी अथवा काम की संभावनायें जनसंख्या में होने वाली वृद्धि के साथ क़दम नहीं मिला सकती हैं । मैं इस विचार से असहमत हूं । निकट भविष्य में उत्पन्न होने वालों के द्वारा नौकरी की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है ।

मैं अभिनवीकरण की नीति के पक्ष में नहीं हूं । ऐसा तब तक नहीं किया जाना चाहिये जब तक कि हमारा सारा सामाजिक और आर्थिक ढांचा निदेशक तत्वों में बताये गये आधार पर बदल नहीं जाता है । यह नीति श्रमिकों को नौकरी से विस्थापित कर देगी ।

कुटीर उद्योगों, कृषि या औद्योगिक विकास के द्वारा अथवा स्वदेशी उद्योगों को संरक्षण दे कर काम या नौकरी की व्यवस्था तभी हो सकती है जब कि इस विषय में से सम्बन्धित निदेशक तत्वों को क्रियान्वित किया जाये । जहां तक पढ़े लिखे बेकारों का सवाल है, मैं समझता हूं कि देश की वर्तमान शिक्षा सम्बन्धी नीति में बिना-क्रांतिकारी परिवर्तन किये यह समस्या कभी हल नहीं हो सकती है । अन्त में मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि कृषि संबंधी कार्यों के लिये कृषकों को पर्याप्त धन उपलब्ध किया जाये और बेकार पड़ी हुई भूमि को कृषि योग्य बनाया जाये । नौकरियों में भर्ती

योग्यता, आर्थिक स्थिति और आश्रितों की संख्या का ध्यान रख कर की जानी चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं कटौती प्रस्तावों का विरोध और श्रम मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री रामचन्द्र रंड्डी : मैं दो या तीन क्षेत्रों के श्रमिकों की दशा पर, जिन से मैं परिचित हूं, प्रकाश डालना चाहता हूं।

कृषि क्षेत्रमें विशेष रूप से गैर डेल्टा वाले क्षेत्रों में बेकारी बहुत अधिक फैली हुई है। श्रमिकों के लिये वहां पर जीवन निर्वाह का साधन ढूंढना संभव नहीं है। अधिकतर भूमि उपजाऊ नहीं है और उन के पास काम का कोई और साधन नहीं है। हां, इन क्षेत्रों में सरकार के पास बहुत अधिक भूमि बेकार पड़ी हुई है, जिसे कृषि योग्य बनाये जाने की आवश्यकता है। पर कई स्थानों पर ऐसी ज़मीनों पर खेती की जा सकती है। अतः मेरा सुझाव यह है कि ऐसी बेकार पड़ी हुई सरकारी ज़मीनों को भूमिविहीन श्रमिकों में निःशुल्क वितरित कर दिया जाना चाहिये। वे अपने भरसक उन में कुछ न कुछ सुधार कर ही लेंगे। और नहीं तो इस काम के लिये सहकारिता प्रणाली के अधीन उन्हें सहायता दी जा सकती है। बेकार श्रमिक अन्य स्थानों पर जाकर वहां की बेकारी को बढ़ा देते हैं। ऐसे लोगों की दशा को सुधारने और बेकारी को दूर करने की शीघ्र व्यवस्था की जानी चाहिये। यह हर्ष का विषय है कि आंध्र राज्य ने भूमिहीन श्रमिकों को सरकारी ज़मीनें वितरित करने का विचार किया है। इस सम्बन्ध में और अच्छी तरह छानबीन होनी चाहिये और अन्य स्थानों पर भी इस नीति को लागू किया जाये तो बहुत लाभ होगा।

दक्षिण भारत के मेरे ज़िले में अभ्रक वाले क्षेत्र में कुछ बेकारी है। उस के सम्बन्ध में कार्यवाही की जानी चाहिये। यह बेकारी बहुत सी अभ्रक की खानों के बन्द हो जाने के कारण फैली है। ये खानें अभ्रक उद्योग में एक प्रकार की मंदी आ जाने के कारण बन्द हुई हैं। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि अभ्रक उपकर निधि के बचे हुए धन का कुछ भाग इन खानों को फिर से चलाने या चल रही खानों का सरकारी अभिकरणों के द्वारा प्रबन्ध करने के लिये काम में लाया जा सकता है और इस से बेकारी भी कम हो जायेगी। दूसरी बात यह है कि अभ्रक उपकर निधि के बचे हुए धन को ऐसे कामों में लगाया जाना चाहिये, जिस से सूद प्राप्त हो सके। यह धन लगभग ८५ लाख रुपये है।

यह कहा जा सकता है कि चूंकि अभ्रक के व्यापार में आजकल मंदी है, अतः इस के श्रमिकों के ऊपर कोई भी धन व्यय करना व्यर्थ सिद्ध होगा। परन्तु मैं माननीय मंत्री को यह बता देना चाहता हूं कि अभी भी अभ्रक की मांग काफ़ी है—जापान, इटली और जर्मनी जैसे देशों में। केवल थोड़े से ही खानों के स्वामी और निर्यातक इस से लाभ उठा रहे हैं। अन्य लोगों को सहायता की आवश्यकता है। सरकार को चाहिये कि यह विदेशों में अभ्रक की बिक्री को प्रोत्साहन देने के लिये शीघ्र कार्यवाही करे, नहीं तो श्रमिकों की दशा और भी बिगड़ जायेगी। यह काम तभी हो सकता है जब कि विभिन्न सरकारी विभागों और मंत्रालयों में सामंजस्य हो।

इस प्रकार की बेकारी अभ्रक क्षेत्र में ही नहीं है, बल्कि तम्बाकू और नमक के क्षेत्रों में भी है। इस ओर भी माननीय वाणिज्य मंत्री को उचित ध्यान देना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं प्रत्येक माननीय सदस्य से यह अनुरोध करूंगा। वह दस मिनट से अधिक समय न लें ताकि अधिक से अधिक लोगों को बोलने का अवसर मिल सके।

श्री जी० एल० चौधरी (ज़िला शाहजहांपुर–उत्तर व खेरी–पूर्व–रक्षित अनुसूचित जातियां) : उपाध्यक्ष महोदय, देश के सामने मज़दूरों की जो प्राबलैम है वह बहुत ही भयंकर परिस्थिति धारण करती जा रही है। जब कि मज़दूरों की समस्या दिन प्रति दिन भयंकर होती जा रही है उसी के साथ जो हमारे मुल्क में ऐसा मज़दूर तबका है कि जो खेती का काम करता है, उस की समस्या और भी कठिन होती जा रही है। उस की हालत बराबर गिरती जा रही है। मिनिस्ट्री की तरफ़ से उस तबके की पूरी अवहेलना की जाती है। खेतिहर मज़दूर के सामने कई मसले हैं, उस के सामने कई समस्यायें हैं। दूसरे मज़दूरों के सामने तो अनएम्पलायमैंट की समस्या है, लेकिन खेतिहर मज़दूर के सामने अनएम्पलायमैंट और साथ ही साथ जो एम्पलायड वर्कर हैं, जो काम करने वाले हैं, उन को आधी ही तनख़्वाह या एक तिहाई ही तनख़्वाह मिलती है, उस की भी समस्या उस के सामने है।

यू० पी० के ईस्टर्न ज़ोन में मैं आप को बतलाना चाहता हूं कि एक मज़दूर को पन्द्रह रुपये से लेकर बीस रुपये तक तनख़्वाह मिलती है। इसी तरह से अगर और भी ज़ोनों में आप देखें तो पायेंगे कि वहां पर भी पन्द्रह बीस रुपये मज़दूर को तनख़्वाह मिलती है, बारह रुपये से लेकर बीस रुपये तक तनख़्वाह मिलती है। अगर आप लिविंग वेज को लें तो आप देखेंगे कि एक आदमी के लिये उस के रहने के लिये उस के खाने के लिये कितने रुपये की आवश्यकता है। अब आप समझ सकते हैं कि जो मज़दूर केवल दस या पन्द्रह रुपया महीना पाते हैं, वह इस रुपये में किस तरह से अपना गुज़ारा कर सकते हैं। हमारी सरकार के आर्डर के मुताबिक़ कुछ सूबे की सरकारों ने खेतिहर मज़दूरों की तनख़्वाहें मुक़र्रर की हैं, उत्तर प्रदेश में २६ रुपये इन्होंने उन की तनख़्वाह मक़र्रर की है। जो रोज़ काम करते हैं उन के लिये एक रुपया रोज़ और जो माहवारी बेसिस पर काम करते हैं उनके लिये उन्होंने २६ रुपया महीना मुक़र्रर किया है यह २६ रुपये आजकल की महंगाई के ज़माने में कुछ भी नहीं हैं, जब कि स्टैंडर्ड आफ़ लिविंग ५०० और ४०० हो गया है, तो ऐसे ज़माने में २५ या २६ रुपये फ़िक्स कर देना यह अच्छी बात नहीं है। उन के अगर काम के घंटों को लीजिये तो आप देखेंगे कि जब वह काम करने आते हैं तो उन को सुबह से शाम तक काम करना पड़ता है। आप को उन के काम के घंटे मुक़र्रर करने पड़ेंगे। देश की परिस्थिति को को देखते हुए यहां पर जो काम हो रहा है उस को देखते हुए अगर आप डेली उन के लिये काम के घंटे मुक़र्रर नहीं कर सकते जैसा कि दूसरे मुल्कों में किया गया है। स्वीडन और पोलैंड में साल भर के लिये कलेक्टिव बारगेनिंग के ऊपर काम के घंटे मुक़र्रर करते हैं तो इस तरह से अगर आप मामूली खेतिहर मज़दूरों के काम के घंटे मुक़र्रर कर दें तो इस से उन को कुछ थोड़ी बहुत रिलीफ़ मिल जायगी। जहां तक उन की सोशल सिक्योर्टी का ताल्लुक़ है कड़ी धूप, बरसात और जाड़े में वह काम करते हैं। जब वे मज़दूर बरसात में खेतों में घुस कर काम करते हैं तो उन के शरीर में तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं। वह गर्मियों में जब काम करते हैं तो उन को सन स्ट्रोक हो जाता है और बहुत से आदमी इस कारण मौत के शिकार हो जाते हैं। मैं आप से मांग करूंगा कि उन के लिये आप को जल्दी से जल्दी इलनेस इंश्योरेंस का प्रबन्ध करना चाहिये ताकि उन को इन बीमारियों से छुटकारा मिले। जहां तक औरतों का ताल्लुक़ है, मज़दूर औरतों के काम को देखें तो आप पायेंगे कि वे बेचारी दिन रात खेतों में काम करती हैं, दिन रात बेचारी औरतें उन के घरों में काम करती हैं, लेकिन उन के लिये होता क्या है, उन को इतना पैसा नहीं दिया जाता जिस से वह अपना

पेट भर सकें। इस सम्बन्ध में इंटरनेशनल लेबर कांफ्रेंस ने यह रिकमेंडेशन भेजी थी कि कृषि उपक्रमों में कार्य नियोजित महिला श्रमिकों को प्रसूति सम्बन्धी सुविधायें देने की व्यवस्था की जानी चाहिये। इस तरह के क़ानून की अगर आप व्यवस्था नहीं करते हैं तो औरतों की हालत बड़ी नाज़ुक रहती है और उन की तंदुरस्ती ख़राब होती है, इसलिये यह बहुत ज़रूरी है कि इस के लिये आप प्रबन्ध करें।

अब जहां तक बच्चों का ताल्लुक़ है, हालत यह है कि आठ आठ और दस दस वर्ष के बच्चे इम्प्लायेड होते हैं और वे जा कर खेतों में काम करते हैं और उन की पढ़ाई नहीं हो पाती, पढ़ाई के दिन ख़त्म हो जाते हैं। मैं आप से कहूंगा कि उन की पढ़ाई के लिये सीधा लेजिस्लेशन नहीं कर सकते तो उन के लिये आप कोई एक इनडायरेक्ट लेजिस्लेशन ला सकते हैं। आप उन को शिक्षित करने के लिये कम्पलसरी एजूकेशन सर्टेन ऐज तक रखिये जैसा कि दूसरे मुल्क़ों में होता है। आप अगर मुल्क़ की बहबूदी और भलाई चाहते हैं, और देश को उठाना चाहते हैं तो देश का जो पिछड़ा वर्ग है मज़दूर तबक़ा है और जो खेतों में काम करते हैं उन के लिये भी आप कुछ सोचिये और प्रबन्ध कीजिये। आप तरह तरह के प्लान बनाते हैं और हज़ारों रुपये ख़र्च करते हैं लेकिन मज़दूरों के लिये आप कोई स्कीम और प्लान नहीं बनाते हैं। बहुत दिनों के बाद आपने एक इनक्वायरी कमेटी सन् ४९ में बिठाई, वह कमेटी थोड़े से कुछ चुने हुए गांवों में ही गयी और इन चुने हुए गांवों का नतीजा निकाल कर आप के सामने पेश किया।

खेतिहर मज़दूरों की हमारे देश में काफ़ी संख्या है, और यह बहुत ज़रूरी है कि आप उन के लिये एक कमीशन बिठाइये और उस के द्वारा सारे मुल्क़ में जो खेतिहर मज़दूर हैं उनके काम पर ग़ौर कीजिये और जब आप उन की दशा में सुधार कर सकेंगे और उन के लिये जीवन की आवश्यकतायें सुलभ कर सकेंगे, तभी मेरी समझ में आप मुल्क़ का मसला हल कर सकते हैं।

श्री केशवैयंगार (बंगलौर उत्तर) : सम्पूर्ण श्रम विधान को प्रस्तुत करने की क्रिया में जो बहुत देर हुई है उस के कारण प्रत्येक व्यक्ति को परेशानी हुई है। मेरा विचार है कि इस सम्पूर्ण विधान को जिस के प्रस्तुत करने का वचन बहुत दिन हुए तब दिया गया था, शीघ्र ही प्रस्तुत करने का प्रयत्न सम्बन्धित मंत्री संयुक्त दायित्व के रूप में ले कर करें।

मध्यस्थ न्यायाधिकरण को झगड़ों का भेजना भी एक ऐसी बात है जिस के कारण कर्मचारियों के मस्तिष्क में काफ़ी विरोध हो रहा है। संयुक्त दायित्व, चाहे सम्बन्धित मंत्रालयों का कुछ भी रहे, किन्तु श्रम सम्बन्धी कार्यों से सम्बन्धित मंत्री को न्यायाधिकरण को भेजे जाने वाले मामलों के बारे में उन की गुणिता के आधार पर अपने आप को सन्तुष्ट कर शीघ्र ही उन के भेजे जाने का प्रयत्न करना चाहिये। क्योंकि देश में हुआ न्याय कोई न्याय नहीं होता है। न्यायालय को मामला न भेजे जाने के कारण कर्मचारियों को काफ़ी रुकावट हुई है। अतः सम्बन्धित विभागों को भेजे जाने वाले मामलों को शीघ्र ही भेजा जाय ताकि कर्मचारियों को कोई परेशानी न उठानी पड़े।

अभिनवीकरण ऐसा होना चाहिये कि जिस से कि श्रमिकों में बेकारी न बढ़े। देश के उत्पादन की वृद्धि में यहां के श्रमिक बहुत ही रुचि रखते हैं। हम अपनी कमर से पट्टी बांधकर कठोर परिश्रम करने को तैयार हैं बशर्ते कि श्रमिकों की स्थिति में सुधार हो और उचित रूप से उन की देखभाल हो। श्रमिकों से अच्छा काम कराने के लिए उन्हें कोई और लालच देने की अपेक्षा अतिरिक्त

[श्री केशवैयंगार]

[उत्पादन से होने वाली आय में से कुछ भाग देने का प्रलोभन देना अच्छा होगा।

अभिनवीकरण से स्वत: ही उद्योग के मूल्य के बंटवारे का प्रश्न आता है। मज़दूरों को मिलने वाले वेतन तथा मालिकों की आय और विशेषत: प्रबन्ध अभिकरण की आय में बहुत अन्तर है। इस अन्तर में कमी लाने का प्रयत्न करना है एवं यह देखना है कि इस का प्रबन्ध किस प्रकार अच्छा हो सकता है। मेरा तो यही निवेदन है कि अभिनवीकरण के परिणामस्वरूप श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार हो तथा जनता को चीजें सस्ती मिलें। यदि ये बातें नहीं होती हैं तो अभिनवीकरण देश के कल्याण के लिए अच्छा नहीं समझा जा सकता है।

दूसरी बात यह है कि विभिन्न देशों में हमारे राजदूतों के साथ श्रम सहचारी नियुक्त करने में हमारी सरकार की रुचि बिल्कुल भी नहीं है। हमारे प्रतिनिधि यदि किसी देश में जाते हैं तो वहां की श्रम सम्बन्धी संस्थाओं से सम्पर्क स्थापित करने में उन्हें काफ़ी कठिनाई होती है। विदेशों में श्रमिकों की स्थिति का ज्ञान करने एवं श्रम कल्याण सम्बन्धी समस्याओं को सुलझाने के लिए किन उपाय एवं साधनों का प्रयोग किया जाता है, इस की जानकारी प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि कम से कम महत्वपूर्ण देशों के दूतावासों में श्रम सहचारी रखे जाने की व्यवस्था की जाय। मेरा विचार है कि विदेशों को जाने वाले प्रतिनिधि मंडल केवल यह न समझें कि वे किसी निमंत्रण पर विदेश जा रहे हैं अपितु उन देशों में श्रमिकों की स्थिति और उन की समस्याओं के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं।

अभ्रक कर्मचारियों की दशा बड़ी खराब है। वहां की स्थानीय सरकार उन की समस्या को सुलझाने में असफल रही है। अच्छा हो कि यदि श्रम मंत्री स्वयं इस में रुचि लें और उन कर्मचारियों को कुछ आराम दें।

एक बात और कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। हम ने श्रम सम्बन्धी बहुत से विधान बनाये हैं किन्तु उन को क्रियान्वित करने में काफ़ी कठिनाई हुई है। राज्य सरकारें केन्द्रीय सरकार का साथ नहीं दे रही हैं। मैं समझता हूं कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है अत: इस के बारे में शीघ्र ही जांच की जानी चाहिये। इसलिये उन बहुत से विधानों को, जिन्हें कि हम ने पारित कर दिया है, शीघ्रातिशीघ्र क्रियान्वित करने के लिए कोई व्यवस्था की जानी चाहिये।

श्री इलयापेरुमल (कुडलूर—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : भारतवर्ष के तीन चौथाई व्यक्ति खेती करते हैं। उन को तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, कमाऊ आश्रित, न कमाने वाले आश्रित, तथा आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर व्यक्तियों को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है—कृषक और गैर कृषक।

औद्योगिक श्रमिकों की अपेक्षा कृषिक श्रमिकों की दशा अधिक शोचनीय है। कृषि श्रमिकों के लिए न तो ब्रिटिश राज्य में ही कुछ किया गया था और न अब ही कुछ किया जा रहा है। कृषि श्रमिक को फसल के दौरान में भी केवल ३।। महीने काम मिलता है, और उस से होने वाली थोड़ी सी आय से ही वह अपने सम्पूर्ण परिवार का पोषण करता है। कृषि श्रमिक किसान के सेवक होते हैं। किसान को उस की कृषि से लाभ होता है किन्तु कृषि श्रमिक को सारे दिन परिश्रम करने के बाद घटिया अन्न दिया जाता है। जब ये श्रमिक सुखी एवं सन्तुष्ट होंगे तभी अधिक अन्न उपजा सकते हैं। हमारी कांग्रेस सरकार ने औद्योगिक श्रमिक तथा फैक्टरी श्रमिकों के लिए तो

विधान बनाये हैं किन्तु कृषक श्रमिकों के लिए कुछ नहीं किया है ।

[पंडित ठाकुरदास भार्गव पीठासीन हुए]

औद्योगिक तथा फैक्ट्री श्रमिकों को प्रशिक्षण देने के लिए तो १० केन्द्र खोले गये हैं किन्तु कृषि श्रमिकों के लिए एक भी नहीं है ।

फैक्टरी एक्ट में व्यवस्था की गई है कि किसी भी श्रमिक को कोई ऐसा बोझ ले जाने की आवश्यकता नहीं है जो उसे चोट पहुंचा सके । बाल नियोजन अधिनियम १९५१, १४ साल से कम उम्र वाले बच्चों को नौकरी पर लगाने से रोकता है । किन्तु कृषि श्रमिकों के बच्चों के बारे में, उन की शिक्षा के बारे में क्या स्थिति है, उनकी स्त्रियों के लिए क्या व्यवस्था की है ? मुझे दुख है कि कुछ राज्यों में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम तक लागू नहीं किया गया है । अतः इनके प्रति सामाजिक न्याय करने में अधिक देर नहीं की जानी चाहिये ।

संविधान के अनुसार बेगार बंद कर दी गई है किन्तु मद्रास राज्य में विशेषतः हरिजन कृषि श्रमिकों को इसके लिये बाध्य किया जाता है । क्या इसके विरुद्ध कोई व्यवस्था की गई है ? यह एक गंभीर बात है जो भारतवर्ष के ६ करोड़ पिछड़े व्यक्तियों पर प्रभाव डालती है । यदि यह दूर कर दी जाती है तो निश्चय ही अस्पृश्यता निवारण में सहायता करेगी ।

मद्रास राज्य में तंजोर काश्तकारी अधिनियम सन् १९४८ में पारित हुआ था किन्तु कुछ स्थानों को छोड़कर शेष मद्रास में यह अधिनियम क्रियान्वित नहीं किया गया है । यह जमीदारों और किसानों की सहायता करता है न कि कृषि श्रमिकों की । अभी १८ मार्च को राष्ट्रपति ने काश्तकारी अधिनियम पर अपनी अनुमति दी है किन्तु कृषि श्रमिकों के बारे में उसमें भी कुछ व्यवस्था नहीं की गई है । अतः माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि वह राज्य सरकार को यह आदेश दें कि वह शीघ्र ही सम्पूर्ण राज्य में उस अधिनियम को लागू कर दें ।

जिला त्रिचिनापल्ली के मुसीटी तथा कारूर ताल्लुकों में न्यूनतम मजूरी अधिनियम को लागू करने के लिए पिछले वर्ष झगड़े हुए थे किन्तु सरकार ने कुछ कार्यवाही नहीं की थी बेचारे कृषिक श्रमिक पुलिस द्वारा पीटे गये तथा बन्दी बनाये गये थे ।

कृषि श्रमिकों की समस्या को सुलझाने का उपाय यही है कि कृषि सम्बन्धी क्रांतिकारी सुधार किये जायें । भूमि के जोतने वालों तथा राज्य के बीच के व्यक्तियों को समाप्त कर दिया जाय और भूमि उन्हीं व्यक्तियों को दी जानी चाहिये जो कि वास्तव में उसे जोतते हैं । औद्योगिक तथा फैक्टरी श्रमिकों के लिये जब इतना किया गया है तो मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि कृषि श्रमिकों के मकानों शिक्षा तथा चिकित्सा सम्बन्धी सहायता के लिये कम से कम दो करोड़ रुपये का नियतन अवश्य ही किया जाना चाहिये ।

श्री बी० एस० मूर्ति (एलुरू): माननीय श्रम मंत्री बहुधा समाचार पत्रों द्वारा तथा सार्वजनिक सभाओं में बताया करते हैं कि वह कौन कौन सी समस्याओं को हल करना चाहते हैं । पर्याप्त समय बीत चुका है परन्तु उन्होंने अभी तक ऐसा कोई काम नहीं किया है । जान तो ऐसा पड़ता है जैसे कि श्रम मंत्रालय के पास कोई कार्यक्रम ही नहीं है ।

इस आयोजन के युग में श्रम मंत्रालय की भी एक योजना होनी चाहिये । एक दो बातों के सम्बन्ध में उस की योजनायें घोषित भी की गई थीं जो बाद में बदल दी गई । ऐसा जान पड़ता है कि माननीय मंत्री का

[श्री बी० एस० मूर्ति]

निश्चय दृढ़ नहीं है, वे जल्दी जल्दी अपने विचार बदलते रहते हैं ।

मिल मालिकों तथा मजदूरों के पारस्परिक सम्बन्ध भी बहुत खराब होते जा रहे हैं । कुछ समय पहले वे प्रचार करते थे तथा उनका विश्वास था कि मजदूरों को सामूहिक रूप से मजदूरी तै करने का अधिकार होना चाहिये उन्होंने घोषित किया था कि उनका उद्देश्य भारत में सामूहिक रुप से मजदूरी तै करने की उस प्रणाली को चालू करना है जो इंगलैण्ड के उद्योगों में प्रचलित है । परन्तु वह शनः शनः अपने विचार बदलते रहे तथा अब इस निर्णय पर पहुंचे है कि यह प्रणाली भारत के लिये उपयुक्त नहीं हैं । यह कैसे संभव हुआ? इस का बस एक ही कारण है और वह यह कि पूंजीपतियों के विरोध तथा दबाव के कारण उनको अपना मत बदलना पड़ा । इस प्रकार की ढलमल तथा अनिश्चित नीति के कारण सर्वत्र गड़बड़ी तथा अव्यवस्था फैली हुई है । इसका एक और प्रमाण यह है कि कांग्रेस दल की श्रम उपसमिति ने, भारत में मजदूरों की गिरती हुई तथा दयनीय दशा पर विचार करने के लिये, हाल ही में एक आपात कालीन बैठक बुलाई है इसका कारण श्रम मंत्रियों की नीतियों की अत्यन्त अनिश्चितता है । देश की अधिकांश जनता का भी यही मत है । मजदूरों तथा मालिकों के कितने ही झगड़े अभी तक अनिर्णीत पड़े हुये है और मंत्री महोदय बराबर इन के सम्बन्ध में न्यायनिर्णयन का निर्देश भेजने से इनकार कर रहे हैं । हिन्द मजदूर सभा भारतीय राष्टीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, अखिल भारतीय ट्रेड युनियन कांग्रेस तथा अन्य सभी मजदूर संगठन अपनी हर बैठक में यही मत प्रकट करते हैं कि श्रम कल्याण के सम्बन्ध में मंत्रालय की लापरवाही को देख कर उन्हें बड़ी निराशा हो रही है ।

कुछ ऐसे उदाहरण भी हैं जिनमें वर्तमान श्रम मंत्री ने पूर्ववर्ती श्रम मंत्री द्वारा आरम्भ की गई योजनाओं को पूरा करने में बहुत लापरवाही दिखाई है । कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम सीमेंट इत्यादि छः उद्योगों पर लागू किया गया है । इस कार्य के लिये पहले उन उद्योगों को छांटा गया है जो अच्छी तरह से जमे हुए हैं । परन्तु यही पर्याप्त नहीं है । भविष्य निधि योजना का उद्देश्य यह है कि मज़दूरों के लिये कोई ऐसा प्रबन्ध किया जाये जिस से मुसीबत के समय उन की कुछ सहायता हो सके । इस दृष्टिकोण से सब से प्रथम अवसर उन मज़दूरों को मिलना चाहिये जो अधिक जोखमपूर्ण व्यवसायों में काम करते हैं जैसे कोयले खदानों में काम करने वाले मज़दूर जिन को न्यूमोकोनियोसिस तथा सिलीकोसिस जैसे रोग हो जाते हैं । इसी प्रकार अभ्रक, मैंगनीज तथा सोने की खानों में काम करने वाले मज़दूर हैं जिन को व्यवसाय के कारण और भी भयंकर रोग हो जाते हैं । इसी प्रकार चाय के बाग़ानों के मज़दूर हैं जिन के भविष्य का कोई ठिकाना नहीं है तथा जिन की दशा अत्यन्त शोचनीय है । इसी प्रकार चीनी व्यवसाय है । यह बहुत बड़ा उद्योग है तथा इस में काम करने वाले मज़दूरों के लिये इस प्रकार का प्रबन्ध करना बहुत आवश्यक है । मैं आशा करता हूं कि मंत्रालय मेरे सुझावों पर ध्यानपूर्वक विचार करेगा ।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना १९४८ में लागू की गई थी । आशा की जाती थी कि इस योजना से २५ लाख आदमियों को लाभ पहुंचाया जावेगा । अभी तक इस योजना के अन्तर्गत बीमा कराने योग्य मज़दूरों की कुल संख्या के केवल आठ प्रतिशत व्यक्तियों को ही, लिया गया है । ऐसे राष्ट्र निर्माण-कार्य के प्रति लापरवाही दिखाना क्या शोभनीय है ?

देहातों में एक बहुत बड़ी संख्या खेतिहर मज़दूरों की हैं, —जिन के पसीने से हमारे देश के लिये स्वादिष्ट भोजन तय्यार होता है। उन की आर्थिक दशा में सुधार करने के लिये मंत्रालय ने क्या किया है ? मैं आशा करता हूं कि इस सदन के सभी सदस्य मेरे इस कथन का समर्थन करेंगे कि खेतिहर मज़दूर भोजन, वस्त्र तथा आश्रय के अभाव में अत्यन्त दुखपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं।

श्री वेंकटारमन् (तंजोर) : मेरे माननीय मित्र, श्री मूर्त्ति ने कहा है कि श्रम मंत्री पूंजीपतियों के दबाव में आ गये हैं, परन्तु यह ग़लत है। नैनीताल के सम्मेलन में अखिल भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस हिन्द मज़दूर सभा, तथा अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस सभी के प्रतिनिधि थे। इस सम्मेलन में जब श्रम मंत्री ने कहा कि अनिवार्य न्यायनिर्णयन में उन का विश्वास नहीं है वरन् वे मज़दूरों के सामूहिक रूप से मजूरी तै करने के पक्ष में हैं तो मज़दूरों के प्रतिनिधियों ने कहा था कि वे अनिवार्य न्यायनिर्णयन के पक्ष में हैं : कुछ समय पूर्व जब हम अनिवार्य न्यायनिर्णयन के पक्ष में प्रचार कर रहे थे तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने औद्योगिक विवाद अधिनियम का बहुत विरोध किया था यहां तक कि उसे 'काला विधेयक' कहा गया था। परन्तु नैनीताल सम्मेलन में इन्हीं लोगों ने न्याय निर्णयन का पक्ष लिया था। इस लिये मेरा तो कहना है कि इस मंत्रालय ने मज़दूर सभाओं के दबाव में आ कर ऐसा किया है।

श्रम मंत्री ने इस दो वर्ष का समय घोर अकर्मण्यता में बिताया है। वर्तमान श्रम मंत्री ने पद ग्रहण करने के समय ही वादा किया था कि अनेक विधान बनाये जायेंगे जिन में श्रम सम्बन्ध विधेयक का विशेष रूप से उल्लेख किया गया था। परन्तु अभी तक उस का पुरःस्थापन भी नहीं हुआ है। यदि उस का पुरस्स्थापन हो जाये तो भी इस संसद् के जीवनकाल में उस का पारित होना तो नितान्त असंभव है।

शब्द 'कामगार' की परिभाषा के सम्बन्ध में बहुत भ्रम फैला हुआ है, अपीलीय न्यायाधिकरण ने इस शब्द का जो निर्वचन किया है, उस के अनुसार, कितने ही व्यक्ति जो मज़दूरी करते हैं तथा साधारणतया इस शब्द के अन्तर्गत आते हैं, वे 'कामगार' की परिभाषा में नहीं आते हैं। अतः बहुत से व्यक्ति जो कुशल कामगारों की श्रेणी में हैं, निरीक्षक कर्मचारी हैं, फ़ोरमैन हैं या और कोई बुद्धि जीवी हैं, वे इस अधिनियम के लाभ से वंचित रह जाते हैं। इस लिये माननीय मंत्री को चाहिये कि श्रम सम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत करें या न करें, कम से कम, इस भ्रम का निवारण करने के लिये अधिनियम में आवश्यक संशोधन अवश्य पेश करें।

ऐसा ही प्रश्न श्रम जीवी पत्रकारों के सम्बन्ध में भी उठाया गया था। श्रम सम्बन्ध विधेयक में, जैसा कि अस्थायी संसद् में, प्रवर समिति की रिपोर्ट में बताया गया है, हम ने शब्द 'कर्मचारी' की परिभाषा दी है। हमें चाहिये कि हम शब्द 'कामगार' की भी वही परिभाषा कर दें।

दूसरी बात यह है कि श्रम-विवादों के बारे में भी उपबन्ध स्पष्ट होना चाहिए। अब भी श्रम न्यायाधिकरणों, अपील न्यायाधिकरणों और उच्च न्यायालयों में अनेकों औद्योगिक विवाद चल रहे हैं। किसी मजदूर के निकाले जाने पर भी प्रबन्धक लोग उसे व्यक्तिगत मामला बताते हैं, और मज़दूर, मालिक या सरकार कोई भी इस का निर्णय नहीं कर पाता कि यह किस प्रकार का विवाद है। अनिश्चित विधि से अधिक दुखदायी वस्तु और कुछ नहीं होती।

[श्री वेंकटारमन]

तीसरी समस्या मालिकों द्वारा मज़दूर-मालिक सम्बन्धों में किए गए मनमाने परिवर्तनों की है। दूसरे पक्ष की सहमति के बिना रजिस्ट्रार या श्रम आयुक्त के पास पंजीबद्ध शर्तों को बदलना ठीक नहीं है। इन्हीं कारणों से अनेकों विवाद पैदा होते हैं। बम्बई में इस के बारे में एक अधिनियम है और उस के अनुसार मज़दूर को १५ दिन की सूचना दिए बिना या आपस में समझौता किए बिना या श्रम न्यायालय से निर्णय कराए बिना सेवा-शर्तों पर कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। औद्योगिक विवाद अधिनियम में भी ऐसा परिवर्तन कर देने से दोनों पक्षों के पारस्परिक सम्बन्धों में सुधार हो जाएगा।

अपील-न्यायाधिकरण अधिनियम बनते समय भी मैं ने कहा था कि इस प्रकार के न्यायनिर्णयन को व्यवहार या दांडिक प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जा सकता। यहां दो पक्ष एक ऐसा मध्यस्थ खोजते हैं, जिस का निर्णय मानने के लिए वे बाध्य हों। न्यायिक कार्यवाही का मध्यस्थ-निर्णय से भेद बताते हुए लुडविग टेलर ने भी यही बात कही है और बताया है कि मध्यस्थ-निर्णय के समय न्यायाधिकरण के समक्ष तक दोनों पक्ष आपसी निपटारे की बात करते रहते हैं। अतः अपील का उपबन्ध कर देने से अभियोग लड़ने की प्रवृत्ति बढ़ती है, और मालिक भी इस उपबन्ध का अंत चाहते हैं, और इतना ऐकमत्य किसी अन्य प्रश्न को लेकर नहीं है, अतः अपील न्यायाधिकरणों को तुरन्त समाप्त कर देना चाहिए। इस से दक्षिणवासियों को विशेष लाभ होगा, क्योंकि अपील न्यायाधिकरण के लखनऊ में स्थित होने के कारण छोटी-छोटी बातों तक के लिए उन्हें लखनऊ आना पड़ता है।

श्री अब्दुस्सत्तार (कलना कटवा) : यद्यपि इस वर्ष श्रमिकों के लिए लाभप्रद अनेक विधान बनाए गए हैं, परन्तु पश्चिमी बंगाल के कोयला खान मजदूरों की दशा उनसे कुछ भी नहीं सुधरी है। उनके क्वार्टर पशुओं के बांधे जाने लायक हैं। इन्हें पीने का पानी तक नहीं मिलता। गृह व्यवस्था योजनाएं कार्यान्वित नहीं की गई हैं। यूरोपियनों की कोयला खानों में तो शिशुशाला, स्नानघर, केन्टीन आदि की सब सुविधाएं हैं, पर भारतीय मालिक कुछ भी ध्यान नहीं देते। भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस भी आसनसोल में चार टुकड़ों में बंटी हुई है और इस प्रकार मालिकों तक को दिक्कत होती है। मजदूरों के हित के लिए सुदृढ़ मजदूर संघ अत्यावश्यक हैं। शिक्षा की बहुलक्ष्यी संस्थाओं के होने पर भी मजदूर-संघों में एकता न होने से मजदूर विशेष लाभ नहीं उठा पाते। आशा है, श्री त्रिपाठी इधर ध्यान देंगे। अभी हड़ताल के फलस्वरूप ३०० व्यक्ति बेकार हो गए। सरकार जब बेरोजगारी कम करने के लिए तुली हुई है, तो ऐसी बातें न होने देनी चाहिएं।

वहां पर मजदूरों के स्वास्थ्य, स्वच्छता आदि के लिए एक खनिक स्वास्थ्य बोर्ड है, पर उसमें मजदूरों के प्रतिनिधि नहीं हैं। जिला मजिस्ट्रेट उसके सभापति हैं और एक खानमालिक उपसभापति। गृहव्यवस्था का प्रश्न उठने पर मालिक इस बोर्ड के निरीक्षकों से प्रमाणपत्र दिला देते हैं कि वे क्वार्टर निवास के लिए उपयुक्त हैं। ये बोर्ड राज्य सरकारों के अधीन हैं। अब समय आ गया है कि इन्हें केन्द्र सरकार अपने हाथ में ले ले और श्रम कल्याण विभाग और स्वास्थ्य बोर्ड के बीच सहयोजन रखा जाए।

सभापति महोदय : मैं अब श्रम उपमंत्री श्री आबिदअली को बुलाऊंगा।

श्री देवेश्वर सर्मा (गोलाघाट जोरहाट) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने कहा था कि मंत्री और उपमंत्री दोनों को सवा घंटा

दिया जाएगा । मैं चाहता हूं कि चाय-श्रम जैसे महत्वपूण विषय पर बोलने के लिए मुझे भी अवसर प्रदान किया जाए । यदि सम्भव न हो, तो आप स्पष्ट इंकार कर दें।

सभापति महोदय : प्रत्येक सदस्य यह पूछने लगें कि उसे अवसर मिलेगा या नहीं, तो अध्यक्ष के लिए इस प्रश्न का उत्तर दे सकना बड़ा कठिन हो जाएगा । मुझे खेद है कि मैं इस प्रश्न का उत्तर न दे सकूंगा।

श्री देवेश्वर सर्मा : मैं अध्यक्ष पद की कठिनाई समझता हूं, परन्तु चाय के लाखों श्रमिकों की बात कहने का अवसर श्रम मंत्रालय के अनुदानों के प्रसंग में अवश्य मिलना चाहिए ।

सभापति महोदय : मैं किसी माननीय सदस्य को वचन नहीं दे सकता । सम्भव है, माननीय सदस्य के स्थान पर किसी दूसरे सदस्य को इसके लिए अवसर मिल जाए ।

श्री देवेश्वर सर्मा : परन्तु वह चाय-श्रमिकों का प्रतिनिधित्व न कर सकेगा । मैं स्वयं बोलने के लिए उत्सुक नहीं हूं, पर कृपया चाय श्रमिकों की बात कहने का अवसर अवश्य दीजिए ।

सभापति महोदय : शान्ति, शान्ति । मैं इस बात पर माननीय सदस्य से तर्क नहीं करना चाहता । मैं उपमंत्री को भाषण देने के लिए बुला रहा हूं ।

श्रम उपमंत्री श्री आबिद अली : माननीय चेयरमैन साहब, सबसे पहले मैं यह ज़िक्र करना चाहता हूं कि जब आज डिबेट हो रही थी तो मुझे उसमें एक कमी महसूस हो रही थी और वह थी श्री हरिहरनाथ शास्त्री जी की । पिछले साल की बहस से आज तक जो चीज़ें हुई हैं उनमें शास्त्री जी का अवसान हिन्दुस्तान के सब लोगों के लिए एक बड़ा नुकसान है और मजदूरों को तो इस वजह से बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है । मुझे इस बहस के मौके पर उनकी याद आ रही थी । अगर शास्त्री जी होते तो वह इस बात का भी ज़िक्र करते कि इस जिम्न में क्या क्या अच्छे/ कम हुए हैं और इससे अच्छा काम किस तरीके से हो सकता था । इस डिबेट में इसकी खास कमी रह गई है ।

यह ज़रूर है कि हम इस बात का दावा नहीं करते कि जितना सब कुछ होना चाहिए था वह हो गया, लेकिन हम यह ज़रूर समझते हैं, मानते हैं और उम्मीद करते हैं कि हर इंसाफ पसन्द इंसान इस बात को मानेगा कि जितना हो सकता था उतना ज़रूर हुआ है । यह ज़रूरी है कि जितना हासिल होना चाहिए उस सब कुछ को हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए लेकिन हमको यह भी देखना पड़ता है कि जिन परिस्थितियों से हम गुज़र रहे हैं वे उस सब कुछ के हासिल करने के लिए कहां तक अनुकूल हैं । तो हर काम को इस लिहाज़ से देखना चाहिए कि इससे बेहतर हो सकता था या नहीं । जैसा कि मैं अभी अर्ज कर चुका हूं मेरा ख्याल है एक इंसाफ पसन्द दिमाग इस बात का ऐतराफ करेगा ।

यहां पर जो बंगाल के आनरेबिल मेम्बर साहब बोले और उन्होंने वर्नपुर के बारे में कुछ चीज़ें खास तौर पर फरमायीं और कुछ दूसरी चीज़ें फरमायीं । इसका थोड़ा सा हवाला त्रिपाठी साहब ने दिया । जहां तक गवर्नमेंट का ताल्लुक है, चाहे वह सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, वह मजदूरों के ट्रेड यूनियन के हक में कभी भी दखल-अन्दाज़ी नहीं करना चाहती और न करेगी । लेकिन दिक्कत उस वक्त होती है जब लोग ट्रेड यूनियन के नाम से दूसरी चीज़ें करने लगते हैं और उस वक्त दखलअन्दाज़ी करनी पड़ती है । अब इसमें चाहे वह वर्कर हो, चाहे एम० पी० हो, चाहे मिनिस्टर हो,

[श्री आबिद अली]

चाहे पुलिस हो, किसी को यह हक नहीं है कि वह दूसरे के जायज़ अमल में दखल दे सके । अगर मैं भी जाकर किसी को मारूं तो पुलिस को मुझे ज़रूर पकड़ना चाहिए । उस वक्त मैं मिनिस्टर नहीं हूं बल्कि नाजायज़ काम करने वाला एक शहरी हूं, एक बुरा शहरी हूं । तब यहां पर इस चीज़ का ऐतराज़ करना कि वर्नपुर में पुलिस ने क्या किया, कोल माइन्स में क्या किया या हैदराबाद वगैरह में क्या किया, सही नहीं है । पुलिस ने कभी भी ट्रेड यूनियन के काम में दखल-अन्दाज़ी नहीं की और न वह कर सकती है । लेकिन जैसा कि मैं अर्ज़ कर चुका हूं अगर कोई नाजायज़ काम करेगा तो उसमें ज़रूर पुलिस की दखलअन्दाजी होगी । इस बारे में अगर किसी के दिमाग में सन्देह हो तो उसको निकाल देना चाहिए ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : उठे—

यह भी गलत काम है जो मेम्बर साहब कर रहे हैं । जिस तरह से वह मेरी बात में दखलअन्दाज़ी कर रहे हैं इसी तरह वह और जगह भी करते हैं और जिस तरह से कि चेयरमैन साहब इस दखलअन्दाज़ी को नहीं करने देंगे उसी तरह पुलिस गैर कानूनी दखलअन्दाजी को नहीं होने देती है ।

खैर मेरी अर्ज यह थी कि अभी एक मेम्बर साहब ने कहा कि टैक्सटाइल मिलों में ८० परसेंट लेबर रिट्रेंच हो जायेगा । यह बात बंगाल के मेम्बर साहब ने फरमायी थी । मुझे नहीं मालूम कि उनको यह खबर कहां से मिली है । जहां तक मेरा ताल्लुक है और जहां तक वाकयात का ताल्लुक है मैं उनसे अर्ज करूं कि यह बिल्कुल गलत चीज़ है और उनकी जितनी मालूमात हैं वह गलत ही रहा करती हैं । यह हज़रात जो यहां पर बोले हैं जो चीज़ें वह फरमा रहे थे मैं उनको गौर से सुन रहा था । उनकी बातें सुन कर मेरा यह ख्याल हुआ कि इन हज़रात की एक मुश्किल यह है कि वह ट्रेड यूनियन यूनिस्ट नहीं हैं ।

ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियन, का काम और मज़दूर उनसे बहुत दूर हैं । यह तो पोलीटीशियन्स हैं । जिस तरीक़े से वह चीज़ें पेश कर कर रहे थे और जो चीज़ें पेश कर रहे थे, मैं जानना चाहता था कि हमारी मिनिस्ट्री की कुछ ग़लतियां या कुछ कमियां जो वह जानते हों उनको वह बतावें जिस से हम उनको बेहतर कर सकें । मैं इस बारे में उनसे जानना चाहता था । मैं ईमानदारी से उन्हें यक़ीन दिलाना चाहता हूं कि मैंने उसे उनसे जानने की कोशिश की, लेकिन जान नहीं सका, सब कोशिश बेकार रहीं । उनके साथ मुश्किल यही है कि जब वह खड़े होते हैं तो आप्रैशन सप्रैशन, यह सब चीज़ें वह कह जाया करते हैं । हम चाहते हैं कि कुछ वाक़आत वह हमें बतावें । हम ईमानदारी से उन्हें यक़ीन दिलाना चाहते हैं कि हमारी मंशा है कि हिन्दुस्तान के मज़दूर मज़बूत हों । हम चाहते हैं कि उनके ट्रेड यूनियन के हक़ उनको हासिल हों । हम चाहते हैं कि वे तरक्की करें और उसमें किसी क़िस्म की रुकावट आ नहीं सकती, उनके बीच में कोई रोक नहीं आ सकती, यह हमारे उसूल हैं ।

एक मैम्बर साहब ने पूछा कि वैलफेयर स्टेट कहते हैं, लेकिन किस की वैलफेयर स्टेट । मैं कहना चाहता हूं कि वैलफेयर स्टेट स्टेट वालों की और स्टेट के मतलब हैं प्रजा और ख़ास कर यहां के वर्कर । उसमें सब वर्कर आ जाते हैं, चाहे इंडस्ट्रियल वर्कर हों, चाहे खेती का काम करते हों, चाहे दफ्तर में काम करते हों, या मिल में काम करते हों, या किसी कारखाने में काम करते हों, सब वर्कर हैं और सबके लिये वैलफेयर स्टेट होनी

चाहिये । हमें बड़ी खुशी है कि हम अपने इस गोल की तरफ़, इस रास्ते की तरफ़ जा रहे हैं और काफ़ी तेज़ी के साथ जा रहे हैं ।

बाबू रामनारायण सिंह (हज़ारी बाग पश्चिम) : शक ।

श्री आबिद अली : हां, आप कह लें, लेकिन शक नहीं है, इन भाइयों के लिये अफ़सोस है । मुसीबत यह है कि यह तो वर्कर्स का फायदा चाहते ही नहीं हैं । अगर अनाज का भाव कम होता है तो वह कहते हैं अब क्या किया जाय, अनाज ज़्यादा हो गया अनाज के खेत को जलाया जाय जिससे अनाज कम हो । वह तो इस तरह की चीज़ चाहते ही नहीं हैं । हम भी इस को जानते हैं । लेकिन आज हिन्दुस्तान के किसान, हिन्दुस्तान के मज़दूर, हिन्दुस्तान के शहरी, इन बातों को समझ चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि आहिस्ता आहिस्ता यह नामुनासिब चीज़ें, अनुचित चीज़ें जो कि हो रही हैं, वह कम होती जायेंगी और कम हो भी रही हैं ।

एक साहब ने कहा कि गवर्नमेंट एम्प्लाईज जो हैं कहीं कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं कि जिस के अनुसार उनकी बातों पर विचार किया जाय । मालूम नहीं, यह कैसे कह दिया गया । जहां तक कि रेलवे एम्पलाईज का सवाल है, शायद उनको मालूम नहीं है, क्योंकि उनका इन बातों से ताल्लुक नहीं है, रेलवे एम्पलाईज के लिये पूरी मैशीनरी मौजूद हैं । दूसरे भी जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं, गवर्नमेंट के इंडस्ट्रियल कनसर्न में एम्पलाईज हैं, उनके लिये भी कन्सीलिएशन एक मैशीनरी मौजूद है और एडजुडिकेशन का फायदा उनको मिलता है ।

हमारे अनआर्गेनाइज्ड लेबर के बारे में मिनिमम वेजेज के लिये एक भाई ने फरमाया तो मिनिमम वेजेज ऐक्ट तो उन्हीं के लिये बनाया गया था कि जो आर्गेनाइज्ड नहीं हैं और जो कमज़ोर हैं । उन्होंने यह भी फरमाया कि साथ साथ म्युनिसिपैलिटीज के मजदूरों का जहां तक ताल्लुक़ है उनके लिये कहीं किसी क़िस्म की मदद की कोई गुंजायश नहीं है । लेकिन मिनिमम वेजेज ऐक्ट उनके लिये भी है और वे उस में शामिल हैं, लोकल वाडीज वग़ैरह ।

एक माननीय सदस्य : नहीं हो रहा है ।

श्री आबिद अली : एक हद तक हो रहा है । जो नहीं हो रहा है वह होना चाहिये और किया जायगा । साथ ही यह भी बात है कि कई जगह म्यूनीसिपैलिटी के वर्कर्स की यूनियन हैं और उनको एडजुडिकेशन भी मिला है । मैं यह नहीं कहता कि हर जगह हर चीज़ हो रही है । मैं यह कह रहा हूं । कि कई जगह हो रही है और इससे भी बेहतर हो सकती है और करनी चाहिये । मैं यह भी कह रहा था कि वर्कर्स की यूनियन भी अच्छी होनी चाहियें और जितना हो सके सब को मिल कर यूनियन को अच्छा बनाने के लिये मज़बूत करना चाहिये और तरक्क़ी की तरफ जाना चाहिये । तरक्क़ी का दरवाजा कभी बन्द नहीं होता और उस पर कभी फुल स्टाप नहीं होता । जैसे जैसे आदमी बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे ही तरक्क़ी की ज़रूरत भी बढ़ती जाती है और बढ़ना चाहिये ।

मैं अब साथ ही साथ कुछ कट मोशन्स के बारे में अर्ज़ कर दूं । पहले तो मिनिमम वेजेज ऐक्ट के बारे में आप सब को मालूम है कि काफी किया गया है जैसा कि मैं अभी अर्ज़ कर रहा था । अब जो हमारी कानफ्रेंस मैसूर में हुई थी उसमें एक राय से फैसला हुआ है । उसमें हमारे कम्युनिस्ट भाइयों के नुमायन्दे भी थे, उसमें यूनाइटेड ट्रेड कांग्रेस के भी नुमायन्दे थे और हिन्द मज़दूर सभा के नुमायन्दे भी थे, और आई० एन० टी० यू० सी० के नुमायन्दे तो होने ही चाहियें । तो वहां पर एक राय से जो बात पास हुई

[श्री आबिद अली]

थी उस पर अमल किया जा रहा है । बम्बई में एक कानफरेंस होना निश्चित हो चुका है और यह काम किस तरह आगे बढ़ाना है । यह सब बातें उसमें निश्चित होंगी ।

एक बात यहां पर यह थी कि "फेल्योर टुस्टाप रिट्रैंचमैंट" के बारे में मेरे भाइयों में से किसी ने भी ज़िक्र नहीं किया । बंगाल के एक भाई ने फरमाया कि हम कैपिटेलिस्टों के असर में हैं । मैं पूछता हूं कि पिछली दफ़ा हमने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट के अमेंडमेंट ऐक्ट में ले आफ और रिट्रेंचमैंट के बारे में जो प्रावीजन किया तो क्या यह कैपिटलिस्टों के लिये था । इसमें इस तरह से देखिये कि जैसे एक ट्रेन दिल्ली से निकल कर ग़ाज़ियाबाद की तरफ़ जा रही है या मथुरा की तरफ़ जा रही है तो वह बिल्कुल एक दूसरे से अलग रास्ते को बदल जाती हैं । तो लेबर मिनिस्ट्री गवर्नमट आफ इंडिया की पालिसी को देखना है तो यह उस की कसौटी है कि आप देखें कि हम किस तरफ़ चल रहे हैं, एम्पलायर के असर में चल रहे हैं या इंसाफ की तरफ़ चल रहे हैं । हमने जो पालिसी अख्तियार की उसने इस रिट्रैंचमेंट को बहुत रोका है । हिन्दुस्तान में केवल अहमदाबाद में ही नहीं, टैक्सटाइल में ही नहीं, बल्कि हर जगह जो एक रिट्रैंचमेंट की हवा चली थी, इस पालिसी ने उसको रोका है और इस पालिसी ने आपको बता दिया कि हमारे ऊपर किस का असर है और हम किस तरफ़ जाना चाहते हैं । इस पर अब मैं ज़्यादा कहने की गुंजायश नहीं समझता हूं ।

जहां तक ट्रेड यूनियन्स का सवाल है यह कहा गया है कि जो भी ट्रेड यूनियन हो उसको रिकाग्निशन का आटोमैटिक हक़ होना चाहिये । अब ख्याल कीजिये कि एक कारखाने में जहां ७०० काम करने वाले हों, अगर इस को माना जाय और ट्रेड यूनियन ऐक्ट के लिहाज़ से सात वर्कर्स एक ट्रेड यूनियन बना सकते हैं, तो वहां पर सौ यूनियन इस तरह से होंगे अगर सौ यूनियन रिकाग्नाइज कर ली जायगी तो कैसे काम चलेगा और कौन कब किस क़िस्म का व्यवहार कर सकेगा, यह बात जरा समझ में कम से कम मेरे तो नहीं आती है । यह चीज़ वर्कर्स और मज़दूरों के हित के बिल्कुल खिलाफ़ है । और जो रिकाग्निशन वग़ैरह की बातें हैं वे जो ऐक्ट आने वाला है उसमें आवेंगी । मगर यह कभी नहीं होगा कि हर एक यूनियन जो रजिस्टर्ड हो उसको यह हक़ मिले । यह कभी नहीं होगा और न होना चाहिये ।

एडजुडिकेशन के बारे में जहां पर नंदी दुर्ग की बात कही गयी हैं उसमें मैं भाई केशवैयंगार साहब से कहना चाहता था कि इन गोल्ड माइन्स में हमने यह कोशिश की कि वर्कर्स की डिमांड्स के लिये एम्पलायर्स के साथ बैठ कर समझौते तक पहुंचा दिया जाय । काफी कामयाबी भी इसमें हुई । एक मर्तबा एम्पलायर्स ने उनकी डिमांड्स नामंजूर की तो मुश्किल थी । सोच रहे थे, क्या किया जाय । फिर हमारे चीफ़ लेबर कमिश्नर साहब ने बहुत कोशिश कर के एम्पलायर्स से मंजूर करा ली । उनको राज़ी कर लिया कि वे डिमांड्स को मान लें । तो यूनियन ने, जो बदक़िस्मती से उस तरफ वालों के असर में है, उससे इंकार कर दिया । अब मुश्किल यह होती है कि एडजुडिकेशन देने में कभी कभी देर हो जाती है, यह मैं मानता हूं । लेकिन यह न समझा जाय कि सिर्फ देर करने के लिये देर होती है । बात यह होती है कि जब डिमांड आती है तो कनसीलियेशन की कोशिश की जाती है । फिर कुछ एडजुडिकेशन इसलिये भी नहीं हो पाते कि लेबर के मामलात में

कुछ उसूल जो क़ायम किये गये हैं, अब उनको हर रोज बदला नहीं जाता ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव (खम्मम) : मैंने उनसे केवल कोलार सोना क्षेत्रों के विषय में मैसूर के मुख्य मंत्री के वक्तव्य का निर्देश करने के लिए ही कहा था ।

श्री आबिद अली : बहुत अच्छा स्टेंटमेंट है । जो उन्होंने कहा वह सच है, उस से कौन इंकार कर सकता है । मेरा तो यह कहना था कि जब ग़लत डिमान्ड आती है जो नामुनासिब होती है और जो कि कोई कोर्ट उनको नहीं देगा, तो ऐसी हालत में एडजुडिकेशन देने का कोई मतलब नहीं रहता है । सिर्फ़ एडजुडिकेशन देना और वर्कर्स को हैरान करना, ग़लत मदद करना यह एडजुडिकेशन का मतलब नहीं रहता है, इस तरह के एडजुडिकेशन्स नहीं दिये जाते हैं, लेकिन जो देने चाहिएं वह दिये जाते हैं और वह ज़रूर दिये जायेंगे । इसमें देर हो जाती है, उसके लिये हम कोशिश करते हैं कि हम इसमें कम से कम वक्त लें और जल्दी से जल्दी उसका फ़ैसला कर दें । एक भाई ने फरमाया कि एडजुडिकेशन वर्कर्स पर लादा जाता है लेकिन मुझे खुशी होगी अगर मेरे वह भाई आज नहीं कभी भी, दो चार महीने के अन्दर बतलायें कि हमने पिछले दो साल में एक एडजुडिकेशन भी बग़ैर वर्कर्स के मांगे हुए दिया हो या इम्पलायर्स के केवल कहने से दिया हो, या तो इम्पलायर और वर्कर इन दोनों ने दरख्वास्त दी है या वर्कर्स ने उसको मांगा है, वर्कर्स के बगैर मांगे जहां तक मुझे याद पड़ता है हमने एक भी एडजुडिकेशन नहीं दिया, मैंने बहुत कोशिश की कि कोई ऐसा एडजुडिकेशन मिल जाय जिसे मज़दूरों ने डिमांड न किया हो, लेकिन मुझे नहीं मिल सका। यह भी कहा गया है वर्कर्स पर अत्याचार किया जाता है । हमारी तरफ़ से अभी तक इंडस्ट्रियल ऐक्ट के मातहत हालांकि बहुत सी इललीगल स्ट्राइक्स हुई हैं, लेकिन हमने एक भी मामले में वर्कर्स को प्रासीक्यूट नहीं किया है ।

वह कहते हैं कि हमको छोड़ दो, तो हम पकड़ते कब हैं । असल में बात यह होती है कि स्ट्राइक पर चले जाते हैं । और एक गलत तरीक़े से वहां पर स्ट्राइक चलती है, फिर कहते हैं कि देखो स्ट्राइक चल रही है, गवर्नमेंट कुछ करती नहीं । अगर एडजुडिकेशन की ज़रूरत नहीं है तो वर्कर्स की खुशी, उसमें हम पर कोई ऐतराज़ करने का मौक़ा नहीं आता है ।

जनाब, मैं नंदी दुर्ग का ज़िक्र कर रहा था, हमारे चीफ़ लेबर कमिश्नर की यह उम्मीद थी कि इस मामले को वह वर्कर्स और इम्पलायर के बीच में समझौता करके हल कर देंगे, लेकिन बदक़िस्मती से वही ज़िद जिसमें कि ट्रेड यूनियनिज्म कम और पालिटिक्स ज़्यादा है, वर्कर्स का फ़ायदा कम और एक्सप्लायटेशन ज़्यादा है उसने इस समझौते को नहीं होने दिया । नन्दी दुर्ग के मामले में एक यूनियन ने एडजुडिकेशन मांगा, हम उसे कल ही दे चुके हैं, एडजुडिकेशन मंजूर हो चुका है । दूसरी यूनियन एडजुडिकेशन नहीं चाहती और यूनियन ने स्ट्राइक का बैलट लिया है,मैं ऐलान करना चाहता हूं कि अगर वह उन सवालों पर जिन पर दूसरी यूनियन को एडजुडिकेशन दे चुके हैं अगर वह भी हमसे एडजुडिकेशन मांगे तो हम फ़ौरन उसको एडजुडिकेशन देने के लिये तैयार हैं, इसका मैं आपको यक़ीन दिलाता हूं ।

आई० एल० ओ० के बारे में जो रिकमंडेशंस और कनवेंशन्स का ज़िक्र यहां पर किया गया है तो मैं उनको बतलाऊं कि मैं खुद पिछले साल आई० एल० ओ० में जो रेकमडेशन्स और इनवेस्टीगेशन की कमेटी का चेयरमैन था । हिन्दुस्तान की जगह वहां बहुत ऊंची थी जब

[श्री आबिद अली]

दूसरे मुल्कों से इसकी तुलना की गयी कि हिन्दुस्तान में यह रिकमेंडेशन और कनवेंशंस कितने माने गये हैं। हमारे यहां दूसरे जो भी कनवेंशंस रेटिफाई नहीं हुए हैं, उनसे यह नहीं समझना चाहिये कि उन कनवेंशंस के मुताल्लिक़ कोई काम नहीं हो रहा है। जहां तक अपने हालात को देखते हुए सम्भव था, उतने अपना लिये गये हैं। इसके अलावा मैसूर में जो कांफ्रेंस हुई थी वहां एक कमेटी बनाई गयी थी जो कि जांच करेगी कि जो कनवेंशंस रेटिफाई नहीं किये गये हैं, उनमें से कितनी चीज़ें हम एडाप्ट कर सकते हैं और उन पर अमल कर सकते हैं और वह कमेटी बहुत जल्दी मिलेगी और वह हमेशा मिला करेगी ताकि यह मालूम हो कि उनमें से कितनी रेकमेंडेशन्स और कनवेंशंस पर अमल किया जा सकता है और कितनों को पूरा रैटिफाई नहीं करना चाहिये। दिक्क़त यह है कि पूरा उस पर अमल न हो सके तो रैटिफाई नहीं कर सकते।

हमारे भाई श्री केशवैयंगार ने कहा कि एडवाइज़र्स कम कर दिये गये हैं, पहले एडवाइज़र्स ज्यादा भेजे जाते थे। उसकी वजह यह थी कि पहले सबजेक्ट्स ज़्यादा हुआ करते थे अब काफ़ी कम हो चुका है। आई० एल० ओ० की भी नीति ज़रा बदल गयी है और वह चाहते हैं कि काफ़ी रेकमेंडेशंस और कनवेंशंस बन चुके हैं, अब उन पर अमल होना चाहिये। अब चूंकि आई० एल० ओ० के जो खास बड़े बड़े काम थे, उन कामों को पूरा कर दिया गया है और चूंकि अब काम का तरीका बदल गया है इसलिये अजन्डे पर सबजेक्ट्स भी उतने नहीं आते हैं जितने पहले आया करते थे, इसलिये ज्यादा ऐडवाइज़र्स भेजने की ज़रूरत नहीं है। और हम ज्यादा भेजते नहीं लेकिन अब भी अगर उसकी ज़रूरत होगी तो उस पर ग़ौर किया जा सकता है।

जहां तक औकुपेशनल डिज़ीज़ का ताल्लुक़ है, उसके बारे में रिपोर्ट में काफ़ी तज़वीज़ पेश की गयी है और मेरा यह ख्याल है कि उसमें काफ़ी काम हो रहा है, ज़्यादा काम करने की गुंजाइश है, यह मैं मानता हूं, जहां तक हालातों को बिना सुधारे प्रोडक्टिविटी (उत्पादन) के अध्ययनों का ताल्लुक़ है, हमें इसका ऐतराज़ है और हम इसको मानते हैं कि वर्किंग कंडीशन्स की तरफ़ भी ध्यान दिया जाना चाहिये और उनको बेहतर करना चाहिये. साथ ही साथ प्रोडक्टीविटी भी बढ़ाना चाहिये और मैं मेम्बर्स को यक़ीन दिलाना चाहता हूं कि उसके लिये कोशिश बराबर जारी है।

धनवाद अस्पताल के बारे में जो ज़िक्र किया गया है, उसके बारे में तहक़ीक़ात हुई, दो केसेज़ धनबाद के हमारे सामने आये थे, दोनों में तहक़ीक़ात की गयी। अब इसमें एक नर्स की ग़लती मालूम हुई, आख़िर नर्स तो वर्कर है, यह कहां तक ठीक है कि चूंकि उसने मामूली ग़लती की इसलिये उसको फ़ौरन निकाल दिया जाय ? उसको एक सख्त वार्निंग दी गयी जिसका उस पर अच्छा असर और दूसरे वर्कर्स और नर्सेज़ और स्टाफ पर भी अच्छा असर पड़ा। ऐसी शिकायतें आनी नहीं चाहियें, यह हम भी मानते हैं और मैं अर्ज़ करूंगा कि कभी भी इस क़िस्म की नामुनासिब कार्रवाई कहीं भी होवे, मेम्बर साहबान को बिला किसी संकोच के ये चीज़ें हमें बतायें और मैं उनको यक़ीन दिलाना चाहता हूं कि हम बराबर सख्ती से उसमें ज़रूरी कार्रवाई करेंगे, हम नहीं चाहते कि किसी क़िस्म का कोई नामुनासिब काम हमारी मिनिस्ट्री के किसी भी हिस्से में हो।

एक बात मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि अकसर उस तरफ़ बैठने वाले मेम्बर

साहबान ऐसी बातें कह दिया करते हैं जो फ़ैक्ट्स से बहुत दूर होती हैं । अब यह जो कोयला खानों में घातक दुर्घटनाओं (फैटल एक्सीडेंट्स) के बढ़ने का ज़िक्र आया, मालूम नहीं वह कहां से यह चीज़ लाये कि कोल माइन्स में फैटल एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं और इसके मुताल्लिक़ तो कई दफ़ा यहां क्वेश्चन टाईम में इस बारे में उनको बता चुका हूं। न सिर्फ हिन्दुस्तान के बल्कि बाहर के फिगर्स हमारे पास हैं । खानों में दुर्घटना और मृत्यु की दर बराबर कम होती गई है । भाग ख राज्यों का प्रशासन भार संभालने के पहले १९५० में मृत्यु दर लगे हुए प्रति हजार व्यक्ति में ०.६ (न्यूनतम) थी, तथा १९५१ और १९५२ वर्षों में क्रमशः ०.७७ तथा ०.८ थी । पर यह थोड़ी सी वृद्धि भाग ख राज्यों के खनन अधिनियम, १९५१ के अंतर्गत लाए जाने के कारण है, जहां पर यह दर अधिक थी ।

दूसरे मुल्कों से इस की तुलना कर के भी जो नतीजा निकलता है वह भी मैं अर्ज करना चाहता हूं :

साउथ अफ्रीका	१.६४
कैनाडा	२.५९
यूनाइटेड स्टेट्स	२.१९
जापान	१.६५
फ्रांस	.८३
यूनाइटेड किंगडम	.७५
आस्ट्रेलिया	.९९
न्यूजीलैंड	.५१

श्री पी० सी० बोस (मानभूम उत्तर) : क्या आंकड़े प्रति हजार के हैं ?

श्री आबिद अली: जी हां, पर थाउजेन्ड। मैं यह अर्ज कर रहा था कि हम कोल माइन्स में ऐक्सिडेन्ट्स बन्द नहीं कर सकते हैं । अगर इस को बन्द करना है तो हमको कोल माइन्स ही बन्द करनी पड़ेंगी । यह बात जरूर है कि कोल माइन्स में ऐक्सिडेन्ट्स कम किये जा सकते हैं, उनकी सीवियरिटी कम की जा सकती है, और इसके बारे में पूरी कोशिश की जा रही है ।

हाउसिंग के बारे में.....

डा० रामाराव : १९५३ के आंकड़े क्या हैं ?

श्री आबिद अली : १९५३ के फिगर्स भी बतलाऊंगा । हाउसिंग के बारे में मैं अर्ज कर रहा था, चेअरमैन साहब, कि २९ हजार घर सेंक्शन हुए हैं । कोल माइन में दो हजार टेनीमेन्ट्स बना दिये गये हैं, दो हजार और सेंक्शन हुए हैं । काम काफी है, लेकिन जल्दी से जल्दी पूरा किया जा रहा है ।

बाई पार्टाइड ऐग्रीमेन्ट के बारे में ज़िक्र हुआ । मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि इस साल बाई पार्टाइड का काफी काम किया गया। कलेक्टिव बार्गेनिंग के लिहाज से, बाई पार्टाइट ऐग्रीमेंट के लिहाज से इस पिछले साल में काफी काम हुआ है । लेबर मिनिस्ट्री की इस पालिसी का अन्दाजा वही लोग लगा सकते हैं जिनका कि उससे ताल्लुक है या जिनके दिमाग ईमानदाराना तरीके से फैसला कर सकते हैं । खास तौर से मैसूर कान्फरेन्स में, कलकत्ते की कान्फरेंस में और अभी हैदराबाद में कान्फरेंस हुई थी जिसमें कि हमने वेज बोर्ड बनाया, दोनों की सहमति से, लेबर और एम्पलायर दोनों के रिप्रेजेन्टेटिव्ज बैठे हुए थे, वेज बोर्ड बना । कंट्रेक्ट लेबर का हटाना यह भी बहुत बड़ी चीज हुई है । लेकिन यह सब बाई पार्टाइट ऐग्रीमेन्ट से ही हुई है । हमारा बाई पार्टाइट का जो उसूल है वह बड़े अच्छे तरीके से तरक्की की तरफ जा रहा है ।

[श्री आबिद अली]

अब मैं यह अर्ज करूं कि अभी जिस तरीके से भाई वेंकटारमन साहब ने फरमाया कि ऐक्ट आये तो गलत, न आये तो गलत। दोनों में मुसीबत है। एक कम्युनिस्ट लीडर से एक साहब ने पूछा कि कैसे चलोगे, कहा कांग्रेस वालों से उलटे चलेंगे। ठीक है, कांग्रेस वालों से उलटे चलेंगे, लेकिन कांग्रेस वाले तो पैर में चप्पल पहिनते हैं, आप क्या चप्पल सर पर पहनेंगे ? आज हमारा काम अच्छी तरह चल रहा है, लेकिन उन को तो हर चीज की मुखालिफत करना है। दो अलग चीजें हैं, लेकिन ऐक्ट लाओ तो भी गलत और न लाओ तो भी गलत।

आखीर में मैं इतना अर्ज करना चाहता हूं कि मैं इस बात को मानता हूं कि मजदूरों की यूनियन मजबूत होनी चाहिये। मैं इस बात को भी मानता हूं कि मजदूरों की ट्रेड यूनियन के हक में उनको दखल नहीं देना चाहिये, चाहे हमारी सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेन्ट हो। इसकी तरफ हमारी निगाह पूरी चौकसी से रहती है। लेकिन वह लोग जो ऐतराज करते हैं वह ट्रेड यूनियन के हक में दखलअन्दाजी करने के लिये नहीं, बल्कि दूसरी चीजों के लिये होता है। इसके बारे में कहीं ऐतराज की गुंजाइश हमारे कान्स्टिट्यूशन में नहीं है।

श्री नम्बियार : मजदूर संघ को मान्यता देने का क्या आधार है ? मंत्री जी का कहना है कि मान्यता महज़ इसलिए नहीं दी जा सकती कि संघ पंजीकृत है। तब सरकार किस सिद्धान्त का प्रतिपादन कर रही है ?

सभापति महोदय : माननीय उपमंत्री ने कोई नया सिद्धान्त प्रतिपादित नहीं किया है। उन्होंने यह कहा है कि महज़ इस आधार पर कि उसमें इतने सदस्य हैं, किसी मजदूर संघ को पंजीकृत नहीं किया जा सकता। और यह, जैसा कि माननीय सदस्य को विदित है, १९४६ के अधिनियम के अनुसार ही है।

श्री नम्बियार उठे--

सभापति महोदय : यह प्रश्नों का घंटा नहीं है और मैं माननीय सदस्य को इस प्रकार प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दे सकता।

डा० सत्यवादी (करनाल--रक्षित--अनुसूचित जातियां) : सभापति जी, मैं मजदूरों के उस तबके के लिये कुछ कहना चाहता हूं जिसे आज तक सभी नजरअन्दाज करते रहे हैं। उन में वह लोग भी हैं जो मजदूरों के लिये काम करने के नारे लगाते हैं और उनमें गवर्नमेन्ट भी है। यह सफाई पेशा वाले मजदूर हैं। मुझे इस बात से खुशी हुई कि अभी आनरेबल डिप्टी मिनिस्टर ने बोलते हुए म्युनिसिपल लेबर के मुताल्लिक कुछ फिक्रे कहे हैं, और यह कि उनके लिये मजदूरों की अदालत से इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट के मातहत फैसले भी कहीं कहीं हुए हैं। लेकिन सिर्फ इतनी बात से सारा मामला हल नहीं होता। इससे पहले भी सफाई पेशा वाले मजदूरों के लिये कितने वर्षों से इस हाउस में आवाज लगाई जाती रही है और सन् १९५१ में बजट पर बोलते हुए उस वक्त के लेबर मिनिस्टर साहब ने भी यह बात कही थी, आवाज उठाने वाले मेम्बर के मुताल्लिक कि उन्होंने मजदूरों के कवानीन को नहीं देखा है इस लिये वह ऐसी बात कह रहे हैं कि उन्हें नजरअन्दाज किया जा रहा है। दलील यह दी थी कि मज़दूरों के लिये बाज़ अदालतों से मजदूरों के कानून के मुताबिक फैसले हुए हैं।

मैं पिछले १४ साल से मज़दूरों के इसी तबके में काम करता हूं और अपने तजुर्बे की बिना पर मैं यह अर्ज करना चाहता हूं, कम से कम पंजाब की बात तो मैं दावे के साथ कहता हूं, कि वहां के सफाई पेशा मज़दूर

कानूनन, असलियत में, टेकनिकल टर्म में, लेबर नहीं माने जाते । इसमें मुश्किल तो यह है कि जहां तक इन मज़दूरों का ताल्लुक है, जो लोकल अथारिटीज के मातहत, म्युनिसिपैलिटियों में काम करते हैं, सरकारी या नीम सरकारी दफ्तरों में काम करते हैं, जब उनकी किसी बात को लेकर हम जाते हैं और उनसे कहते हैं कि यह आप के मुलाजिम हैं, दूसरे सरकारी मुलाजिमों की तरह से इनके भी हुकूक हैं, उनको भी छुट्टी की ज़रूरत है, टाइम स्केल की जरूरत है, उनको भी बुढ़ापे के वक्त इमदाद की जरूरत है, तो हमें यह जवाब मिलता है कि हम उन्हें सरकारी मुलाजिम नहीं मानते । इस लिये उन पर वह सरकारी मुलाजिमतों के रूल्स, सिविल सर्विस रूल्स, जो दूसरी मुलाजिमतों पर लागू होते हैं, नहीं लागू करते । कहने के लिये उन्हें भी चौथे दर्जे के सरकारी मुलाजिमों में गिना जाता है, लेकिन वह हुकूक जो चौथे दर्जे के दूसरे मुलाजिमों को मिलते हैं उन्हें नहीं दिये जाते । मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने एक बात कहूंगा । कोई भी सरकारी मुलाजिम, कोई भी मजदूर, ऐसा नहीं जिसे हफ्तेवार आराम नहीं मिलता । सिर्फ यह एक मजदूर ऐसा है कि जिस के लिये हर जगह इंकार कर दिया जाता है कि इसे वीकली रैस्ट नहीं दिया जायेगा ।

बाइबिल में हमने पढ़ा था कि खुदा ने ६ रोज़ में दुनिया को बनाया और सातवें दिन आराम किया । लेकिन यह बदनसीब मंजदूर वह हैं जिनके लिए कोई मालिक और कोई हुकूमत आराम की ज़रूरत महसूस नहीं करती । हमारे यहां पंजाब में हमारे काफी शोर मचाने पर कुछ सरविस रूल्स बनाये गये लेकिन वह कागज़ की ही चीज़ है और उन पर अमल कहीं नहीं हुआ । मैं जो यह हफ्तेवार छुट्टी की बात करता हूं उसके बारे में लिखा है कि उनको हफ्ते में एक दिन की छुट्टी मिलनी चाहिए लेकिन अगर म्युनिसिपैलिटी यह समझे कि उनको छुट्टी न दी जाय तो उसको अख्तियार है कि इनको छुट्टी न दे । अब मैं यह कहना चाहता हूं कि इन के लिए क्या कानून है । आपका जो इंडस्ट्रियल डिसप्यूट्स का ऐक्ट है उसको छोड़ दीजिए कि नोटिस देकर स्ट्राइक किया जा सकता है । हमने इसके लिए पंजाब में बहुत कोशिश की । हमने यूनियन्स आरगेनाइज़ किये और बाज़ाब्ता काम करके यह कोशिश की कि म्युनिसिपल लेबर के मामलता को उसी तरह से तै किया जाय जिस तरह से कि फैक्टरी लेबर के मामलात को तै किया जाता है । मुझे याद है कि इसमें हमारे यहां के लेबर कमिश्नर ने कोशिश की । करनाल की म्युनिसिपैलिटी से वहां के मजदूरों का झगड़ा था, अम्बाला की म्युनिसिपैलिटी का झगड़ा था और साढौरे का झगड़ा था । करनाल के मुताल्लिक मैं यह कहना चाहता हूं कि कंसिलियेशन आफिसर ने यह बात बतायी कि हम इसको ट्राइबुनल के सुपुर्द करना चाहते हैं । लेकिन काफी खतोकिताबत के बाद जब उन्होंने गवर्नमेंट के पास कागज़ात भेजे तो गवर्नमेंट ने उसे ट्राइबुनल को देने से इंकार कर दिया । जब हमने लेबर आफिसर के जरिये से फैसले कराये तो हमने वहां पर कनसिलियेशन आफिसर को बुलाया । मिसाल के तौर पर करनाल में बुलाया । साढौरे में बुलाया और अम्बाले में बुलाया और उन्होंने फैसला किया । लेकिन उस फैसले का क्या नतीजा हुआ । करनाल के मामले में तो गवर्नमेंट ने जवाब दे ही दिया । साढौरे और अम्बाला के मुताल्लिक लेबर आफिसर को यह कहा गया कि हमने सेक्रेटरी को तुम से बात करने का हक ही कब दिया था । नतीजा यह हुआ कि जब हमने यह रास्ता अख्तियार किया तो कामयाब नहीं हुए । तो मैं यह कहना चाहता था कि जब हम सरकार के पास जाते हैं तो कहा जाता है कि

[डा० सत्यवादी]

तुम लेबर आफिसर के पास जाओ । जब हम लेबर आफिसर के पास जाते हैं तो वह हम से कहते हैं कि लेबर कानून तुमको लेबर तसलीम नहीं करता । पिछली बार ५ अप्रैल १९५१ को आनरेबिल लेबर मिनिस्टर साहब ने कहा था कि हम उनको लेबर में मानते हैं तुमने हमारा कानून ही नहीं पढ़ा ।

एक आपका कम्पेंसेशन ला है जिसके मुताबिक मजदूर को नुकसान होने पर मुआवज़ा मिलता है । लेकिन क्या आपने कभी इन मजदूरों को मुआवजा दिया । पंजाब में जो स्वीपर्स के लिए सरविस रूल्स बने हैं उनमें कहा गया है कि अगर स्वीपर को जानी या जिस्मानी नुकसान हो तो उसे मुआवजा दिया जाय लेकिन शर्त यह है कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट अपने इस कानून में स्वीपर्स को भी लेबर मान लेगी तब हम देंगे । वह कहते हैं कि हम उस वक्त इस बात को मानेंगे जब कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने कानून में तरमीम करके स्वीपर को भी शामिल कर लेगी ।

इसी तरह से जच्चागी के मामले में है कि जो हमारी बहिनें और मातायें काम करती हैं उनको १५ या २० दिन की छुट्टी मिलती है। जब हम अपने यहां इसके लिए मूव करते हैं तो कहा जाता है कि अगर सेंटर मंजूर कर लेगा तो हम भी करेंगे। तो हमारी मुश्किल यह है । यह मजदूर वह हैं जो कि फैक्टरी लेबरर की भी सेवा कर रहा है । वह भी इसका एम्पलायर है और इन दोनों के इंटरेस्ट उसी तरह से टकराते हैं जिस तरह से कि बिड़ला के इंटरेस्ट एक कपड़े की मिल में काम करने वाले मजदूर से टकराते हैं । तो यह वह बदकिस्मत मजदूर है जिसके लिए फैक्टरी लेबर भी बिड़ला बनी हुई है और इनके हुकूक देने के लिए तैयार नहीं है ।

आपने मिनिमम वेजेज़ ऐक्ट लागू किया वह पंजाब में भी लागू हुआ और वहां एक बोर्ड बनाया गया और उसने सिफारिश की । उसने यह फैसला किया कि इन लोगों को इतना कुछ मिलना चाहिए । जिस वक्त यह फैसला किया गया कि उनको ४० रुपया कम से कम मिलना चाहिए उस वक्त स्वीपर्स को कई स्थानों पर दस दस ग्यारह ग्यारह रुपये मिल रहे थे । तो इस पर अमल किस तरह किया गया । म्युनिसिपैलिटियों ने जो उनके पास बजट था उसको उसी हिसाब से बांट दिया और मिनिमम वेजेज़ के हिसाब से तनख्वाह दे दी । नतीजा यह हुआ कि जहां पहले पचास आदमी काम करते थे वहां तीस आदमी रह गये और बीस आदमियों को निकाल दिया गया । तो यह हालत है ।

इसके अलावा दूसरी छुट्टियां हैं, बीमारी की छुट्टी हैं, या ज़रूरी काम के लिए छट्टी है । वह भी उनको नहीं दी जातीं । अभी मैं कसौली सेनीटोरियम देखने के लिए गया था । वह सेंट्रल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन है । वहां मुझे एक शख्स के बारे में बताया गया, उसका नाम मुझे इस वक्त याद नहीं है, लेकिन अगर ज़रूरत हो तो मैं उसे पेश कर सकता हूं, कि उसने छुट्टी मांगी इसलिए कि उसके यहां कोई मर गया था और वह उसको फूंकने जाना चाहता था । तो उसको छुट्टी नहीं दी गयी और वह अपने मरे हुए को जलाने के लिए भी न जा सका । यह चीज़ एक ही जगह नहीं है । कई जगह ऐसी चीज़ है । आप म्युनिसिपैलिटीज़ को छोड़िये । सेंट्रल गवर्नमेंट को ले लीजिये । मैं कसौली में सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट में भी गया । वहां २७ साल से स्वीपर मुलाजिम हैं लेकिन वह डेली लेबर की तरह काम करते हैं । उनके कोई हुकूक नहीं हैं । मुझ से डाइरेक्टर साहब कहने लगे कि अब हमने फैसला कर लिया कि इनको

परमानेंट कर दिया जाय। अब २७ साल बाद उसकी पोस्ट पेंशनेबिल की जायगी। तीन साल बाद वह जब रिटायर होगा तो उसको क्या मिलेगा। आप कहते हैं कि हम उनको लेबर मानते हैं और उनको क़ानून का फायदा हो सकता है। आप इस बात को फिर सोचिये कि इस बात में सही कितनी है और गलत कितनी है। आप इन बेचारों की तरफ भी ध्यान दीजिये। ज़रूरत इस बात की है कि जिस तरह और लेबर के लिए आप कानून बना रहे हैं वैसे ही इन के लिए भी एक कानून बनायें तो उनकी भलाई हो सकती है वरना उनकी जिन्दगी में कोई आसानी नहीं आ सकती। यह लोग बहुत मुसीबत में हैं। यह वह मजदूर कि जो हमारे देश का सबसे पिसा हुआ और मजबूर तबका है। मैं दरख्वास्त करता हूं कि जो कुछ आप फैक्टरी लेबर के लिये करते हैं और दूसरे लेबर के लिये करते हैं वह इन बदनसीब मजदूरों के लिए भी कीजिये।

सभापति महोदय : माननीय मंत्री जी।

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि)) : श्रम नीति के सम्बन्ध में सदन के सभी दृष्टिकोणो के सदस्यों के भाषणों को मैंने बड़े ध्यान से सुना। मुझे कहना पड़ता है कि अपने सम्मानित मित्र श्री बी० एस० मूर्ति के भाषण से, जो मेरे सभा सचिव थे और मेरे साथ कार्य करने में गर्व का अनुभव करते थे, मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे कम से कम यह आशा थी कि ये बातें कहने से पूर्व वह मुझ से यह पूछ जरूर सकते थे कि आपकी श्रम नीति क्या है। जो भी हो, इतनी तीखी आलोचना करने से पूर्व मुझे आशा है कि वह पहले मेरा दृष्टिकोण जानने का प्रयत्न जरूर कर लिया करेंगे और तब मुझे आशा है वह अधिक रचनात्मक सुधार दे सकेंगे।

मैं आरम्भ से अन्त तक मजदूर संघवादी हूं। मैं न्याय निर्णयन के सख्त खिलाफ हूं मेरा सदा यह विश्वास रहा है जब तक कि मजदूर संगठित हैं, मजदूर संघों के शत प्रतिशत सदस्य हैं, तो वे हमेशा अपनी मांगों को पूरा कराने में तथा मजदूर वर्ग की दशा सुधारने में सफल होंगे, बशर्ते कि उनकी मांगें वाजिब हों। अपने माननीय मित्रों के भाषणों में निराशावादिता की झलक देख कर मुझे बड़ा खेद हुआ। भाषण देते समय हम अपनी स्वयं की कमियों को भुला देते हैं। असली चीज़ को हम भूल जाते हैं—कि मजदूरों के लिए जो चीज़ उनके वाजिब अधिकार प्राप्त कराएगी वह है मजदूर संघ। मैं इसे स्पष्ट कर दूं। मैंने अपना सार्वजनिक जीवन मजदूर आन्दोलन से ही प्रारम्भ किया था और मजदूर संघवाद के पक्ष में मैंने एक विनम्र कार्यकर्ता बनने का प्रयत्न किया। हमने मजदूर आन्दोलन एक बिल्कुल नये सिरे से चलाया था जब कि उसके लिए देश में कोई कानून नहीं थे। मजदूर हमारे निकट आने में और हमारा भाषण सुनने में डरते थे। कभी कभी हमें ऐसी सभाएं सम्बोधित करनी पड़ती थीं जब कोई हमारी ओर नहीं देख रहा होता था; किन्तु हम जानते थे वे हमारी बात सुन ज़रूर रहे हैं।

मुझे आशा है कि यह निराशावाद मेरे माननीय मित्रों के दिल से दूर हो जाएगा। यदि वे अधिक प्रयत्नशील होंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे मजदूर वर्ग के हित में बहुत कुछ कर सकेंगे।

मेरे माननीय मित्रों द्वारा श्रम नीति के सम्बन्ध में पूछे गये प्रश्न का मैं उत्तर देना चाहूंगा। मैं यह बताना चाहता हूं कि मैंने सदा ही मजदूरों तथा मालिकों के मध्य द्विदलीय तथा त्रिदलीय समझौतों में विश्वास किया है, क्योंकि मैं समझता हूं कि विवादों का जो आपसी हल मजदूरों और मालिकों द्वारा मिल कर निकाला जाएगा वह अधिक स्थायी होगा और दोनों वर्गों के मध्य शान्तिपूर्ण

[श्री वी० वी० गिरि]

वातावरण पैदा करने में सहायक होगा। मैं यह बतलाना चाहता हूं कि मैंने देश की सबसे बड़ी हड़तालों का नेतृत्व किया है। किन्तु इस बात के बावजूद भी कि मैं हड़तालों में अगुआई का भाग लेता था, मैंने मजदूरों और मालिकों के मध्य बातचीत द्वारा समझौता कराने का भी भरसक प्रयत्न किया है। इसलिए यदि आप मुझ से पूछते हैं कि तुम्हारी श्रम नीति क्या है तो मुझे यही कहना है मैं द्विदलीय तथा त्रिदलीय समझौतों का हामी हूं।

मैं मज़दूरों तथा मालिकों के बीच होने वाले समझौतों में विश्वास करता हूं। क्योंकि यदि मज़दूर और मालिक एक बार आधारभूत मामले पर सहमत हो जाते हैं, तो विधान सरल हो जाता है। इसका कारण यह है कि फिर हम केवल वही रजिस्टर करते हैं जिस पर मज़दूरों तथा मालिकों में समझौता हो गया है।

चार भिन्न भिन्न अवसरों पर उन मज़दूर संघों, जिनका सम्बन्ध दांयें, बायें, मध्य, से है, तथा मालिक संघों के बीच समझौता हुआ। मैं प्रथम समझौते को लेता हूं, अर्थात् मज़दूरों को काम से हटा देने का प्रश्न। स्थायी श्रमिक समिति में, मज़दूरों के उच्चतम नेताओं, उद्योग के उच्चतम नेताओं तथा कप्तान और सरकार में समझौता हुआ। इस सदन में कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि हमें उस समझौते से वह सामाजिक सुरक्षा उपाय प्राप्त नहीं हुआ जो आजकल दक्षिण पूर्व एशिया में विद्यमान नहीं है। यह एक ऐसा सामाजिक सुरक्षा उपाय है जो आज काम से हटाये गये मज़दूरों को इस योग्य बनाता है कि वे सड़कों पर मारे मारे न फिरें। वे स्वाभिमान से अपना सर ऊंचा कर सकते हैं, काम से हटते ही अपने घर अपनी पत्नी तथा बच्चों के पास जा सकते हैं और कह सकते हैं कि हम कल से सड़कों के भिखारी नहीं होंगे। हमें कुछ प्राप्त हो गया है, नौकरी के प्रत्येक वर्ष के लिये आध मास का वेतन तथा पूर्व सूचना वेतन। हम तत्काल ही भूखे नहीं रहेंगे। हम कहीं और काम तलाश कर सकते हैं या कोई छोटी दुकान खोल सकते हैं और उससे निर्वाह कर सकते हैं। मैं यह नहीं कहता कि जो प्राप्त हुआ है वह एक बड़ी बात है। मेरा कहना यह है कि यह ऐसे ढंग का सामाजिक सुरक्षा उपाय है जो मज़दूरों के स्वाभिमान को बनाये रखता है। यह दो दलीय समझौते से प्राप्त हुआ है। मैं अपने माननीय मित्र श्री एस० एस० मोरे से पूछता हूं कि वह यह बतायें कि मैं ने अपने विचार को कैसे कार्यान्वित नहीं किया है।

यह यहीं समाप्त नहीं होता है। मैं उन्हें वह फिर बताता हूं;, जो उद्यान कर्मचारियों के लिये किया गया है उद्यान अधिनियम जिसकी ओर किसी का ध्यान न था, पारित हुआ। उद्यान कर्मचारियों को, जो लाखों है, कुछ समय के लिये काम से हटाने तथा काम से हटाने पर कोई भत्ता आदि नहीं मिलता था। आप जानते हैं कि उद्यानों में—चाहे यह उचित है या अनुचित ठीक है या ग़लत—उन मामलों की जांच किये बिना, वहां निरुत्साह फैला हुआ था। मैं उस निरुत्साह का वर्णन नहीं कर रहा हूं अपितु मेरा कहना यह है कि ३० तथा ३१ जनवरी को, मज़दूरों तथा मालिकों तथा सरकारी कर्मचारियों की बहुत सी बैठकों के उपरान्त, हम एकमत से इस निश्चय पर पहुंचे कि उद्यान-मज़दूरों को अस्थायी छटनी तथा छटनी भत्ता दिया जायेगा तथा उद्यान अधिनियम कल से लागू होगा। क्या आप यह कह सकते हैं कि हमने एक ऐसे आधारभूत मामले पर समझौता नहीं किया है

जिससे भारत में लाखों उद्यान मज़दूरों को लाभ होता है ।

यह यहीं समाप्त नहीं हुआ है । पिछले दिनों में हमारी मैसूर में बैठक हुई जहां हमने त्रिदलीय आधार पर औद्योगिक सम्पर्कों के सम्बन्ध में बहुत से मामलों पर विचार विमर्श किया । हमने गोरखपुर के मज़दूरों के मामले पर विचार विमर्श किया । हमने निश्चय किया कि मामले की जांच पड़ताल करने के लिये एक समिति नियुक्त होनी चाहिये जो इसमें सुधार करने या इसे समाप्त करने के उपायों की खोज करे ।

न्यूनतम मजूरी को कार्यान्वित करने के विषय में बहुत कुछ कहा जा चुका है । विस्तार-पूर्वक मुझे यह कहने दिया जाये कि सरकार ने क्या किया है तथा १० तथा ११ जनवरी को दलों के पूर्ण समझौते के अन्तर्गत त्रिदलीय सम्मेलन में क्या निश्चय हुये हैं ।

मैं सदन का ध्यान उन चर्चाओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जो हमने भारतीय श्रम सम्मेलन के मैसूर अधिवेशन में की थीं । भारतीय श्रम सम्मेलन, त्रिदलीय संघ होने के नाते, अत्यन्त महत्वपूर्ण संस्था है । मेरा विचार था कि मजूरी का यह विवादग्रस्त विषय इसके समक्ष रखा जाये । विभिन्न माननीय सदस्यों के बहुत से सुझावों पर विचार करने के उपरान्त, सम्मेलन ने एक संकल्प स्वीकार किया और सिफ़ारिश की कि अनुसूची के भाग १ के सम्बन्धी अधि-नियम को लागू करने का समय ३१ दिसम्बर १९५४ तक बढ़ा दिया जाये । इसमें यह भी सिफ़ारिश की गई कि इस दृष्टि से राज्य सरकारों को केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये जाने वाले निदेशों की एक नियम संहिता बनाई जाये तथा मजूरी निर्धारित करने के सिद्धान्त बनाये जायें, केन्द्रीय परामर्शदाता बोर्ड को उस ढंग की जांच करनी चाहिये जिस ढंग से अधिनियम अब तक लागू किया गया था । सम्मेलन ने यह भी सिफ़ारिश की कि केन्द्रीय परामर्शदाता बोर्ड के कहने पर अधिक व्यवसायों को विधान के अन्तर्गत लाने के लिये, सरकार को अधिसूचनायें जारी करनी चाहियें । केन्द्रीय परामर्शदाता बोर्ड की बैठक ८ तथा ९ अप्रैल को बम्बई में हो रही है । मैसूर में हुई भारतीय श्रम सम्मेलन की बैठक की सिफ़ारिशों पर बोर्ड विचार करेगा तथा अन्य महत्वपूर्ण विषयों की जांच करेगा जैसे स्तरीकरण, आंकड़ों को एकत्रित करने के ढंग, पड़ौसी राज्यों में या एक ही भौगोलिक क्षेत्र में मजूरी भेदभाव, अधि-समय, साप्ताहिक दिन, विश्राम के दिन आदि सम्बन्धी भुगतान में एकरूपता । बोर्ड के पुनःस्थापन का प्रश्न भी विषयसूची में सम्मिलित है, तथा मुझे पूर्ण आशा है कि बोर्ड अपना निश्चय कर सकेगा जिनके फलस्वरूप वे सन्तोषजनक कार्यवाही कर सकेंगे ।

मैं आप से यह पूछना चाहता हूं कि क्या मैं साधारण श्रम मंत्री के रूप में एक ऐसी श्रम नीति रखने का प्रयत्न नहीं कर रहा हूं जिसके परिणाम स्वरूप अन्त में प्रत्येक उद्योग में आधारभूत बातों पर समझौते होंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय तथा साथी ने आपको बताया था कि उन्होंने, हैदराबाद में त्रिदलीय सम्मेलन में जो इस मास की २४ तथा २५ तारीख़ को हुआ था, जिसमें उनमें मजूरी ढांचा, केन्द्रीय मजूरी बोर्ड तथा राज्य मजूरी बोर्डों की स्थापना तथा ठेके के कार्यों की समाप्ति के सम्बन्ध में समझौते हुए थे, क्या किया । उन्होंने कहा कि यदि इन समझौतों को उचित रूप में समझा गया तो दो वर्षों तक कोई मुकद्दमेबाजी नहीं होगी, । मैं पूछता हूं कि क्या मैं अपने विचारों को कार्यान्वित करने का प्रयत्न नहीं कर रहा हूं, या मैं यहां केवल बैठा हूं और उस ढंग से बातें नहीं कर

[श्री वी० वी० गिरि]

रहा हूं जिस ढंग से मेरे माननीय मित्र श्री मोरे चाहते हैं । मान लीजिये कि मैं इन समझौतों में सफल हो जाता हूं--तथा यदि मुझे सदन का पूर्ण सहयोग प्राप्त हो तो मुझे सफलता होगी--तो मेरा विचार है, मेरी मज़दूर नीति है, सरकार की मज़दूर नीति है कि प्रत्येक उद्योग में, चाहे वह संगठित उद्योग छोटा हो या बड़ा हो ऐसे समझौते हों ताकि यदि काम करने की शर्तों पर समझौता हो जाये, यदि द्विदलीय तथा त्रिदलीय बैठकों में लाभ-विभाजन तथा बड़े बड़े प्रश्नों जैसे बोनस का प्रश्न, के सिद्धान्तों पर समझौता हो जाये, तो अधिनिर्णय का कोई प्रश्न ही न रहेगा । मैं सिद्ध करना चाहता हूं कि अधिनिर्णय केवल पत्रों पर होगा कार्यरूप में नहीं । यदि मुझे अपने माननीय मित्रों के निराशाजनक वक्तव्यों की अपेक्षा सहयोग प्राप्त हो तो दो या तीन वर्ष में मैं यह सिद्ध कर दूंगा कि मैंने प्रत्येक उद्योग में दलों में समझौता करा दिया है । यदि द्विदलीय या त्रिदलीय आधार पर मज़दूर तथा मालिक विधान से सहमत होते हैं, तो विधान बनाना कितना सरल होगा ।

यह सच है कि तीस से चालीस प्रतिशत झगड़े बोनस के कारण होते हैं । मान लीजिये कि द्विदलीय तथा त्रिदलीय समझौतों के आधार पर हम बोनस सम्बन्धी सिद्धान्त आदि पर निश्चय करते हैं, तो उससे सम्बद्ध अधिनिर्णय कम हो जायेगा । यदि प्रत्येक उद्योग में मजदूरों तथा मालिकों में समझौते हो जाते हैं--जैसा कि मैं विगत डेढ़ वर्ष में दिखा चुका हूं, बड़े बड़े उद्योगों के सम्बन्ध में बहुत समझौते हुये हैं--तो, उस सीमा तक, अधिनिर्णय समाप्त हो जायेगा । अतः, क्या आप मुझे बतायेंगे कि मैं अपने बनाये सिद्धान्तों का पालन कर रहा हूं या नहीं, अर्थात मैं अन्तर्राष्ट्रीय निश्चय, सामूहिक लाभ के पक्ष में हूं तथा मैं अधिनिर्णय का, जिसे मैं महा शत्रु मानता हूं विरोधी हूं ?

आजकल अधिनिर्णकी प्रथा विद्यमान है और इसके कारण निम्न हैं । नैनीताल सम्मेलन में, मुझे यह देख कर आश्चर्य हुआ कि वे लोग, जो अधिनिर्णय के विरोधी थे और जिन्होंने कहा था कि अधिनिर्णय मिलने जुलने की स्वतन्त्रता का विरोधी है, अचानक मेरे पास आये और मुझ से कहा कि हम अधिनिर्णय के पक्ष में है । मालिकों ने मुझ से यह नहीं कहा था कि वे अधिनिर्णय के पक्ष में है अपितु उन्होंने कहा था कि वे अधिनिर्णय का विरोध करते हैं । परन्तु उनकी चाल भिन्न थी, उनका विचार भिन्न था, उनका आधार भिन्न था । उनका विचार था--मुझे श्री गिरि को इस बात से सहमत कर लेने दीजिये कि वह अधिनिर्णय का प्रश्न समाप्त कर दें, तब मैं पारस्परिक समझौते के लिये भी मना कर दूंगा । मेरा विचार यह रहा है । एक ओर यह भावना थी कि मौलिक अधिनिर्णय तथा पारस्परिक समझौते में से किसी के लिये भी तैयार न था । दूसरी ओर, मज़दूरों ने जिन्हें अधिनिर्णय में विश्वास न था अपितु पारस्परिक समझौते में था, अचानक ही मुझे यह कह कर अचम्भे में डाल दिया कि वे अधिनिर्णय में विश्वास करते हैं । इसी कारण से अधिनिर्णय विधान में सम्मिलित रहा । मैं कोई चुनौती या प्रति-चुनौती नहीं चाहता हूं । मुझे अन्य व्यक्तियों की यथार्थता पर प्रश्न करने में विश्वास नहीं है । अपने जीवन में, मैंने विभिन्न विषयों पर अन्य व्यक्तियों की भावनाओं के सम्बन्ध में कभी भी प्रश्न नहीं किये हैं । क्योंकि उन्हें भी मेरे साथ असहमत होने का उतना ही अधिकार है जितना कि मुझे उनसे असहमत होने का है । राष्ट्र-पिता ने हमें यही शिक्षा दी है । उनका एक सच्चा अनुयायी

होने के रूप में, मैंने उन विचारों को अपने सार्वजनिक जीवन में लगभग ४० वर्ष तक पालन करने का प्रयत्न किया है।

मैं अधिक और कुछ कहना नहीं चाहता हूं परन्तु मैं एक विशेष मामले के सम्बन्ध में अपने कार्य की व्याख्या करने के लिये बाध्य हूं। इस सदन में मेरे सारे माननीय मित्रों को मुझ से यह व्याख्या सुनने का अधिकार है। कि वह आश्चर्यजनक औद्योगिक सम्पर्क विधेयक क्यों प्रस्तुत नहीं किया गया है। वह एक ऐसा विधेयक है जिसके बारे में मैंने हर समय अपने विचार प्रकट किये थे और कहा था कि मेरे पास एक अदभुत विधेयक है। आपको व्याख्या मंगाने का अधिकार है तथा मेरा कर्त्तव्य है कि मैं व्याख्या प्रस्तुत करूं। श्रीमान, वास्तविकता यह है कि १३ मई १९५२ को मैं श्रम मंत्री बना। एक विधेयक, जो मेरे मित्र श्री जगजीवन राम ने प्रस्तुत किया था, जो प्रवर समिति को भेज दिया गया तथा जो संसद् सभाप्त होने के कारण पारित नहीं सका था, विद्यमान था। मैं भी अधिनिर्णय पर दृढ़ विचार रखने के कारण—जो मुझे मेरे द्वारा बाद में बताये गये कारणों से बदलने पड़े थे—मजदूरों, मालिकों तथा जनसाधारण के संघों की प्रतिक्रिया, नवीन जानकारी तथा शीघ्रतम विचारों के सम्बन्ध में जानना चाहता हूं। ११५ प्रश्नों का एक प्रश्न पत्र जारी किया गया था तथा ४०० उत्तर प्राप्त हुये थे। नैनीताल सम्मेलन उसी के आधार पर अक्टूबर में हुआ था जिसमें हमने इन सब मामलों पर विचार किया था। मजदूरों तथा मालिकों के सात प्रतिनिधियों की एक समिति इन मामलों पर विचार करने के लिये लगभग जनवरी में नियुक्त की गई। मार्च १९५३ के लगभग श्रम मंत्री सम्मेलन बुलाया गया तथा हमने ये सब मामले उनके समक्ष रखे। कुछ निश्चय हुआ और हमने एक नोट बनाया। इन सब बातों का एक विवरण राज्य सरकारों के पास उनका मत जानने की दृष्टि से भेजा गया तथा मंत्रालयों के विचार जानने के लिये हमने यह उन्हें भी भेजा। आधारभूत मामलों पर कुछ वास्तव में तथ्ययुक्त मतभेद थे। हम यह जानने का प्रयत्न कर रहे थे कि इन सब आधारभूत मामलों पर एकमत कैसे हों तथा इसमें लगभग चार या पांच मास लग गये। इसके पश्चात्, इस बात के बावजूद भी कि कुछ आधारभूत मतभेद अब भी विद्यमान हैं, हम उन्हें समाप्त करने की आशा करते हैं। मेरे नेता, प्रधान मंत्री ने कहा था, "विधेयक तैयार कराओ।" वैधानिक प्रारूप बनाने वाले ने तीन मास लिये और अब विधेयक बन कर तैयार हो गया है—और मुझे यह कैबिनेट के समक्ष रखना पड़ेगा। वास्तव में, मैसूर सम्मेलन में मज़दूरों तथा मालिकों के प्रतिनिधियों ने इच्छा प्रकट की थी कि वे विधेयक देखना चाहते हैं। श्रम मंत्री भी विधेयक देखना चाहते थे परन्तु मैं कोई आश्वासन न दे सका क्योंकि केबिनट की अनुमति के बिना, मैं यह नहीं कर सकता था और उस समय विधेयक भी तैयार हो रहा था। अब विधेयक तैयार हो गया है। यह केबिनेट के समक्ष जा रहा है।

इस बात की मुझे अधिक चिन्ता नहीं है कि आप मेरी इस बात को स्वीकार करते हैं या नहीं कि मैं वास्तव में इसमें विलम्ब करना चाहता था या नहीं। जब मज़दूरों को एक प्रकार से कुछ हानि हुई, जैसा कि श्री वेंकटारमन ने बताया है, जबकि कुछ तत्कालीन कार्यवाही करनी थी, इस स्थिति में मैं उनसे सर्वथा सहमत हूं तथा आशा करता हूं कि यदि हम वर्त्तमान अधिनियम रखते अर्थात् १९४८ का अधिनियम एवं वे बातें जो कहीं गई थीं तो बड़ा अच्छा होता। फिर भी, मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं कि मैं

[श्री वी० वी० गिरि]

विधेयक को पारित कराने का उतना ही उत्सुक हूं जितने कि और व्यक्ति हैं। परन्तु मेरा कहना यह है कि १९४८ का अधिनियम लागू रहा है जो साधारणतः मज़दूरों के हितों की रक्षा करता है। मेरे अच्छे मित्र श्री वेंकटारमन ने जो कुछ कमियां बताई हैं वे अवश्य ही नये विधान द्वारा पूरी होनी चाहियें ताकि हर प्रकार से मज़दूरों की रक्षा की जा सके।

अतः, मुझे प्रसन्नता है कि मुझे कार्यवाही के सम्बन्ध में अपने कार्य की व्याख्या करने का अवसर दिया गया है। मैं कदाचित् यह कह सकता हूं कि किसी भी गलत कार्यवाही से सारा मामला बिगड़ सकता था। मैं यह प्रयत्न करता रहा हूं कि अभिसमय बनाये जायें जिनके फलस्वरूप मज़दूर तथा मालिक साथ बैठ कर आधारभूत मामलों का निश्चय कर सकें।

श्री नम्बियार : यदि मालिक साथ बैठना न चाहें ?

श्री वी० वी० गिरि : एक प्रकार से मैंने यह दिखा दिया है, चाहे मालिक कितने ही कम हों तथा चाहे मज़दूर कितने ही कम हों, उच्चतम मान कर उच्चतम मज़दूरों—नेता जैसा डांगे तथा खांडूभाई देसाई—तथा उद्योगों में उच्चतम नेताओं, अपने संगठनों का प्रतिनिधित्व किया। उन्हें परस्पर मिलाने तथा मामलों पर विचार विमर्श करने में मुझे कोई कठिनाई नहीं हुई। अपनी उस दक्ष जानकारी के साथ जो उन्हें प्राप्त है, वे यह देख सकेंगे कि किस सीमा तक क्रियात्मक फल प्राप्त किये जा सकते हैं तथा उन्होंने वे फल प्राप्त करने का प्रयत्न किया। यह बात मैं श्री मोरे को विगत डेढ़ वर्ष में चार अवसरों पर बता चुका हूं। मैं ऐसा कर सकता हूं तथा मुझे इसका पूर्ण विश्वास है, कि बशर्ते कि मज़दूर अपने संगठनों को जनतन्त्रीय आधार पर अनुमति से तथा मालिकों के समक्ष अपनी मांगें रख कर, सुदृढ़ बनायें। यदि वे मुझे यह आश्वासन तथा सहयोग दे सकते ह, तो मैं निश्चय ही यह जादू उत्पन्न कर दूंगा। मुझे इसका पूर्ण विश्वास है। मैं सदैव ही आशावादी हूं, अतः मेरे माननीय मित्रों को अपने विचारों में यह भ्रम नहीं होने देना चाहिये कि कुछ उत्पन्न नहीं किया जाता है और न ही कुछ किया जाता है। कुछ तो किया जाता है। हो सकता है कि यह अधिक न हो। परन्तु यह निश्चय है कि यह तब ही होगा जबकि आप सब वह सहयोग दें जो मैं चाहता हूं।

श्री नम्बियार : क्या मैं जान सकता हूं कि—मैंने माननीय उपमंत्री से भी पूछा था—मज़दूर संघों की मान्यता के बारे में क्या रहा ? उन्होंने कहा कुछ नहीं। हम सरकार की नीति नहीं समझ सके।

श्री वी० वी० गिरि : इस पर हम विधेयक में, जो कि सदन में रखा जाये, विचार करेंगे।

श्री नम्बियार : यह कब होगा। यह सदन में कब प्रस्तुत होगा ? यह कब पारित होगा ?

श्री वी० वी० गिरि : मैं यह कह सकता हूं कि बहुत शीघ्र।

श्री इलाया पेरूमल : दक्षिण में बहुत से मज़दूर भूमिपतियों तथा जनता द्वारा अपनी इच्छा के विरुद्ध कार्य, जैसे मृतक पशुओं को उठाना, बुरे लगने वाले ढोलों को बजाना तथा कब्र खोदना, करने के लिये बाध्य किये जाते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या न्यूनतम वेतन अधिनियम में इसके सम्बन्ध में कोई उपबन्ध है ?

श्री वी० वी० गिरि : मुझे विश्वास है कि न्यूनतम वेतन अधिनियम में उपबन्ध है तथा आगामी चार या पांच दिनों में हम फिर बम्बई में सारे मामले पर विचार करेंगे।

श्रीमान् आपके द्वारा मैं अपने माननीय सदस्य को परामर्श देता हूं कि वह कृषि मजदूरों को संगठित करें। उन्हें संघ बनाने चाहियें। तथा उन्हें उचित रूप में चलाना चाहिये तथा संकल्प पारित करने चाहियें।

श्री साधन गुप्त (कलकत्ता दक्षिण पूर्व) : क्या बीमा कर्मचारियों की मागों पर अधिनिर्णय करने की दष्टि से मंत्री महोदय एक औद्योगिक अधिकरण की नियुक्ति करने पर विचार करेंगे ?

श्री वी० वी० गिरि : यह मामला अब उच्चतम मान पर चल रहा है।

श्री साधन गुप्त : उच्चतम मान पर इसे कितना समय लगेगा ?

श्री वी० वी० गिरि : मेरा विचार है बहुत थोड़ा।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्रम मंत्रालय सम्बन्धी समस्त कटौती प्रस्तावों पर सदन का मत लूंगा।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुये।

मांग संख्या ६५, ६६, ६७, ६८, ६९, तथा १३० अध्यक्ष महोदय द्वारा मतदान के लिये प्रस्तुत की गईं तथा स्वीकृत हुई।

इसके पश्चात् सभा, बृहस्पतिवार, १ अप्रैल १९५४ के दो बजे तक के लिये स्थगित हुई।